शनिवार,
१४ फरवरी, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.42

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शनिवार, १४ फ़रवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (सहायता)

*३३. **डा० रामा राव** : (क) **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सरकार को अब तक कितनी सहायता मिलती रही है और यह राशि किन किन कार्यक्रमों पर व्यय की गई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से मिलने वाली सहायता में वृद्धि कर दी जायगी, और यदि ऐसा है, तो कितनी और यह किन कार्यक्रमों पर व्यय की जायगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) एक विवरण, जिसमें आवश्यक सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ख) इस समय यह बताना संभव नहीं कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से और अधिक कितनी सहायता मिलेगी। यह बात उन प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य

योजनाओं पर, जिन्हें संघ सरकार और राज्य सरकारें प्रस्तुत करेंगी तथा इस पर कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के पास इस देश को देने के लिये कितना धन है, निर्भर करेगी ।

डा० रामा राव : क्या सरकार का देश के अस्पतालों में बच्चों के लिये डाक्टरी सुविधाओं को बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): माननीय सदस्य जानते हैं कि 'स्वास्थ्य' एक परावर्तित विषय है । वास्तव में यह राज्य सरकार के अधीन है किंतु संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से मिलकर केन्द्र कलकत्ता की आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ इंडिया नामक संस्था में बाल कल्याण कार्य में प्रशिक्षण देने के लिये बहुत अधिक सुविधायें देने की व्यवस्था कर रहा है ।

ग़ैर सरकारी रेलवे लाइनें

*३६. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ गैर-सरकारी रेलवे लाइनें खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो वे कौन सी लाइनें हैं जिन्हें सरकार खरीदना चाहती है ; तथा

(ग) इनमें से प्रत्येक रेलवे लाइन की लम्बाई कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) जी हां ।

(ख) टिन्नेवेली-तिरुचेन्दुर रेलवे को २४ फरवरी , १९५३ को तथा बारसी लाइट रेलवे लाइन को पहिली जनवरी, १९५४ को ।

(ग) टिन्नेवेली-तिरुचेन्दुर रेलवे ३८.१८ मील तथा बारसी लाइट रेलवे लाइन १६६.७० मील लम्बी है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार का मार्टिन लाइट रेलवे को खरीदने का विचार है ?

श्री अलगेशन: ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं जान सकता हूं कि इन गैर-सरकारी रेलों की कुल लम्बाई कितनी है और राज्यों में ये कितने मील लम्बी हैं ?

श्री अलगेशन: मैंने उनकी लम्बाई तो पहिले ही बतला दी है । जिन रेलों को सरकार खरीद रही है उसमें से एक ३८.१८ मील तथा दूसरी १६६.७० मील लम्बी है ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं इन सभी गैर-सरकारी रेलवे लाइनों की लम्बाई जानना चाहता हूं ।

श्री अलगेशन: सभी गैर-सरकारी रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई ८११ मील है ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि इनकी कुल संख्या कितनी है और ये राज्य-वार किस प्रकार बंटी हैं ?

श्री अलगेशन: ये लगभग २० रेलवे लाइनें हैं किंतु इस समय मैं उनकी राज्य-वार स्थिति के विषय में विस्तृत रूप से नहीं बता सकता ।

श्री केलप्पन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीति इन रेलवे लाइनों को सरकार के स्वामित्व में लाने की नहीं है ?

श्री अलगेशन: जहां तक इन गैर-सरकारी लाइनों का संबंध है, इनके विषय में किये गये समझौतों के अन्तर्गत कार्य होता है और प्रत्येक के मामले में उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या 'रेलवे' केन्द्रीय विषय नहीं है और इसे केन्द्रीय सरकार के अधीन होना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तर्क है ।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जान सकता हूं कि इन गैर-सरकारी रेलों को खरीदने के लिये कितना मूल्य निर्धारित किया गया है और इन मूल्यों को किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

श्री अलगेशन: मूल्य निर्धारित करने का आधार समझौतों के अधीन है। टिन्नेवेली-तिरुचेन्दुर रेलवे के खरीदने का मूल्य ३३.६० लाख रुपये है और बारसी लाइट रेलवे के खरीदने का मूल्य १८९ लाख रुपये है ।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या लिये गये इन पुराने इंजनों तथा लाइनों के मूल्यांकन में , जिन मूल्यों पर ये खरीदे गये थे उनका ध्यान रखा जायगा ?

श्री अलगेशन: मैं समझता हूं हम उन्हें पूंजी लागत के हिसाब से खरीद रहे हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा: मैं जान सकता हूं कि क्या यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में इन रेलों के प्रशासन पर सरकार का कोई नियंत्रण अथवा अधीक्षण है ?

श्री अलगेशन: इस समय कोई नहीं।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि उन गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ जो समझौते किये गये हैं क्या उनके कारण सरकार द्वारा उन गैर-सरकारी रेलवे लाइनों के कार्यों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अन्य रेलवे लाइनों के कार्यों के समान स्तर पर लाने में कोई रुकावट पड़ती है ?

श्री अलगेशन : मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है। यदि यह समझा जाता है कि उन पर कुछ बातें लागू करने के हमारे कुछ अधिकार हैं तो इसका उत्तर अस्वीकारात्मक

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार कलकत्ता शहर के चारों ओर चलने वाली गैर-सरकारी रेलों को निकट भविष्य में खरीदने का है ?

श्री अलगेशन: मैंने इस प्रश्न का पहिले ही उत्तर दे दिया है ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता कि क्या शहादरा-सहारनपुर सकरी रेलवे गैर-सरकारी है अथवा नहीं ?

श्री अलगेशन: जी हां। यह गैर-सरकारी है।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या इन गैर-सरकारी रेलों के लाभ अथवा हानि में सरकार भी हिस्सा बटाती है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इसका विस्तृत ब्यौरा यहां नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष रेल के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं उन्हें उत्तर दे सकता हूं।

डा० जयसूर्य: क्या मैं बारसी लाइट रेलवे के डिब्बों का मूल्य जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : मैं यह आंकड़े इस समय नहीं बता सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

वायु परिवहन कम्पनियों का एकीकरण

*३८. **श्री नानादास:** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न वायु परिवहन कम्पनियों को अपने पूर्ण स्वामित्व में लेने का है ; यदि ऐसा है तो किन शर्तों पर ;

(ख) क्या वायु कम्पनियों में इस समय काम करने वाले किन्हीं कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को १०,११ तथा १२ जनवरी, १९५३ को दिल्ली में विमान संचालन विभाग कर्मचारी संघों द्वारा किये गये सम्मेलन तथा उस सम्मेलन में किये गये निर्णय का पता है ;

(घ) क्या वायु परिवहन उद्योग के कर्मचारियों द्वारा अथवा उनके संघों द्वारा सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है ; तथा

(ङ) यदि ऐसा है, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां; देश की असैनिक वायु परिवहन कम्पनियों के पुनर्संगठन की एक योजना की जांच हो रही है और इस विषय के एक विधेयक को संसद् के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने का विचार है।

(ख) जी नहीं ; इसके विपरीत हमारा विचार यह है कि किसी भी वायु कम्पनी में इस समय काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को तब भी नौकरी में लगाये रखा जाय जब कि प्रस्तावित राज्य निगम कम्पनी के कार्यों को अपने अधीन ले लेगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जब योजना को अन्तिम रूप दिया जायगा तब इन संघों के विचारों का ध्यान रखा जायगा ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि वह निगम कैसे बनाया जायगा, क्या यह डी० वी० सी० का प्रतिरूप होगा अथवा उससे भिन्न होगा ?

श्री राज बहादुर : ये सब मामले विधेयक में सम्मिलित किये जायेंगे तथा वह विधेयक यथासमय में सदन के समक्ष रखा जायगा ।

श्री नानादास: मुझे पता लगा है कि एक की बजाय दो निगम होंगे, एक विदेशी चर्या तथा दूसरा अन्त र्देशीय चर्या के लिये ।

श्री राज बहादुर: सरकार इस मामले पर भी विचार कर रही है ।

श्री नम्बियार: क्या इसके कारण ऐसे कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी जो अब काम पर लगे हैं ?

श्री राज बहादुर: इस मामले की यह बात तो अगले प्रश्न का भाग है और मेरे माननीय मित्र को इसकी तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निगम में सम्मिलित करने का है ?

श्री राज बहादुर: मुझे अपने उत्तर को दुहराना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: ये बातें शीघ्र ही सदन के समक्ष रखी जायेंगी ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय काम में आने वाले डकोटा ऐसे हैं जिनकी युद्ध उत्सर्जन विभाग से लेकर फिर से मरम्मत की गई है, और अन्य प्रकार के वायुयान ऐसे हैं जो प्रयोग में नहीं आते हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या जब सरकार उन्हें अपने अधिकार में ले लेगी उसके ठीक बाद ही नये वायुयान खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

श्री राज बहादुर: यह बात ठीक नहीं है कि उत्सर्जन विभाग से लेने के बाद जिन डकोटाओं की फिर से मरम्मत की गई है, वे इस प्रकार के हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा सके । वास्तव में इस पूरे उद्योग में डकोटा और वाइकिंग वायुयानों का प्रयोग किया जाता है और ये अभी काफ़ी समय तक काम में लाये जा सकते हैं । ये सब प्रकार से ठीक हैं और ऐसी आशा की जाती है कि वे १९६० तक काम में लाये जा सकते हैं ।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात को जानती है कि इस उद्योग के तथा कथित राष्ट्रीय करण से सरकार को लाभ होगा या नहीं ?

श्री राज बहादुर: हम यह आशा करते हैं कि यथा समय में यह उद्योग न केवल अपनी टांगों पर खड़ा हो जायगा अपितु इससे लाभ भी होगा ।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि किन कारणों के आधार पर सरकार इस वायु निगम को बना रही है ?

श्री राज बहादुर: सुव्यवस्थित रूप से पुनर्संगठन करना ।

श्री आर० के० चौधरी: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस नीति का इसलिये पालन कर रही है जिससे कि उसे कुछ लाभ हो सके अथवा हवाई सर्विस में सुधार हो सके? मुझे एक और प्रश्न पूछना है। मैं जान सकता हूं . . . . . .

उपायध्क्ष महोदय: आप दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? पहिले प्रश्न का उत्तर तो दे दिया जाय।

श्री राज बहादुर: मैंने पहिले ही उत्तर दे दिया है कि केवल लाभ प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है। हम हवाई-सर्विस में सुधार करना और इस उद्योग का पुनर्संगठन और विकास करना चाहते हैं।

श्री आर० के० चौधरी: क्या सरकार का विचार हवाई सर्विस को पुराने और फिर से ठीक किये गये डकोटाओं से चलाने का है अथवा वह उनके स्थान पर दूसरे वायुयान चलायेगी?

उपाध्यक्ष महोदय: इसका तो उन्होंने पहिले ही उत्तर दे दिया है।

श्री राज बहादुर: मैं इस गलत विचार को दूर कर दूं। सभी वायुयानों की फिर से मरम्मत करके ठीक करने वाली कोई बात नहीं है। वास्तव में इन सभी इंजनों की समय समय पर सफाई की जाती है जिसके बाद वे सुरक्षा तथा अन्य बातों के मामले में नये वायुयानों के समान हो जाते हैं।

श्री आर० के० चौधरी: क्या सरकार इस समय चलने वाले वायुयानों के स्थान पर और वायुयान चलायेगी?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका पहिले ही उत्तर दे दिया है कि उनसे बहुत समय तक काम लिया जा सकता है।

श्री राज बहादुर: हम समय के साथ चलेंगे।

डा० लंका सुन्दरम्: प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बात के संबंध में मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न सर्विसेज़ के कर्मचारियों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों पर विचार किया है . . . (**अन्तर्बाधा**)।

श्री राज बहादुर: मुझे खेद है कि वह अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मैंने अभी तक उत्तर भी नहीं दिया है।

श्री नम्बियार: वह समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या ३५ पूछा जा रहा है जब कि इस समय प्रश्न संख्या ३८ पूछा जा रहा है। उसमें छंटनी की बात सम्मिलित है।

श्री राज बहादुर: मैं माननीय सदस्य से क्षमा चाहता हूं। इस विशेष प्रश्न के संबंध में उत्तर "नहीं" है। इसके विपरीत, हमारा विचार यह है कि किसी भी वायु कम्पनी में इस समय काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को तब भी नौकरी में लगाये रखा जायगा जब कि प्रस्तावित राज्य निगम कम्पनी के कार्यों को अपने अधीन ले लेगा।

डा० लंका सुन्दरम्: मेरा तो बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। प्रश्न की वास्तविक संख्या के संबंध में गड़बड़ी के कारण शायद यह समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न यह था; क्या विदेशी तथा अन्तर्देशीय निगमों के कर्मचारियों के संभावित विभिन्न स्तरों. उपलब्धियों नौकरी की शर्तों आदि के संबंध में भारत की विभिन्न हवाई सर्विस के कर्मचारियों द्वारा कोई अभ्यावेदन किये गये हैं और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उन की इस प्रार्थना पर, कि एक निगम होना चाहिये दो निगम न हों, विचार करना चाहती है?

श्री राज बहादुर: हमें अभ्यावेदन किये गये हैं और हम इन सब बातों पर उचित रूप से विचार करेंगे।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि दो निगम न होकर एक निगम हो, इसके विषय में कर्मचारियों ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है । उनका एक प्रतिनिधि मंडल मुझ से मिला और मुझ से बात चीत की । जब उस योजना को अन्तिम रूप दिया जायगा तब उनके विचारों का ध्यान रखा जायगा ।

डा० लंका सुन्दरम्: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि विदेशी तथा अन्तर्देशीय निगमों के बीच नौकरी की शर्तों में कोई अनुचित असमानता न हो ?

श्री जगजीवन राम्: ये सब बातें अन्तर्देशीय वायु निगम अथवा विदेशी वायु निगम के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों को निर्धारित करने के लिये बनाये जाने वाले विनियमों में सम्मिलित की जायेंगी ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को कर्मचारियों की संख्या के विषय में कुछ पता है, और यदि ऐसा है तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री जगजीवन राम: मुझे उनकी यथार्थ संख्या नहीं मालूम है किंतु यह ८,००० से ९,००० के लगभग है ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि कुल कितनी क्षतिपूर्ति दिये जाने का अनुमान है और क्या यह राशि योजना आयोग की अनुमानित राशि से अधिक होगी ?

श्री राज बहादुर: इन कम्पनियों को कुल दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को पहिले से बतलाना इस समय संभव नहीं है किंतु यह इस कार्य के लिये योजना में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या इस उद्योग के कुछ वर्त्तमान प्रमुख उद्योगपतियों के विशेष ज्ञान का लाभ उठाने के हेतु सरकार का विचार उन्हें निगम के डायरेक्टर अथवा निगम के हिस्सेदार के रूप में रखने का है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो कार्य के लिये सुझाव है । यह मामला बाद में सदन के समक्ष आयेगा । अगला प्रश्न ।

रेलों का पुनः वर्गीकरण (मितव्ययता)

*३९. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष की रेलों की नई महाखंड प्रणाली का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि क्या उस कार्य प्रणाली में कुछ भी बचत नहीं हुई और गत वर्ष कम आमदनी हुई है ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि परिवहन संबंधी कुछ कठिनाइयां हुई हैं, विशेषकर कोयला ढोने के मामले में ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) वर्गीकृत रेलों की कार्य प्रणाली का पुनर्विलोकन बराबर होता रहता है, किंतु १९५२-५३ की कार्य प्रणाली का पुनर्विलोकन चालू वित्तीय वर्ष के, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, परिणाम मालूम हो जाने के बाद किया जायगा ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान ३-१२-१९५२ को श्री हुक्म सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ के दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । उसमें कितनी बचत हुई या कितनी बचत की जा सकती है यह बतलाना समय से बहुत पहिले होगा । पुनः वर्गीकृत्य रेलों में यातायात के कार्य में अधिक अच्छा समायोजन किया गया है ।

१९५१-५२ में होने वाली आय कम होने की अपेक्षा किसी भी पिछले वर्ष की आय से अधिक है ।

(ग) नई महाखंड प्रणाली की कार्य पद्धति के कारण कोई परिवहन कठिनाइयां पैदा नहीं हुई हैं । बड़ी और छोटी लाइनों पर कोयला गत वर्ष की अपेक्षा काफ़ी अधिक ढोया गया था । १९५१ की तुलना में १९५२ में कोयला २०० वैगन प्रति दिन के हिसाब से अधिक ढोया गया था । फिर भी, जितने रेल के डिब्बे माल ढोने के लिये उपलब्ध थे वे कुल आवश्यकता को देखते हुए कम थे ।

श्री ए० सी० गुहा: दिये गये इस निश्चित आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि पुनःवर्गीकरण के कारण बचत होगी मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने संभावित बचत या अन्य प्रकार का कोई अनुमान लगाया है ?

श्री अलगेशन: यह बात सदन में कई बार स्पष्ट की जा चुकी है । यह बचत की जा रही है तथा और अधिक बचत होने की संभावना जिन स्थानों पर विभिन्न रेलें मिलती हैं वहां दुहरे नियंत्रण को हटा देने से ; बिजली तथा उपकरण के अधिक प्रयोग करने की संभावना से ; रेल सर्विस की रेटिंग तथा समय-सूची में सुधार से ; सामान खरीदने तथा उस के उपयोग के केन्द्रीकरण आदि से है । इन सब शीर्षों के अन्तर्गत पुनः वर्गीकृत रेलों में सुधार हुआ है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या और अधिक बचत भी हुई है ?

श्री अलगेशन: इसमें बचत हुई है । यह सब बचत ही तो है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या यह सत्य है कि जब से पुनः वर्गीकरण हुआ है, अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

श्री अलगेशन: मैं नहीं समझता कि अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

श्री नम्बियार: माननीय मंत्री के उत्तर से उत्पन्न बात के सम्बन्ध में, मैं यह जान सकता हूं कि क्या अभिनवीकरण प्रस्तावों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी किये जाने की भी संभावना है ?

श्री अलगेशन: दो परस्पर विरोधी परिस्थितियां हैं । निस्संदेह फालतू प्रशासनात्मक संस्थापनाओं को हटाकर हम बचत कर सकते हैं, किंतु उसके साथ ही हमने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि हम उनकी राय के बिना उनका तबादला नहीं करेंगे और कई स्थानों पर हमें संस्थापनायें रखनी पड़ेंगी और हम उन्हें चालू रखेंगे । जहां हम कर्मचारी वर्ग में कमी करके बचत करना चाहते हैं वहां अब भी हमने अपनी आवश्यकताओं से अधिक कर्मचारी रखे हुए हैं । हम उन्हें वहां तब तक रहने देंगे जब तक कि स्थान खाली न हो जायें और हम रिक्त स्थानों पर किसी को रखते नहीं हैं ।

श्री ए० सी० गुहा: भाग (ग) के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बात के सम्बन्ध में, मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष खाली डिब्बों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है ?

श्री अलगेशन: जहां तक वैगनों के आने जाने का सम्बन्ध है बड़ी लाइन में ५२८ वैगन प्रतिदिन अधिक ले जाये गये । छोटी लाइन में ४९३ वैगन प्रतिदिन अधिक चले । गत वर्ष की तुलना में यह बहुत अधिक सुधार है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय: रेल आय-व्ययक प्रस्तुत होने वाला है । आप इसे तब पूछ सकते हैं

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि रेलों के वर्गीकरण के कारण अधिकारियों की पदाली में निर्धारित संख्या से अतिरिक्त पदों को खत्म करन के हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय: एक ही दल के दो सदस्यों के दो भिन्न भिन्न विचार हैं ।

श्री नम्बियार: मैं ने तो कर्मचारी वर्ग के विषय में पूछा था । यह अधिकारियों के बारे में है ।

श्री अलगेशन: निर्धारित संख्या से अतिरिक्त कर्मचारियों को नहीं रखा जा रहा है ।

डा० जयसूर्य: क्या कोई ऐसा समाचार आया है कि मुगलसराय में कोयला लान ले जाने में कोई परिवहन सम्बन्धी कठिनाई थी ?

श्री अलगेशन: जी नहीं ।

सरदार ए० एस० सहगल: मैं जान सकता हूं कि क्या पूर्वी महाखंड (ज़ोन) में महाखंड प्रणाली के स्थान पर उप-खंड (डिवीज़नल) प्रणाली रखी जा रही है ?

श्री अलगेशन: पूर्वी रेल में दोनों ही प्रणालियां हैं ।

चाय के बगीचे

***७४०. श्री ए० सी० गुहा:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले गत छः महीनों में बन्द किये गये चाय के बगीचों की संख्या क्या है ;

(ख) उनके नाम क्या हैं तथा उनमें काम करने वाले कर्मचारियों और कार्यालय के कर्मचारियों (जो बेकार हो गये हैं), की (राज्य-वार) संख्या कितनी है ; तथा

(ग) क्या उन्हें कोई वैकल्पिक काम दे दिया गया है या उसकी व्यवस्था की गई करेगी।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) । एक विवरण, जिसमें आसाम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में बन्द किये गये चाय के बगीचों के विशेष ब्यौरे दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७**]

मद्रास, बिहार, कुर्ग तथा हिमाचल प्रदेश में चाय का कोई बगीचा बन्द नहीं किया गया। पंजाब, त्रावनकोर-कोचीन तथा मैसूर राज्यों के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई।

(ग) आसाम सरकार ने इस विषय में एक निदेश जारी किया है कि दस चाय के बगीचों के बन्द करने के परिणामस्वरूप जिन मज़दूरों की नौकरी पर उसका प्रभाव पड़ा हो उन्हें यथासम्भव अधिक से अधिक संख्या में लोक निर्माण विभाग में रख लेना चाहिये । सरकार स्थानीय निकायों, ठेकेदारों तथा अन्य फर्मों से छंटनी किये गये जितने मज़दूरों को वे काम पर लगा सकें, उन्हें काम देने के लिये कह रही है और बाहर से जितने मज़दूर वहां काम के लिये आये थे उन बेरोज़गार मज़दूरों को वहां से अन्यत्र भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है । चाय बगीचे वाले ज़िलों के मज़दूर संघ ने फ़ालतू मज़दूरों को उन चाय के बगीचों में, जहां मज़दूरों की ज़रूरत है, भेजने का प्रबन्ध किया है ।

त्रिपुरा में, फ़ालतू मजदूरों में से अधिकांश को सड़क कार्यों में लगाया जा रहा है ।

जैसा कि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन म निश्चय किया गया था, २७ तथा २८ फ़रवरी १९५३ को शिलोंग में एक त्रिपक्षीय समिति की बैठक होगी जिसमें वह अन्य बातों के साथ साथ चाय के बगीचों में फ़ालतू मज़दूरों की समस्या को हल करने के तरीकों तथा चाय के बगीचों को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं समझता हूं कि नौकरी से हटाये गये कुल मज़दूरों की संख्या लगभग ५०,००० होगी। मैं जान सकता हूं कि उनको इसके स्थान पर क्या काम दे दिया गया है, अथवा खेती के लिये ज़मीन ही दे दी गई है ?

श्री वी० वी० गिरि: हमारे पास इसके विस्तृत विवरण यहां नहीं हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि बंगाल सरकार तथा आसाम सरकार भी उनके उस कार्य के स्थान पर और काम देने के प्रयत्न कर रही है।

श्री ए० सी० गुहा: क्या सरकार ने इस बात के लिये कि जब तक कि उन मज़दूरों को कोई वैकल्पिक कार्य न दिया जा सके, तब तक उन्हें कम से कम निर्वाह भत्ता दिया जाता रहे, कार्यवाही की है ?

श्री वी० वी० गिरि: त्रिपक्षीय स्थायी समिति, जिसकी बैठक २७ तथा २८ तारीख को होगी, इस प्रश्न के ब्यौरों पर विचार करेगी।

श्री ए० सी० गुहा: जब इन मज़दूरों को वहां से भेजा जायगा, तो क्या सरकार को इस बात का निश्चय है कि उन्हें अपने असली घरों में निर्वाह के लिये कोई आर्थिक सहायता दी जायगी ?

श्री वी० वी० गिरि: यह तो राज्य सरकारों का काम है कि वे इसे देने का प्रयत्न करें और इस की व्यवस्था करें।

श्री आर० के० चौधरी: क्या सरकार का विचार चाय के बगीचों के किन्हीं मालिकों को इस बात के लिये मजबूर करने का है कि वे इन्हें बन्द न करें चाहे उनका विचार इन्हें बन्द करने का ही हो, और क्या सरकार का इन बगीचों के मालिकों को इस बात के लिये मजबूर करने का भी है कि वे इन मज़दूरों को उन्हीं मकानों में रहने दें ?

श्री वी० वी० गिरि: इसमें बाध्य करने का कोई प्रश्न नहीं है। निश्चय ही हम इसके लिये उनसे कह सकते हैं।

श्री नम्बियार: क्या यह सत्य है कि आसाम, बंगाल आदि के विभिन्न चाय बगीचों में ६०,००० मज़दूर बेरोज़गार हो गये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: लगभग ४६,०००।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या चाय बगीचों के मज़दूरों से चाय बगीचों के मालिकों द्वारा उन्हें दिये गये मकानों को खाली करने के लिये कहा गया है ?

श्री वी० वी० गिरि: इसके बारे में मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं है। जब मैं आसाम से वापिस आ जाऊंगा तो मैं अधिक निश्चित रूप से उत्तर दे सकता हूं।

श्री नानादास: इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि ११३ चाय के बगीचे बन्द कर दिये गये हैं मैं जान सकता हूं, कि क्या इन बगीचों में चाय को छोड़कर अन्य फसलें पैदा की जा सकती हैं ; और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार ऐसे बगीचों को खाद्य फसलें पैदा करने के लिये मज़दूरों को अनिवार्य पट्टे पर देने का है ?

श्री वी० वी० गिरि: कुछ चाय बगीचों में मज़दूरों को फसलें पैदा करने के लिये कुछ ज़मीन दी गई है और वे ऐसा कर रहे हैं।

श्री ए० सी० गुहा: चाय बाज़ार में कुछ सुधार हुआ है इस बात को तथा चाय बग़ीचों के मालिकों को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बगीचों के मालिकों से अपने बगीचों में फिर से कार्य आरम्भ करने के लिये कहेगी, जिससे कि ये मज़दूर फिर से काम पर लगाये जा सकें ?

श्री वी० वी० गिरि: अवश्य, यह प्रश्न तो हमारे सामने पहिले से ही है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

*४१. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का गत पांच वित्तीय वर्षों के अन्त में संवरण शेष कितना था और इस वर्ष के अन्त में अनुमानित शेष कितना है ?

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को गत पांच वित्तीय वर्षों में आय के प्रत्येक सूत्र से किस प्रकार आय हुई थी और परिषद् के नाम कितना धन जमा किया गया था; तथा

(ग) परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा किस प्रकार होती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) एक विवरण जिसमें यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ख) परिषद् को आय निम्न सूत्रों से होती है :

(१) १९४० के कृषि उपज उपकर अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया उपकर ।

(२) भूतपूर्व भारतीय रियासतों (अब भाग 'ख' राज्य तथा कुछ भाग 'ग' राज्य) से प्राप्त धन ।

(३) कुछ विशेष योजनाओं के लिये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान ।

(४) परिषद् के धन के विनियोजन से प्राप्त ब्याज ।

(५) विविध आय ।

एक विवरण, जिसमें, १९४७-४८ से ले कर गत पांच वर्षों में परिषद् के नाम जमा की गई आय दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय राजस्व के महालेखा पाल द्वारा की जाती है ।

श्री ए० सी० गुहा: विवरण में मैं देखता हूं कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का संवरण शेष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है । १९४७-४८ में ६८ लाख से यह १९५२-५३ में १,१८,००० रुपये हो गया । सरकार ने परिषद् के पास इतना संवरण शेष क्यों जमा होने दिया ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस समय कोई राज्य सरकार या विश्वविद्यालय जो भी योजना प्रस्तुत करती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है । अधिक शेष इस कारण है कि हमें वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में अधिक आय हुई । मैं माननीय सदस्य का ध्यान विवरण की ओर दिलाता हूं जिसमें वह देखेंगे कि गत दो वर्षों में अधिक जमा ४६ लाख रुपये तक हुआ । १९४७-४८ तथा १९५२-५३ के शेष में ५० लाख का अन्तर है । परिषद् औसत के अनुसार खर्च करती रही है और अच्छी योजनाओं के होते हुए भी उसने अपने खर्च को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया । सभी अच्छी योजनाओं को स्वीकार कर लिया जाता है ।

श्री ए० सी० गुहा: इन बढ़ते हुए शेष को देखते हुए भी सरकार परिषद् को केन्द्रीय निधि में से प्रतिवर्ष अनुदान क्यों देती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: अनुदान देने की कोई प्रणाली नहीं है । योजनायें प्रस्तुत की जाती हैं और उनमें आधा खर्च हम देते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या कृषि उपज अधिनियम के अन्तर्गत इकट्ठा किया गया उपकर स्वयमेव परिषद् को आय-व्ययक में

जमा अथवा नाम में लिखे बिना परिषद् को दे दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं इस प्रश्न का उत्तर एक दम नहीं दे सकता हूं। मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये। किन्तु जितनी सूचना मेरे पास है, प्रत्येक तिमाही में सीमा शुल्क विभाग इसमें से प्राप्त धन को परिषद् के नाम में जमा कर देता है।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां। यह मामला निरन्तर विचाराधीन है।

अनाजों का लाना ले जाना [खण्ड (ज़ोन) प्रणाली]

*४३. **श्री लक्ष्मण चरक:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में अनाजों को लाने और ले जाने के लिये खण्ड प्रणाली बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; तथा

(ग) क्या जनवरी १९५३ को दिल्ली में जो खाद्य सम्मेलन हुआ था उसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) तथा (ख) ज्वार बाजरा तथा अन्य मोटे अनाजों के लिये खण्ड बनाने के प्रश्न पर एक बार विचार किया गया था और इस विषय में राज्य सरकारों से बातचीत की गई थी किन्तु यह प्रश्न छोड़ दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

हवाई कम्पनियां (आर्थिक सहायता)

*४४. **श्री के० के० बसु :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि :

(क) हवाई कम्पनियों को आर्थिक सहायता किस वर्ष देना आरम्भ किया गया था ;

(ख) विभिन्न कम्पनियों को आर्थिक सहायता किस दर पर दी गई थी ; तथा

(ग) अब तक दी गई आर्थिक सहायता की कुल राशि कितनी है और वह किन किन कम्पनियों को दी गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) पहिली मार्च, १९४९ से।

(ख) पहिली मार्च १९४९ से ३१ मार्च, १९५१ तक की अवधि में भारतीय हवाई कम्पनियों को काम में लाये गये पैट्रोल के प्रति गैलन पर ९ आने की आर्थिक सहायता दी गई। पहिली अप्रैल १९५१ से ३१ दिसम्बर १९५१ तक की अवधि में निर्धारित हवाई परिवहन कम्पनियों को यह ८ आने प्रति गैलन के हिसाब से दी गई ; गैर-निर्धारित सर्विस वाली हवाई कम्पनियों को केवल पहिली अप्रैल, १९५१ से ३० सितम्बर, १९५१ की अवधि में ६ आनें प्रति गैलन के हिसाब से सहायता दी गई। पत्री वर्ष १९५२ में केवल निर्धारित हवाई सर्विस में हवाई कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त पैट्रोल के प्रति गैलन पर ६ आने की आर्थिक सहायता दी जायगी।

(ग) इन दरों के अनुसार अब तक कुल १,४२,८४,९५८ रुपये दिये गये हैं। मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें कम्पनी-वार धन का वितरण दिया हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]**

श्री के० के० बसु : क्या आर्थिक सहायता देने में कोई और भी शर्त थी ?

श्री राज बहादुर : हवाई कम्पनियां अच्छी प्रकार से चल सकें, इसको छोड़कर कोई और शर्त नहीं है ।

फाफामऊ के पास रेल दुर्घटना

*४५. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २२ दिसम्बर, १९५२ को उत्तर रेलवे पर फाफामऊ के पास दो मालगाड़ियां टकरा गईं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो यह टक्कर किन परिस्थितियों में हुई ;

(ग) इस दुर्घटना के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और जो घायल हुए उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) रेलवे सम्पत्ति को कितनी तथा किस प्रकार की हानि हुई ;

(ङ) गैर-सरकारी सम्पत्ति को कितनी तथा किस प्रकार की हानि हुई और कितनी धन राशि के लिये क्षतिपूर्ति मांगी गई है;

(च) दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(छ) क्या दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई ; तथा

(ज) और यदि ऐसा है, तो क्या इससे सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । २२ दिसम्बर १९५२ को सवेरे ५ बज कर ३२ मिनिट के लगभग जब कि २८५ अप गुड्स ट्रेन को फाफामऊ स्टेशन पर लाइन नं० २ से लाइन नं० १ पर ले जाया जा रहा था तो दूसरी ओर से ३०४ डाउन थ्रू गुड्स ट्रेन भी लाइन नं० १ पर आई और २८५ अप गुड्स से बिल्कुल सामने टकरा गई ।

(ग) छै व्यक्ति मारे गये और छै व्यक्तियों को छोटी छोटी चोटें आईं ।

(घ) लगभग १,३७,००० रुपये ।

(ङ) यह मालूम नहीं कि गैर-सरकारी सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ; क्षतिपूर्ति के लिये अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है ।

(च) ३०४ डाउन गुड्स ट्रेन सिगनल न होने पर भी स्टेशन पर आ गई ।

(छ) तथा (ज) । डाउन गुड्स ट्रेन का ड्राइवर जो इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी था स्वयं इसमें मारा गया ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या रेल इंस्पैक्टर ने कोई जांच पड़ताल की है, और यदि ऐसा है, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अलगेशन : जी हां, ज्येष्ट अधिकारियों की एक समिति ने संयुक्त जांच पड़ताल की है, और उनका निष्कर्ष यह है कि ३०४ गुड्स ट्रेन का ड्राइवर इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी था ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि जो व्यक्ति मारे गये थे वे रेल कर्मचारी थे अथवा जन साधारण में से भी थे ?

श्री अलगेशन : मृत छः व्यक्तियों में से पांच ड्राइवर और फायरमैन थे ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सत्य है कि वह गाड़ी स्टेशन पर जितनी रफ्तार से चलनी चाहिये उससे तेज़ रफ्तार से चल रही थी ?

श्री अलगेशन : मुझे इस बात का पता नहीं है किन्तु ड्राइवर सिगनल के न होते हुए भी गाड़ी को वहां ले गया ।

श्री नम्बियार : ड्राइवर, जो कि वहां मारा• गया, की अनुपस्थिति में इस बात का कैसे निश्चय किया गया कि इसके लिए ड्राइवर उत्तरदायी था और गाड़ी अधिक रफ्तार से चल रही थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : जांच पड़ताल करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गयी थी और उसी का यह निष्कर्ष है । यदि एक आदमी मर जाता है तो क्या इससे साक्ष्य भी खत्म हो जाता है ?

श्री नम्बियार : किन्तु उसकी अनुपस्थिति में .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता । माननीय सदस्यों को इसकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिये । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि यदि आवश्यक हो तो उसका संगत भाग दिखा दें ।

अनाजों पर नियंत्रण

*४७. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई राज्य में हाल ही में अनाजों के नियंत्रण में कुछ ढील कर दी गई थी ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितनी ढील की गई थी ;

(ग) क्या पहिली दिसम्बर, १९५२ को अथवा उसके बाद किसी अन्य राज्य में अनाजों के नियंत्रण में कोई ढील की गई थी ; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितनी ढील की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में (अर्थात् ३०,००० से अधिक जन-संख्या वाले शहरों तथा कस्बों और रत्नागिरि ज़िले के कानूनी रूप से राशन वाले पांच कस्बों को छोड़कर अन्य क्षेत्र) २ दिसम्बर, १९५२ से ज्वार, बाजरा तथा अन्य मोटे अनाजों के लाने ले जाने, बेचने और रखने पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो १५ मन से अधिक अनाज रखते हैं और जिन्हें लाइसेंस लेने होंगे और सामयिक रूप से आंकड़े देने होंगे, इन अनाजों के लाने ले जाने, व्यापार करने तथा रखने में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी । ज्वार, बाजरे तथा मोटे अनाजों पर लैवी का लेना भी बन्द कर दिया गया है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब में ।

(घ) पश्चिमी बंगाल : समाहार की पुरानी प्रणाली के स्थान पर (१) १० एकड़ तथा अधिक जमीन रखने वालों पर लैवी लगाई जाती है, तथा (२) कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के बाहर की चावल मिलों द्वारा की गई सभी खरीद पर १/३ तक की लैवी ली जाती है । अन्तर्जिला प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया है और चावल तथा धान राज्य में बे रोक टोक ले जाया जा सकता है, ऐसा केवल कानूनी रूप से राशन वाले क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता । कानून द्वारा राशन की व्यवस्था आसन्सोल और खड़गपुर से हटा ली गई है ।

पंजाब : कानून द्वारा राशन की व्यवस्था के आधार पर होशियारपुर, गुड़गांव, रिवाड़ी और हिसार इन चार शहरों में उचित मूल्य वाली दूकानें रखी जा रही हैं ।

श्री दाभी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मद्रास में, जो कि कमी वाला राज्य है, अनाजों पर से राशन व्यवस्था हटा ली गई है, मैं इस बात का यथार्थ कारण

जान सकता हूं कि बम्बई राज्य में उसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : कमी सब स्थानों पर एक सी नहीं होती ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): बम्बई में मद्रास तथा बंगाल की अपेक्षा अधिक कमी है ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि बम्बई, अहमदाबाद, पूना और शोलापुर इन चार औद्योगिक शहरों को छोड़ कर बम्बई राज्य में कानून द्वारा राशन की व्यवस्था को छोड़ने में क्या कोई विशेष कठिनाइयां हैं ?

श्री किदवई : बम्बई में कमी वाले कई ज़िले हैं । अतः जब तक कि कमी वाले ज़िलों को दी जाने वाली राशन की मात्रा से अधिक मात्रा में पर्याप्त अनाज न दे दिया जाय, तब तक और अधिक ढील नहीं की जा सकती ।

श्री दाभी : क्या मैं उन स्थानों के नाम जान सकता हूं जहां कानूनी रूप से राशन व्यवस्था है और उसके साथ ही लोगों को उचित मूल्य वाली दूकानों से खरीदने की अनुमति है, तथा उन स्थानों के नाम जहां पर ऐसा नहीं किया जाता ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जहां कहीं भी कानूनी रूप से बारह औंस की राशन व्यवस्था है, वहां बाहर से अनाजों को बे रोक टोक नहीं लाने दिया जाता ।

श्री वीरस्वामी : राशनिंग हटा लेने के बाद मद्रास राज्य की खाद्य स्थिति के विषय में केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मद्रास राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास राज्य में उत्तर में श्रीकाकुलम ज़िले से दक्षिण के जिलों में ज्वार-बाजरा ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री किदवई : इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार की नीति उसी परिणाम को प्राप्त करने की है जैसी कि नियंत्रण हटा देने के बाद मद्रास राज्य में है, अर्थात् दुर्भिक्ष, भुखमरी तथा मृत्यु ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमें तर्क नहीं करने चाहियें ।

खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन

*४८. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अभी हाल में विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ;

(ग) उस सम्मेलन में किन किन विषयों पर विचार विमर्ष किया गया था ;

(घ) यदि उस सम्मेलन में कोई निर्णय किये गये थे तो क्या निर्णय किये गये थे ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि खाद्य मंत्रियों ने अनाजों के नियंत्रण में और अधिक ढील करने के पक्ष में अपने विचार प्रकट किये थे ; तथा

(च) यदि उपरोक्त भाग (ङ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का खाद्य मंत्रियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के आधार पर कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । उस सम्मेलन का उद्देश्य निम्नलिखित विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए देश की वर्तमान खाद्य स्थिति पर विचार विमर्श करना था :

(१) अनाजों के आयात पर कम से कम प्रतिबन्ध लगाना तथा बहुत अधिक कमी वालों क्षेत्रों को ही केन्द्र द्वारा अनाज दिया जाना और इसको कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना ।

(२) संचय-निरोधक आदि जैसे अन्य मामले ।

(३) पीड़ित क्षेत्रों के लिये मैसूर की केन्द्रीय खाद्य टैक्नोलोजिकल अनुसन्धान संस्था द्वारा तैयार किया गया मिश्रित खाद्य ।

(४) बेकार पड़ी कृषि योग्य भूमि तथा उसे कृषि योग्य बनाने के लिये कार्यवाही करना ।

(५) कृषिसारों का वितरण ।

(घ) (१) उसमें अनाजों के आयात पर न्यूनतम प्रतिबन्ध लगाने तथा केवल बहुत अधिक कमी वाले क्षेत्रों को ही केन्द्र द्वारा अनाज देने की बात तय हुई थी ;

(२) संचय करने के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना ;

(३) अधिक से अधिक बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करना ; तथा

(४) किसानों को कृषिसारों के वितरण की कार्यविधि को अधिक प्रत्यक्ष बनाना ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री दाभी: क्या उस सम्मेलन में किसी खाद्य मंत्री या मंत्रियों ने यह सम्मति प्रकट की थी कि सभी राज्यों को और अधिक अनाज देने के उद्देश्य से एक दूसरे राज्य में अनाजों के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उस में केवल इस बात को छोड़ कर कि इससे जनता को राहत मिली है नियंत्रण में ढील करने के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : बेकार पड़ी कृषि योग्य भूमि के अधिक प्रयोग किये जाने के प्रश्न पर खाद्य मंत्रियों के इस सम्मेलन में कौन से यथार्थ निर्णय किये गये थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इस बेकार पड़ी भूमि के उचित वितरण, निर्धारण तथा पर्यालोकन करने तथा इसका उन मज़दूरों को जिनके पास ज़मीन नहीं, वितरण करने के लिये कार्यवाही की जायगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या ये ज़मीनें लोगों को बांटी जायेंगी अथवा इनमें खेती सहकारी तरीके से की जायगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये ज़मीन लोगों तथा सहकारी फार्मों, दोनों के लिये दी जायगी ; यही सुझाव दिया गया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उसमें जो मंत्री आये थे उन्होंने अपनी खाद्यान्नों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई मांग पेश की थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इसी काम के लिये तो वे वहां आये थे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या मैसूर की खाद्य अनुसन्धान संस्था बनावटी खाद्य पदार्थ बना रही है, और यदि ऐसा है, तो क्या विभिन्न स्थानों में उनका वितरण किया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बनावटी खाद्य पदार्थों के विषय में तो मैं केवल यही जानता हूं कि वह 'मैसूर मिक्सचर' नाम का एक मिश्रित खाद्य पदार्थ बना सकती है ।

यदि माननीय सदस्य और अधिक सूचना चाहते हैं तो वह मेरे माननीय मित्र श्री मालवीय से इस विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : राज्यों ने जो अपनी आवश्यकतायें व्यक्त की हैं उसके विषय में माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि खाद्यान्नों की मात्रा के सम्बन्ध में केन्द्र का क्या उत्तरदायित्व होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): प्रत्येक राज्य को उसकी वास्तविक आवश्यकतानुसार ही अनाज दिये जायेंगे न कि जो मांगे वे करते हैं उनके अनुसार ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार ने मांगों के आंकड़ों का अनुमान लगाया है ?

श्री किदवई : जी हां, किन्तु मैं समझता हूं कि कुछ ही दिनों बाद एक और प्रश्न पूछा जायगा, तब हम इसे विस्तृत रूप से बता सकेंगे ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या आवश्यकता पर जो विचार किया गया है उसके बारे में अनाज देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

श्री किदवई : उनकी ज़रूरी आवश्यकताओं के अनुसार हम उन्हें प्रतिदिन अनाज दे रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर: उस सम्मेलन में जो कार्यवाही की गई थी और जिन पर विचार किया गया था, उस में मैं देखता हूं कि मुनाफ़ाखोरी के सम्बन्ध में कोई बात नहीं उठी । मैं जान सकता हूं कि क्या उस सम्मेलन में मुनाफ़ाखोरी रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमारा एक १९५२ का केन्द्रीय खाद्यान्न लाइसेंसिंग तथा समाहार आदेश है, और हमारा यह विचार है कि यदि इस के सभी उपबन्धों को कठोरता से लागू किया जाय तो देश में मुनाफ़ाखोरी रुक सकती है ।

श्री वी० पी० नायर: यह प्रश्न नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि उस सम्मेलन में संचय करने के सम्बन्ध में नहीं, अपितु मुनाफ़ाखोरी को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी अथवा उस विषय पर विचार किया गया था । वहां बहुत सी बातें . . .

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हों ने कहा कि इसके लिये एक संविहित आदेश है ।

श्री वी० पी० नायर: मुझे इस का पता है । मेरा प्रश्न यह है कि उस सम्मेलन में इस मामले पर विशेष रूप से विचार किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह समझते हैं कि वर्तमान उपबन्धों से काम निकल सकता है ।

श्री नानादास : जिन मज़दूरों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देने में क्या सरकार ने कोई सीमा निर्धारित की है ?

श्री किदवई: प्रत्येक राज्य वही करेगा जो उस राज्य के लिये अपेक्षित है ।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल ने कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई खाद्य कोटा दिये जाने के लिये कहा है ?

श्री किदवई: उस राज्य ने ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के लिये नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिये मांगा है ।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को यह बात मालूम है कि खेतिहर मज़दूरों को ज़मीन देने के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही से कोई सुधार नहीं हुआ है ?

श्री किदवई: यह प्रश्न मद्रास की विधानपरिषद या विधान-सभा में पूछा जाना

चाहिये । मैं इस प्रश्न को सभी राज्यों को भेज दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

श्री रघवय्या : श्रीमान् जी, इस का सम्बन्ध केन्द्र से है ।

मलेरिया

*५१. **श्री ए० एम० टामस :** (क) स्वास्थ मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि मलेरिया की रोक-थाम के लिये भारत-अमरीकी योजना के अन्तर्गत किन किन योजनाओं को आरम्भ किया गया है ?

(ख) मलेरिया निरोधक कार्यों के लिये किन किन स्थानों पर केन्द्र खोले जायेंगे ?

(ग) क्या मलेरिया आपात का कोई पर्यलोकन करने के पश्चात् स्थान चुन लिये गये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) टैक्निकल सहयोग प्रशासन तथा विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार भारत में एक 'राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना' आरम्भ कर रही है, जिस में राजस्थान को छोड़ कर सभी राज्य भाग ले रहे हैं । इस योजना में १९५५-५६ तक एक 'संचालनात्मक' अवधि तथा बाद की एक 'संधारण' अवधि सम्मिलित है । १९५३-५४ मे विभिन्न राज्यों में पिचहत्तर नियंत्रण युनिटें काम करेंगी जो कि १९५४-५५, १९५५-५६ में १२५ यूनिटों तक बढ़ा दी जायेंगी । प्रत्येक यूनिट दस लाख आदमियों की मलेरिया से रक्षा करेगी ।

(ख) राज्य सरकारें मलेरिया निरोधक कार्यों के लिये खोले जाने वाले केन्द्रों को अपने क्षेत्रों में चुनेगी ।

(ग) मलेरिया आपात के जो आंकड़े राज्य सरकारों को उपलब्ध होते हैं उन के अनुसार उन्हों ने स्थानों को चुन लिया है या चुन लेंगी ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि अनुमानित खर्च क्या है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : क्या आप कुल खर्च पूछना चाहते हैं ? योजना का कुल अनुमानित खर्च १० करोड़ रुपये है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि मद्रास में चुने जाने वाले केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है तथा मद्रास राज्य सरकार को कितनी राशि मंजूर की जायगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मद्रास में यूनिटों की संख्या निर्धारित करने का प्रश्न अभी तय नहीं किया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या यह निर्धारण केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है अथवा राज्यवार ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : यह निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि राज्य सरकारें कितनी यूनिटें मांगती हैं तथा यूनिटों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए उनको कितनी दी जा सकती है ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या स्थानों को चुनने का कार्य पूर्णरूप से सम्बद्ध राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : स्वाभाविकत : इसे राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ना पड़ता है क्योंकि राज्य सरकारें अपना कार्य चलाने के लिये कर्मचारियों, मज़दूरों आदि को वेतन देने के लिये उत्तरदायी है ।

श्री चट्टोपाध्याय : मलेरिया की रोक थाम के लिये भारत-अमरीकी योजना को दृष्टि में रखते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या अमरीकी विशेषज्ञ भारत में एक

विशेष प्रकार का मच्छर लाये हैं और यदि ऐसा है तो उस मच्छर की क्या विशेषतायें हैं ?

खाद्य स्थिति

*५२. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्तमान खाद्य-स्थिति कैसी है ;

(ख) क्या सरकार को फसल न होने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है ; तथा

(ग) वर्ष १९५३-५४ के लिये उस राज्य को जितना खाद्यान्न चाहिये उसकी मात्रा कितनी है तथा केन्द्र ने उसे कितना देने का वचन दिया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) देश में वर्तमान सम्पूर्ण खाद्य स्थिति सामान्य रूप से संतोष जनक है। २४ जनवरी, १९५३ को गतवर्ष की लगभग उसी तारीख को १६·१ लाख टनों की तुलना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास १८·५ लाख टन अनाज था।

बम्बई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद तथा त्रावनकोर-कोचीन के कुछ भागों को छोड़कर गत दो वर्षों की अपेक्षा अच्छी फसल होने की सम्भावना सामान्य रूप से अधिक है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय मूल योजना पत्री वर्षों के आधार पर चलाई जाती है और १९५३ के लिये-मद्रास सरकार ने २५०,००० टन चावल, ७५,००० टन गेहूं तथा ५००,००० टन मोटा अनाज केन्द्र से मांगा है, जिसने कि उस से उपलब्ध होने वाली अनाज की सम्पूर्ण मात्रा में से इन मात्राओं को देने का वचन दिया है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इन अनाजों के निधारित किये गये मूल्य हाल ही में बढ़ा दिये गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केवल कुछ राज्यों में समाहार मूल्य बढ़ा दिये गये हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास में चावल का दाम बढ़ा दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चावल का समाहार मूल्य बढ़ा दिया गया है जिस प्रकार कि वह गत वर्ष बढ़ा दिया गया था पिछले वर्ष यह दाम मौसम के बीच में बढ़ा दिया गया था। जब हम ने देखा कि यह दाम किसान को न मिलकर बीच वाले आदमी को मिलता है तो हम ने इस वर्ष शुरू से ही हमने इसके दाम बढ़ा दिये हैं जिस से कि यह किसान को ही मिल सके। उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी उतनी वृद्धि हुई है जितनी कि गत वर्ष थी। इसमें और अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : अकाल की दशा के कारण लोगों की कम क्रय शक्ति को दृष्टि में रखते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या चावल के दामों में इस वृद्धि से उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ?

श्री किदवई : इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह तो वही किया गया था जो पिछले वर्ष किया गया था। चावल के दाम में एक रुपये की वृद्धि कर दी गई थी, कुछ राज्यों में दामों में दो रुपयों की वृद्धि कर दी गई थी। मई तथा नवम्बर के बीच यह देखा गया कि गेहूं अधिक-

तर बीच वाले आदमियों के हाथ में था। हम ने एसा शुरु से ही किया है।

सेठ गोविन्द दास : खाद्यान्न की स्थिति जब अच्छी बतलाई जाती है तो क्या यह आशा करनी चाहिये कि जो कंट्रोल बाकी है उनको भी निकट भविष्य में खत्म कर दिया जायगा ?

श्री किदवई : इस साल पैदाबार अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि अगर हर जगह फ्री मारकेट कर दिया जाय तो कमी न पड़े। अगर बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में खुला बाजार कर दिया जायगा तो जबलपुर में भी दाम बढ़ जायेंगे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : आप जांच करके हमें यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले कुछ सप्ताह में चावल का दाम बढ़ा दिया गया है ?

श्री किदवई : यह तो पिछले वर्ष में चार महीनों के लिये बढ़ा दिया गया था। इस लिये इस वर्ष भी इसे चार महीनों के लिये बढ़ा दिया गया है।

श्री टी० एन० सिंह : लगभग तीन महीने पहिले माननीय मंत्री ने बताया था कि सरकार के पास लगभग २५ लाख टन अनाज शेष था। मैं जान सकता हूं कि क्या, यह कमी विभिन्न राज्यों को बहुत अधिक अनाज देने के कारण अथवा रबी फसल के भी बाद कम समाहार के कारण हुई है ?

श्री किदवई : १९५२ के पिछले छैः महीनों में कुछ राज्यों में समाहार नहीं किया गया था फिर भी हम काम निकाल ले गये। हमारे पास वर्ष के अन्त में १८ लाख टन शेष था।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि यह बताया जाता है कि गेहूं का आयात मूल्य बढ़ रहा है, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार में होने वाले परिवर्त्तन को दृष्टि में रखते हुए ? क्या सरकार का विचार गेहूं की उतनी मात्रा को ऊंचे दामों पर आयात करने का है ?

श्री किदवई : नहीं हम ऐसी आशा नहीं करते।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी के महीनों में मद्रास में राशन की दुकानों में चावल के दाम एक रुपया प्रति माप (मैज़र) बढ़ गये हैं, और यदि ऐसा है, तो किन कारणों से ये बढ़ गये और मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इसके बाद दाम एक दम न बढ़ जायें ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नियंत्रण में ढील मौसम के अन्त में तथा दक्षिण में वर्षा के अभाव के साथ हुई, चावल के दाम थोड़े से बढ़ गये थे किन्तु जैसी हमें आशा थी फसल के साथ दाम अब गिर रहे हैं। मद्रास में खुले बाज़ार में चावल का दाम सरकार द्वारा दिये जाने वाले चावल के दाम के लगभग समान ही है।

श्री पी० आर० राव : क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद स्टेट में जो इस साल खास हालात पैदा हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंची है ?

श्री किदवई : हैदराबाद स्टेट में खास हालात यह हुए हैं कि वहां पैदावार बहुत हुई है और बाज़ार में कीमत बहुत गिर गई है।

श्री पी० आर० राव : हैदराबाद स्टेट में खास किस्म के हालात हैं। पेपर्स में रोज़ाना उनकी इत्तलाआत आती हैं, खास कर तेलंगाना नलगोंडा और वारंगल जिलों के बारे में .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये। माननीय सदस्य तो केवल सूचना दे रहे हैं।

श्री पी० आर० राव : क्या उन हालात को दूर करने के लिये हकूमत ने कुछ गल्ला देने का फैसला किया है ?

श्री किदवई : वहां से गल्ला हम दूसरी जगहों को भेज रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या बंगाल में ग्रामीण-क्षेत्रों में कहीं पर उचित मूल्य वाली दुकानें बन्द कर दी गई हैं, और यदि ऐसा है, तो कहां और किन कारणों से ?

श्री किदवई : क्योंकि बाहर के दाम उचित मूल्य वाली दुकानों से कम हैं । जब कभी भी आवश्यकता होगी तो चौवीस परगनों में फिर से दुकानें खोलने के लिये सरकार के पास पर्याप्त अनाज इक्टठा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

त्रिदलीय सम्मेलन (चाय उद्योग)

***५३. श्री माधव रेड्डी :** श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९ तथा २० दिसम्बर, १९५२ को कलकत्ते में चाय उद्योग पर जो त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : वे महत्वपूर्ण निर्णय ये थे :

(१) चाय उद्योग के दामों की जांच पड़ताल करने के लिये सरकार द्वारा एक त्रिदलीय आयोग, जिसकी प्रादेशिक उप समितियां भी हों, शीघ्र ही नियुक्त किया जाना चाहिये ।

(२) जब तक आयोग की रिपोर्ट मिल न जाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किया गया शुल्क विभिन्न प्रदेशों के चाय बागों को विशिष्ट दर पर सहायता के रूप में लौटा दिया जाना चाहिये ।

(३) जिन बागों को वर्ष १९५१ तथा अथवा १९५२ में हानि हुई है उनको इस अवधि में जितनी हानि हुई उतना दीर्घ कालीन ऋण दिया जाय ।

(४) उपरोक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिये जाने के बाद तथा जब तक त्रिदलीय आयोग जांच करे उस अवधि में न्यूनतम मजूरी में इस प्रकार का परिवर्त्तन न किया जाय जिस से मजदूरों को हानि हो ।

ये निर्णय समिति द्वारा अंगीकार किये गये एक संकल्प में सम्मिलित किये गये थे । इस संकल्प से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री माधव रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर राशन देने के सम्बन्ध में सरकार ने सम्बद्ध पार्टियों को केन्द्रीय सरकार ने क्या सलाह दी है ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी ने कल इस प्रश्न का विस्तार-पूर्वक उत्तर दिया था ।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि आसाम तथा पश्चिमी बंगाल सरकारों ने त्रिदलीय सम्मेलनों का निर्णय न करते हुए चाय के बगीचों के मजदूरों की मजदूरी को कम कर दिया है ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसा हो सकता है । हम २७ तथा २८ को स्थायी समिति की बैठक में इस पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या इस बीच में दोनों सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये निर्णयों को स्थगित रखने का विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि: जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि इस मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकारें ही काम कर सकती हैं और केन्द्रीय सरकार कोई निर्देश नहीं दे सकती।

श्री आर० के० चौधरी: में जान सकता हूं कि आसाम सरकार ने चाय के बगीचों के मज़दूरों की मज़दूरी को किस तरह से कम कर दिया है ? क्या सरकार ने अतिरिक्त मज़दूरी देना स्वीकार नहीं कर लिया है और मंहगाई भत्ते को चार आने से बढ़ा कर पांच आनें कर दिया है ?

श्री वी० वी० गिरि: यह सूचना तो मुझे माननीय सदस्य से मिल रही है।

श्री पी० टी० चाको : कल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने सदन में बताया कि कलकत्ता में होने वाले त्रिदलीय सम्मेलन में कोई मान्य निर्णय अथवा समझौता नहीं हुआ था। मैं जान सकता हूं कि इस बात का क्या कारण था कि यह तीन दल इस सम्मेलन में किसी प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके ?

श्री वी० वी० गिरि: क्योंकि वे सहमत नहीं हो सके। यह त्रिदलीय नहीं द्विदलीय सम्मेलन था।

श्री नम्बियार : वह कौन सी बात थी जिस पर असहमति थी जिस से कि उसे दूर किया जा सके ?

श्री वी० वी० गिरि : असहमति की बहुत सी बातें थीं। सभी दल इस मामले पर पूरी तरह से बहस कर रहे हैं।

श्री के० के० बसु: क्या सरकार का विचार मज़दूरों की छंटनी किये जाने के बाद जब वह भुखमरी की हालत में होंगे तब एक त्रिदलीय सम्मेलन करने का है ?

श्री वी० वी० गिरि: ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री बी० एस० मर्ति: : मैं जान सकता हूं कि सरकार मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच होने वाले समझौते को क्यों नहीं मान सकी ?

श्री वी० वी० गिरि: इसे व्यवहारिक नहीं समझा गया।

श्री जी० पी० सिन्हा: इस असफलता के लिये कौन उत्तरदायी था ?

श्री वी० वी० गिरि: : कोई नहीं।

खाद्य मूल्य

*५४. **श्री एम० एस० गरुपादस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हाल ही में क्या उतार चढ़ाव था ;

(ख) क्या किन्ही राज्य सरकारों ने हाल ही में खाद्य मूल्यों को बढ़ा दिया है ; तथा

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : सम्भवत: माननीय सदस्य खाद्यानों का निर्देश कर रहे हैं। यदि मेरी बात ठीकहै तो भाग (क), (ख) तथा (ग) भागों के. उत्तर निम्नलिखित हैं :-

(क) सामान्य रूप से खुले बाजार में चावल के दाम या तो कम हैं या उतने ही हैं ; ज्वार बाजरे के दाम उतने ही हैं और बिहार को छोड़ कर, जहां वे कम हो रहे हैं, गेहूं के दाम वैसे के वैसे ही हैं।

(ख) तथा (ग)। सम्बद्ध राज्य सरकारों के कहने पर कुछ मामलों में खाद्यान्नों के समाहार तथा विक्रय मूल्यों को बढ़ा दिया गया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं जान सकता हूं कि खाद्य मूल्य जो कम हो रहे हैं क्या वे देश भर में एक से हैं अथवा उनमें प्रत्येक राज्य में फर्क है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: सब राज्यों के दामों में फर्क है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस अन्तर के विशेष कारण क्या हैं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह वहां की उपज पर निर्भर करता है। यदि देश के किन्हीं विशेष भागों में बर्षा न हो तो ऐसी आशा की जा सकती है कि अतिरेक वाले क्षेत्रों की तुलना में वहां दामों में कम कमी होगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि हाल ही में मैसूर में खाद्य मूल्य बढ़ गये हैं और खाद्य मूल्यों में वृद्धि के कारण वहां आन्दोलन हुआ है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह सत्य है कि मैसूर में पहिली जनवरी १९५३ से विक्रय मूल्यों में वृद्धि कर दी गई थी। उस तारीख से पहिले गेहूं तथा लाल ज्वार लाभप्रद मूल्य कम पर बेचे जा रहे थे और इस हानि को पहिली मार्च १९५२ से गेहूं के संग्रह मूल्य में अनुवर्त्ती कमी के परिणामस्वरूप स्थानीय चावल तथा गेहूं पर होने वाले लाभ से कुछ हद तक पूरा किया गया। चूंकि गेहूं पर लाभ नहीं लिया जा रहा था इसलिये गेहूं तथा लाल ज्वार के विक्रय मूल्य में लाभप्रद मूल्य के लगभग वृद्धि करनी पड़ी थी। ये बढ़ाये गये मूल्य भी मद्रास और बम्बई के विक्रय मूल्यों के बराबर हैं। अब तक वहां की सरकार इसे आर्थिक सहायता दे सकती थी तथा इसे कम मूल्य पर बेच सकती थी। चूंकि आर्थिक सहायता बन्द कर दी गई है और वह सरकार आर्थिक सहायता नहीं दे सकती है इसलिये मूल्य बढ़ गये हैं। किन्तु ये बढ़े हुए मूल्य भी लाभप्रद-मूल्य से कम हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति कम हो रही है खाद्य मूल्यों में हाल ही में जो वृद्धि हुई है उसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत हानि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो केवल तर्क है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हम सहायता कार्य करके लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं जान सकती हूं कि देश के किस भाग में इस समय अनाजों के दाम उचित मूल्य की दूकानों में विक्रय मूल्यों से कम हैं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मद्रास के कुछ स्थानों को छोड़ कर यह दाम विक्रय मूल्यों से कम हैं।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि मालाबार में हाल ही में चावल के दाम बढ़ा दिये गये थे?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह सत्य है कि देश के कुछ भागों में दाम उतने नहीं गिरे जितनी कि हम आशा करते थे। यह भी सत्य है कि दाम इतने अधिक नहीं बढ़े जैसा कि मेरे माननीय मित्र समझते हैं।

श्री दाभी: क्या मैं विभिन्न राज्यों में देशी गेहूं तथा चावल के प्रचलित मूल्य जान सकता हूं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैं बता तो सकता हूं परन्तु यह एक लम्बी सूची हो जायगी।

श्री नम्बियार: स्पष्टीकरण के हेतु, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या मालाबार में चावल के मूल्य में हाल ही में कोई वृद्धि हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उसका उत्तर दे दिया गया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): इस का उत्तर दे दिया गया है ।

श्री वी० पी० नायर: इसका उत्तर नहीं दिया गया है, श्रीमान् ।

श्री किदवई: इसका उत्तर यह था कि मूल्य उतना नहीं गिरा है जितनी कि हम आशा कर रहे थे, परन्तु वह उतना बढ़ा भी नहीं है जितना कि कुछ माननीय सदस्य समझ रहे थे ।

श्री नम्बियार: मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या मालाबार में मूल्य बढ़ गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय: बढ़ा तो है किन्तु इतना अधिक नहीं जिससे कोई घबड़ाहट हो । अगला प्रश्न ।

उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे लाइन

*५५. **श्री भीखाभाई:** क्या रेल मंत्री १५ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर से हिम्मतनगर अथवा मोडासा तक जाने वाली नई रेलवे लाइन को बनाने के प्रस्ताव को यातायात के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है अथवा स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को बम्बई तथा राजस्थान राज्यों का कोई प्रतिनिधि मण्डल मिला जिस ने इस रेलवे लाइन के शीघ्र बनाये जाने की मांग की है ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलवे लाइन के बनाने का काम वर्ष १९५३-५४ में आरम्भ करने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ग). इसका उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) जी हां ।

चार सूत्रीय सहायता निधि (मलेरिया)

*५७. **श्री एन० एम० लिंगम:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत तथा अमरीका की सरकारों के बीच भारत में मलेरिया की रोक थाम करने के काम सहायता देने के लिये चार सूत्रीय सहायता निधि का प्रयोग करने के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ है ;

(ख) वह सहायता किस प्रकार की तथा कितनी है ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार उस समझौते की एक प्रति को सदन पटल पर रखने का है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां । अब तक दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, एक वर्ष १९५२-५३ के लिये और दूसरा वर्ष १९५३-५४ के लिये ।

(ख) यह सहायता डी० डी० टी०, उपकरण, यातायात तथा मलेरिया निरोधक दवाओं के रूप में होगी । अमरीका सरकार द्वारा निर्धारित की गई सहायता की राशि वर्ष १९५२-५३ के लिये ६ लाख ४८ हज़ार डॉलर है तथा वर्ष १९५३-५४ के लिये ५२ लाख डॉलर है ।

(ग) १९५२-५३ से सम्बन्धित कार्य-संचालन समझौता संख्या ९ की प्रतियां तो पहिले ही २५ जून, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २५३ के दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रख दी गई हैं । कार्य

संचालन समझौता संख्या ६ के पूरक विवरण की प्रतियां भी , जिनका सम्बन्ध १९५३-५४ से है, सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयुर्वेद के कालेज

*३२. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री आयुर्वेद की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में ५ मार्च, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४९ के दिये गये उत्तर तथा अनुपूरक विवरण २ का भी जिस में संसद् के पांचवें सत्र में दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही दी हुई है, निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में आयुर्वेद कालेजों में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद वहां के विद्यार्थियों को पद दिये जाने के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो वह निर्णय क्या है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो तो किस समय तक वह निर्णय कर लिया जायगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) से (ग) तक । अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है । यह यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

काबुल को हवाई सर्विस

३४. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान सीमा में से हो कर काबुल को जाने वाले भारतीय वायुयानों के झगड़े के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के असैनिक नभश्चरण अधिकारियों के बीच होने वाले विचार विमर्श के फलस्वरूप कोई वास्तविक समझौता हुआ है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान में निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर भारत अफ़ग़ानिस्तान तक अपने वायुयान चला सके, इस के लिये पाकिस्तान सरकार ने उस सीमा के स्थानों को इस के लिये खोल देने की बात मान ली है । जिन रास्तों के लिये पाकिस्तान सरकार ने बात मान ली है वे ये हैं :—

(१) भारत-लाहोर—फिर वहां से एक २० मील चौड़ी पट्टी पर कंधहार की ओर उड़ सकते हैं किन्तु भारतीय वायुयानों को पाकिस्तान सीमा छोड़ने के बाद सीधे काबुल उड़ने का अधिकार होगा , तथा

(२) भारत-कराची—फिर वहां से एक २० मील चौड़ी पट्टी पर सीधे कंधहार को उड़ सकते हैं ।

पाकिस्तान ने यह अफ़ग़ानिस्तान को हवाई जहाज़ का पर्याप्त पैट्रोल निर्यात करने की बात भी मान ली जिससे कि भारतीय वायुयान वहां फिर पैट्रोल ले सकें ।

हवाई परिवहन कम्पनियों का एकीकरण

*३५. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भारत की सभी हवाई परिवहन कम्पनियों को निकट भविष्य में अपने अधिकार में लेने का है ?

(ख) यदि ऐसा है ,तो क्या वे एक विभाग द्वारा चलाई जायेंगी अथवा उन के लिये एक पथक निगम बनाने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). सरकार का विचार सभी निर्धारित हवाई सर्विस को चलाने के लिये एक संविहित निगम स्थापित करने का है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये सदन में इसी सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

औद्योगिक झगड़े

***३७. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक झगड़ों के सम्बन्ध में अनिवार्य अधिनिर्णय के स्थान पर पारस्परिक विचार विमर्श से झगड़े निबटाने की व्यवस्था रखने का विचार है ; तथा

(ख) औद्योगिक झगड़ों के अधिनिर्णय के लिये स्थापित की गई व्यवस्था के संस्थापन तथा कार्य प्रणाली का वार्षिक व्यय कितना है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सभी सम्बद्ध पार्टियों के परामर्श से सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि परस्पर विचार-विमर्श के सिद्धान्त को सर्वोत्तम प्रकार से किस प्रकार बढ़ावा दिया जाय और उसके साथ ही साथ औद्योगिक झगड़ों के निबटाने में अनिवार्य अधिनिर्णय के प्रयोग को कम किया जाय।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, औद्योगिक झगड़ों के अधिनिर्णय के लिये स्थापित की गई व्यवस्था के संस्थापन तथा कार्यप्रणाली का वार्षिक व्यय लगभग ३,२०,००० रुपये है। राज्य सरकारों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

रेलवे कुलियों से निजी काम लेना

***४२. श्री विट्टल राव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मास्टर तथा रेलवे के अन्य अधिकारी रेल के लाइसेंस प्राप्त कुलियों से बिना पैसे दिये हुए निजी काम करवाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रथा के विरुद्ध दरभंगा के लाइसेंस प्राप्त कुलियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं, हमें मालूम नहीं।

(ख) रेलवे प्रशासन को स्टेशन मास्टर के विरुद्ध १३ कुलियों से २४ दिसम्बर, १९५२ को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, किन्तु यह उनसे निजी काम लिये जाने के सम्बन्ध में नहीं था, अपितु यह तो उनके साथ किये जाने वाले कथितसख्त व्यवहार के सम्बन्ध में था।

(ग) रेलवे तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल पहिले ही की जा रही है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो कार्यवाही आवश्यक समझी जायगी वह यथा समय में की जायगी।

केन्द्रीय कृषिसार समूह

***४६. श्री वेंकटारमन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमोनियम सल्फ़ेट के कृषिसार समूह को वर्ष १९५३ के लिये चलाने का है ;

(ख) क्या सभी निर्माण करने वाली यूनिटें इस समूह में सम्मिलित हो रहीं हैं ;

(ग) १९५३ के लिये इस समूह में अमोनियम सल्फ़ेट की कितनी अनुमानित मात्रा उपलब्ध है ; तथा

(घ) क्या अमोनियम सल्फ़ेट के आयात करने का विचार है और यदि ऐसा है तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। अब तक इस मूह में मैसर्स त्रावनकोर फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अलवेय तथा मैसर्स दि मैसूर फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बेलगूला सम्मिलित नहीं हुए हैं।

(ग) तथा (घ). भारतीय अमरीकी टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५३ में आयात किये जाने वाले लगभग १ लाख टन को मिला कर लगभग ४,८०,००० टन।

बर्मा से चावल का आयात

*५६. **श्री एन० आर० नायडू:** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

क्या अगस्त–दिसम्बर १९५२ में बर्मा से अधिक चावल खरीदा गया है और यदि ऐसा है तो कितनी मात्रा में ?

(ख) क्या इसे सरकार ने सरकार से खरीदा है अथवा इसे व्यापारियों ने खरीदा है ?

(ग) यदि चावल व्यापारियों ने खरीदा हो, तो क्या सरकार ने क्रय मूल्य तथा परिवहन व्यय की छानबीन करने के बाद भारत में विक्रय मूल्य निर्धारित किया है ?

(घ) व्यापारियों को कितना लाभ लेने दिया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) जी हां, १,४०,००० टन।

(ख) वह पूरी मात्रा सरकार ने सरकार से ही खरीदी थी।

(ग) यह उत्पन्न नहीं होता।

(घ) यह उत्पन्न नहीं होता।

ट्रैक्टर केन्द्र

*५८. **श्री के० सी० साधिया:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५२ में स्थापित किये गये ट्रैक्टर केन्द्रों की संख्या कितनी है और कहां कहां स्थापित है ; तथा

(ख) क्या इन केन्द्रों में गैरसरकारी ट्रैक्टरों की भी मरम्मत होती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) भारत सरकार ने अब तक कोई भी ट्रैक्टर केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

*५९. **श्री एच० एन० मुखर्जी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) ने सामान्य मामलों पर सरकार को अपना पंचाट प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायाधिकरण के पंचाट को सदन पटल पर रखने का है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या और कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) (क) अभी तक नहीं, किन्तु पंचाट के बहुत शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(ख) तथा (ग). जब पंचाट प्राप्त हो जायगा तो सरकार उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत भारत के गजट में प्रकाशित करवा देगी। सामान्यतः इस अधिनियम के अन्तर्गत पंचाटों की प्रतियां सदन पटल पर नहीं रखी जाती हैं।

चीनी का निर्यात

*६०. **श्री के० के० बसु:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात पर फिर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; तथा

(ग) देश में चीनी के क्या दाम हैं और इस के निर्यात के क्या दाम हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण ये थे (१) चालू उत्पादनकाल में चीनी के बनाने में काफ़ी कमी की आशा, (२) गुड़ के अधिक दाम होने तथा खांडसारी के कम बनने के कारण देश में चीनी की अधिक खपत होने की सम्भावना, तथा (३) देश की आवश्यकता के लिये चीनी को बचाये रखने तथा मूल्यों को उचित दर पर रखने की वांछनीयता ।

(ग) ३० नवम्बर, १९५२ तक चीनी बनाने वाले मुख्य स्थानों में फैक्टरी के बाहर चीनी के दाम इस प्रकार थे :—

	प्रति मन रु० आ० पा०
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	३० ८ ०
पूर्वी उत्तर प्रदेश	३१ ८ ०
उत्तरी बिहार	३१ ० ०
दक्षिण बिहार	३३ ० ०
बम्बई	२९ १२ ०
मद्रास	२९ १२ ० से ३३ ० ०

पहिली दिसम्बर, १९५२ से उत्तरी भारत में फैक्टरी के बाहर का मूल्य घटा कर २७ रुपये प्रति मन तथा दक्षिण भारत में २८ रुपये प्रति मन कर दिया गया था । १९५२-५३ की चीनी पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है किन्तु फैक्टरी के बाहर इसका २७ रुपये से २९ रुपये ८ आने प्रति मन है ।

निर्यात के लिये कोई पृथक् मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था, किन्तु उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों की चीनी के निर्यात के मामले में पूरा उत्पादन शुल्क तथा गन्ना उप-कर २ रुपया प्रति मन के हिसाब से लौटाया जा सकता था । चूंकि उत्पादन शुल्क तथा गन्ना उप-कर, जहां ये लगाये जाते हैं, को वापिस देने के बाद भी भारतीय चीनी के दाम विश्व समार्हता से अधिक थे, अतः दिसम्बर १९५२ में यह निश्चय किया गया कि जब और जहां आवश्यक हो चीनी को एक विशेष रूप से कम किये गये दाम पर निर्यात करने दिया जाय । यह कमी २ रुपया प्रति मन से अधिक नहीं की जानी थी ।

परामर्श सम्बन्धी व्यवस्था

*६१. **श्री गिडवानी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई राज्य की कुछ व्यापार संस्थाओं तथा मुसाफ़िर यातायात संघ ने रेल बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परामर्श सम्बन्धी व्यवस्था के लिये नामावलि में से नाम निर्देशन करने की नई प्रणाली का विरोध किया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि बम्बई के व्यापारी मण्डल ने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को एक तार भेजा था ;

(ग) क्या यह सत्य है कि बम्बई मुसाफ़िर तथा यातायात सहायता समिति का एक शिष्ट मण्डल रेल बोर्ड के अध्यक्ष से तब मिला जब कि वह हाल ही में बम्बई गये थे और उन से यह प्रार्थना की कि नामावलि में से नाम निर्देशन न किया जाय किन्तु जिन संघों को स्थान प्राप्त करने का अधिकार हो उनकी बात स्वीकार की जानी चाहिये । ;

(घ) क्या सरकार ने उन की प्रार्थना पर विचार किया है ; तथा

(ङ) यदि ऐसा है, तो उनका निर्णय क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) तक, जी हां।

(घ) तथा (ङ)। उन अभ्यावेदनों पर विचार हो रहा है।

कोटा–चितौड़ रेलवे लाइन

३१. श्री भीखाभाई : क्या रेल मंत्री २७ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व कोटा रियासत के सामने कोटा को चित्तौड़ के साथ रेलवे लाइन से मिलाने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) क्या भूतपूर्व कोटा रियासत ने कोटा तथा चित्तौड़ के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन का आरम्भिक पर्यालोकन किया ;

(ग) इस रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं आरम्भ कर रही है ; तथा

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निकट भविष्य में इस रेलवे लाइन का कार्य आरम्भ करने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। जी हां।

(ग) बदली हुई परिस्थितियों के कारण इस परियोजना पर और अधिक विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

रेलवे के अधिकारी

३२. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रेल मंत्री रेलवे के द्वितीय श्रेणी के सम्बन्ध में ५ मार्च, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ के दिये गये उत्तर तथा अनुपूरक विवरण २ का भी, जिस में संसद् के पांचवें सत्र में दिये आश्वासन आदि पर की गई कार्यवाही दी हुई है, निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अधिकारियों को स्थायी न करने के कारण क्या हैं जो कि बहुत वर्षों तक कार्य भारी रुप में कार्य करते रहे हैं जैसा कि उपरोक्त विवरण की क्रम संख्या १४ के भाग (ख) के दिये गये उत्तर में दिखाया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्री मैसी के प्रश्न के उत्तर दिये जाने के बाद से द्वितीय श्रेणी के ६७ अधिकारी स्थायी किये गये हैं और ३५ अन्य अधिकारियों को स्थायी करने के कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे। कुछ और अधिकारियों को तब स्थायी किया जायगा जब पुनर्वर्गीकृत रेलों की पदावलि का संयुक्त वरिष्ठता को निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्णय हो जायगा। शेष अधिकारियों को, जो कि उन अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं जो थोड़ी अवधि के लिये विशेष प्रयोजनों के लिये बनाये गये हैं अथवा जो स्थायी पदावली में अस्थायी रिक्तियों में कार्यकारी रूप में कार्य कर रहे हैं, स्थायी पदावली में स्थायी रिक्तियों के न होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सकता।

टेप-रिले प्रणाली

३३. श्री एस० सी० सामन्त : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से विदेशी तारों को शीघ्र भेजने के लिये द्रुतगति वाली टेप-रिले प्रणाली पहिले पहल कब चलाई गई थी ;

(ख) जब से यह प्रणाली आरम्भ की गई है तब से इस प्रणाली के अन्तर्गत कितने तार भेजे गये हैं तथा कितने प्राप्त किये गये हैं ; तथा

(ग) विदेश संचरण सेवा कार्य संचालक कार्यालय कलकत्ता में कहां स्थित है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १७ नवम्बर, १९५२ से ।

(ख) १७-११-१९५२ सें ३१-१-१९५३ तक भेजे गये तथा प्राप्त किये गये तारों की संख्या इस प्रकार है :—

भेजे गये	प्राप्त किये गये	कुल संख्या
८३,३८०	७७,६६८	१६१,०४८

(ग) केन्द्रीय तार-घर कार्यालय, कलकत्ता ।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

३४. श्री एस० सी० सामन्त: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चौदह अन्नपूर्णा केफटेरिया में तथा नई दिल्ली में केफटेरिया की मोटर गाड़ियों में कितने आदमी काम पर लगे हैं ;

(ख) कर्मचारियों की वेतन की तथा उन के खाने के खर्चे की राशि कितनी है ;

(ग) इन केफटेरिया के संस्थापन व्यय तथा अन्य आवश्यक खर्चों को निकाल देने के बाद अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् की शुद्ध आय कितनी है ; तथा

(घ) अतिरिक्त राशि को किस प्रकार खर्च किया जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) इन में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या ३७९ है ।

(ख) कर्मचारियों की मासिक वेतन की राशि १८,५०० रुपये है तथा उनके प्रति मास खाने का खर्च लगभग ७,८०० रुपये है ।

(ग) मार्च, १९५३ के अन्त तक ३८,५०० रुपये की शुद्ध आय होने का अनुमान है ।

(घ) इसकी शुद्ध आय को परिषद् के कार्यों को बढ़ाने में लगाया जायेगा ।

बम्बई बन्दरगाह

३५. डा० राम सुभग सिंह: क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई बन्दरगाह को एक आधुनिक बन्दरगाह बनाने का है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो, क्या उस बन्दरगाह को आधुनिक बन्दरगाह बनाने में जितना धन लगेगा उसका कोई अनुमान लगाया गया है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) प्रिंसेज़ तथा विक्टोरिया डोक्स को आधुनिक बनाने के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण सुधार करने के हेतु बम्बई पत्तन प्रन्यास द्वारा प्रस्तावित एक योजना को सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ।

(ख) योजना में ४.३० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

स्वास्थ्य मंत्री कल्याण निधि

३६. श्री लक्ष्मण चरक: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री दान निधि का नाम बदल कर स्वास्थ्य मंत्री कल्याण निधि कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो, कब से ;

(ग) इस निधि के नियम तथा उद्देश्य क्या हैं ; और

(घ) इस निधि के आरम्भ होने से अब तक इस में कितना धन इकट्ठा किया गया है और इस निधि को किस काम में लाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी हां।

(ख) २३ दिसम्बर, १९५२ ।

(ग) इस निधि के नियम तथा उद्देश्य भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के १६ फ़रवरी, १९५१ तथा २३ दिसम्बर, १९५२ के संकल्पों में दिये हुए हैं।

(घ) ३१ जनवरी, १९५३ तक ५,४५,४०७ रुपये १४ आने १ पाई इकट्ठे किये गये थे और ३१ जनवरी, १९५३ तक २,०३,८८८ रुपये ४ आने ० पाई व्यय किये गये थे।

इस निधि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये कुछ स्वेच्छा से सेवा करने वाली संस्थाओं और अपने साधनों से अधिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई है।

खाद्यान्न का समाहार

३७. **श्री बी० के० दास:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने १९५३ के लिये खाद्यान्न के समाहार का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने चावल और गेहूं के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निश्चित किये हैं ; और

(ग) किन राज्यों के पास निर्यात के लिये कितना फालतू अनाज होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]**

मत्स्य-पालन का विकास

३८. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने मत्स्य-पालन केन्द्रों के विकास के लिये नारवे सरकार की एक करोड़ क्रोनर की वित्तीय सहायता स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस वित्तीय सहायता के प्रयोग के लिये बनाई गई योजना के ब्यौरे को सदन पटल पर रखने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां। किन्तु यह एक करोड़ क्रोनर की सम्पूर्ण वित्तीय सहायता केवल मत्स्य-पालन केन्द्रों के विकास तक ही सीमित नहीं है। त्रावन्कोर-कोचीन की मत्स्य-पालन सामुदायिक विकास परियोजना पर जिस में कि उस क्षेत्र के स्वास्थ्य तथा सफ़ाई का सुधार भी सम्मिलित है, १९५३-५४ में लगभग ४० लाख क्रोनर व्यय होने की सम्भावना है।

(ख) एक विवरण जिस में परियोजना की विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय के वितरण का ब्यौरा दिया हुआ है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]**

आंधी (क्षति)

३९. **श्री वेंकटारमन:** क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) (१) तंजौर ज़िले और (२) त्रिची ज़िले में उन क्षेत्रों में आई हाल की आंधी से रेलवे की सम्पत्ति को किस हद तक क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या क्षतिग्रस्त स्टेशनों और रेल मार्गों की मरम्मत कर दी गई है ; और

(ग) क्या वेदारण्यम् और अगस्त्यंपल्ली के बीच की लाइन को जो कि आंधी के कारण बह गई है छोड़ देने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हाल की आंधी से रेलवे की सम्पत्ति को जो क्षति पहुंची है उसका अनुमान इस प्रकार है :—

(१) तंजौर ज़िले में ६.०४ लाख रुपये, और

(२) त्रिचनापल्ली ज़िले में १,२८५ लाख रुपये ।

(ख) अगस्त्यंपल्ली और पोएन्ट कालीमेर के बीच की लाइन को छोड़ कर शेष क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत की जा चुकी है । अधिकांश क्षतिग्रस्त स्टेशनों और मकानों की पहिले ही मरम्मत की जा चुकी है और शेष की मरम्मत की जा रही है ।

(ग) जी नहीं । वेदारण्यम् और अगस्त्यंपल्ली के बीच की लाइन की मरम्मत की जा चुकी है । अगस्त्यंपल्ली और पोएन्ट कालीमेर के बीच की लाइन की मरम्मत आरम्भ की जा रही है । यहां लाइन ऐसी टूट-फूट गई थी कि इस की मरम्मत का काम पहिले नहीं आरम्भ किया जा सका ।

रेल यात्रियों के लिये प्लेटफ़ार्म शैड

४०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) एन० ई० रेलवे (उत्तर-पूर्व रेलवे) के किन-किन स्टेशनों पर थर्ड क्लास पैसिंजर शैड बनाये जायेंगे और उन के बनाने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ;

(ख) चितबड़ागांव स्टेशन पर जो एन० ई० रेलवे की बनारस से छपरा वाली लाइन पर है, शैड कब तक बन कर तैयार होगा ; और

(ग) क्या वहां एक इंटर क्लास वेटिंग रूम भी बनाने की व्यवस्था की जायेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर पूर्व रेलवे में प्लैटफ़ार्म को ढकने वाली १,००० फीट शैड प्रति वर्ष बनाई जाती है । चालू वर्ष के दौरान में शैड गौंडा, पीलीभीत, बराडनी जंकशन, भटनी जंकशन, बस्ती, देउरिया, सदर, बनारस सिटी, मोतीहारी, बलिया, इलाहाबाद सिटी, बहराइट तथा फर्रुक्काबाद स्टेशनों पर बनाये जा रहे हैं । मुसाफ़िरी सुविधाओं के कामों का कार्यक्रम स्थानीय मंत्रणा समितियों के परामर्श के साथ तैयार किया जाता है तथा अन्य बातों के साथ उसमें स्टेशनों पर मुसाफिरों के यातायात का हिसाब रक्खा जाता है ।

(ख) चितबड़ागांव के प्लैटफ़ार्म पर सन् १९५४-५५ में शैड बनाने की योजना है ।

(ग) जी नहीं । इस स्टेशन पर प्रति दिन इंटर क्लास मुसाफ़िरों की औसत सात है और इस लिये इंटर क्लास वेटिंग रूम बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

दीसा-कांडला रेलवे लाइन

४१. **श्री दाभी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दीसा-कांडला रेलवे लाइन बन चुकी है और उस पर पूरी तरह काम होना प्रारम्भ हो गया है ?

(ख) देश को इस रेलवे लाइन से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

(ग) इस रेलवे लाइन को बनाने की कुल लागत तथा प्रति मील लागत कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग)। गोंधीधाम (कांडला के नये पत्तन से लगभग ७ मील) से दीसा तक, जो लगभग १७० मील का फासला है, रेलवे लाईन बनाई गई है तथा यह २-१०-१९५० को चालू कर दी गई थी । इस लाइन की लागत ५.६७ करोड़ रुपये

प्राक्कलित की गई है जो ३.३२ लाख रुपये प्रति मील आती है किन्तु ठीक ठीक लागत समस्त खर्चे का पूरा पूरा हिसाब लगा चुकने के बाद ही आगणित किया जायगा ।

(ख) इस लाइन के लाभ यह हैं कि यह नये बड़े पत्तन कांडला तथा राजस्थान, मध्य-भारत के भाग, पंजाब और दिल्ली तथा पच्छिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के मध्य रेल सम्बन्ध स्थापित करता है । यह इतिहास में प्रथम बार कच्छ को कच्छ की रान के ऊपर रेल की क्रासिंग द्वारा पूरे भारत से सम्बन्धित करता है ।

भारतीय भेषज

४२. **श्री जजवाड़े** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगी कि १०, ११ और १२ अक्टूबर १९५२ को केन्द्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय भेषज सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : केन्द्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की कोई बैठक सन् १९५२ में नहीं हुई थी । इस आधार को लेकर कि माननीय सदस्य अगस्त-सितम्बर, १९५० में हुए स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यसूची के मद १ हैं, मैं माननीय सदस्य का ध्यान ५ मार्च, १९५२ को डाक्टर वी० सुब्रह्मण्यम् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४९ तथा २७-६-१९५२ को श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के अपने द्वारा दिये गये उत्तरों की ओर आकर्षित करूंगी । देशी औषध प्रणाली पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने हैदराबाद में हुई जनवरी, १९५३ की अपनी बैठक में भी विचार किया था । इस प्रश्न पर अग्रेतर विचार-विमर्श परिषद की अगली बैठक तक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (छूट)

४३. **श्री बंसल**: क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कर्मचारी भविष्य-निधि अधि-नियम, १९५२ की धारा १७ के अंतर्गत कितनी फैक्टरियों नें छूट की अर्जी दी है ; और

(ख) अब तक कितनी फैक्टरियों को छूट दी जा चुकी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) (१) धारा १७ (क) के अन्तर्गत छूट के लिये अब तक ४८० कारखानों ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं । सम्भव है कि कुछ और प्रार्थना पत्र आएं ।

(२) धारा १७ (ख) के अन्तर्गत केवल एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) छूट का कोई आदेश निर्गमित नहीं किया गया है । छूट की औपचारिक अधिसूचनाएं निर्गमित की जाने के पूर्व कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों का निपटारा होना है । विचाराधीन मामलों के निपटारे के अधीन रहते हुए यह आशा की जाती है कि जितने कारखानों ने छूट की प्रार्थना की है उनमें से कोई ७० प्रतिशत कारखानों को छूट दे दी जायगी ।

कर्मचारियों की भविष्य निधि सम्बन्धी अधिनियम (अंशदान)

४४. **श्री बंसल**: क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कर्मचारियों की भविष्य निधि सम्बन्धी अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत कितने कारखाने आते हैं ;

(ख) उन कारखानों के अन्तर्गत कितने मज़दूर हैं ; तथा

(ग) जनवरी १९५३ में कुल कितना अंशदान प्राप्त हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):

(क) लगभग १,६८० ।

(ख) लगभग १३,७७,००० ।

(ग) जानकारी इकठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कुलू वैली ट्रांसपोर्ट कम्पनी

४५. श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या रेल मंत्री दिनांक ६ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के संबंध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुलू वैली ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड के मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और क्या सरकार का विचार सदन पटल पर रिपोर्ट रखने का है ;

(ख) क्या सरकार को कम्पनी के कर्मचारियों से उनके वेतनों का भुगतान न किये जाने की शिकायतें मिली हैं, तथा यदि मिली हैं तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई पग उठाया है ;

(ग) क्या सरकार को जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस मार्ग पर कोई वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई है ; तथा

(छ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो जांच पूरी करने में कितना समय लग जायेगा और क्या जांच पूरी होने तक सरकार का विचार कोई अन्तरिम कार्यवाही करने का है जिससे कर्मचारियों तथा जनता की विभिन्न शिकायतें दूर हो सकें ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन):

(क) कुलू वैली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के मामलों की जांच पूरी हो चुकी है । सदन पटल पर रिपोर्ट रखने के प्रश्न पर विचार उस समय किया जायेगा जब सरकार इस विषय में अन्तिम विनिश्चय कर चुकेगी ।

(ख) जी हां । इस समय सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

(ग) तथा (घ) । कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए है तथा, जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बतलाया जा चुका है, संपूर्ण विषय इस समय विचाराधीन है ।

निर्वाह-व्यय देशना

४६. श्री पी० सी० बोस: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत की तथा बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और झरिया के औद्योगिक क्षेत्रों की सन् १९३९, १९४७ तथा १९५२ में निर्वाह व्यय देशना क्या थी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० पी० गिरि): सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

केन्द्र का नाम	निर्वाह-व्यय के संकलित देशनोकों की आधार कालावधि	निर्वाह-व्यय देशनांक का वर्ष		
		१९३९	१९४७	१९५२
बम्बई	जून १९३४ में समाप्त होने वाला वर्ष	१०६	२७९	अभी प्रकाशित नहीं हुआ
अहमदाबाद	जुलाई १९२७ में समाप्त होने वाला वर्ष जो अगस्त १९३९ कर दिया गया—१००	१०७	३००	,,
मद्रास	जून १९३६ में समाप्त होने वाला वर्ष	१०१	२७२	,,
कानपुर	अगस्त १९३९—१००	१०७	३७८	,,
कलकत्ता	अगस्त १९३९—१००	१०८	३०९	,,
झरिया	वर्ष ११४४—१००	संकलित नहीं किया गया	१३९	,,

मद्रास राज्य में तूफान

४७. **श्री नम्बियार:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में मद्रास राज्य में तूफान से क्षतिग्रस्त समस्त रेल कर्मचारियों को सरकार ने एक एक मास का वेतन दिया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि अस्थायी तथा आकस्मिक श्रमिकों को उक्त राशि नहीं दी गई है तथा यदि हां तो क्यों नहीं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन राशियों का बारह किस्तों में ही पुनर्भुगतान किया जाना है जब कि मद्रास सरकार ने अपने कर्मचारियों से चौबीस किस्तों में वसूली की जाने का आदेश दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रकमें भी चौबीस किस्तों में ही वसूल करने का है ;

(ङ) क्षतिग्रस्त लोगों की सहायतार्थ अन्य क्या क्या पग उठाये गये हैं ;

(च) क्या क्षतिग्रस्त लोगों को तूफ़ान आने वाले दिन तथा उसके बाद के दो दिनों की आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की गई थी ;

(छ) क्या इस संबंध में कर्मचारी-वर्ग या मज़दूर संघ द्वारा भी कोई प्रार्थना की गई थी ; तथा

(ज) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख)। तूफ़ान पीड़ित क्षेत्र में सब स्थायी कर्मचारियों को १-१२-१९५२ को एक एक मास का वेतन दिया गया था । यह राशि उन अस्थायी कर्मचारियों को भी दी गई थी जिन्होंने ऐसे स्थायी कर्मचारियों की ज़मानतें पेश कर दी थीं जो मज़दूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं । यह राशि कोई १६,००० स्थायी तथा कोई १,६०० अस्थायी कर्मचारियों को दी गई थी । हां, जो अस्थायी कर्मचारी अपेक्षित जमानतें प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें यह रक़म नहीं दी गई ।

(ग) जो रक़म दी गई है उसकी वसूली १२ मासिक किस्तों में की जानी है । मद्रास सरकार द्वारा अनुसरित प्रक्रिया क विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जो कर्मचारी बेघर हो गये थे उन्हें अस्थायी रूप से सवारी गाड़ी या मालगाड़ी के डिब्बों में रखा गया । क्षतिग्रस्त रेलवे क्वाटरों की मरम्मत करने के लिये भी शीघ्र कार्यवाही की गई ।

(च) गोल्डन रौक स्थित कारखाने के समस्त अ स्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों को नियमों को ढीला करके आधे औसत वेतन पर उनकी १ तथा २ दिसम्बर १९५२ को अनुपस्थिति की छुट्टी दे दी गई ।

(छ) तथा (ज) जी हां । उपरोक्त सीमा तक प्रार्थनाऐं मान ली गईं ।

त्रावनकोर-कोचीन को खाद्यान्न की बांट

४८. **कुमारी एनी मस्करीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य को १९५३ के लिये आवंटित खाद्यान्न का अभ्यंश ;

(ख) उस राज्य को कौन कौन से खाद्यान्न आवंटित किये गये हैं ; तथा

(ग) क्या अभ्यंश में टूटे हुए चावल बिना साफ किये हुए चावल तथा उबले हुए चावल भी शामिल हैं तथा यदि हैं तो कितनी कितनी मात्रा में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) । तीन लाख टन चावल और गेहूं की उतनी मात्रा जितनी कि उसे ज़रूरत हो ।

(ग) चावल के अभ्यंश की तफ़सील निर्धारित नहीं की गई है ।

मशीनों में ईंधन के रूप में काम आने वाले तथा मशीनों के पुर्ज़ों में डाले जाने वाले तेल (आर्थिक सहायता)

४९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री मशीनों में ईंधन के रूप में काम आने वाले तथा मशीनों के पुर्ज़ों में डाले जाने वाले तेलों के सस्ते दामों पर बेचे जाने के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में दिनांक १८ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर की ओर निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि प्रयोजनों के लिये मशीनों में ईंधन के रूप में काम आने वाले तथा मशीनों के पुर्ज़ों में डाले जाने वाले तेलों के सस्ते दामों पर बेचे जाने के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता के प्रश्न पर मद्रास सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक १५ दिसम्बर १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

अजनी रेलवे स्टेशन

५०. **श्री के० जी० देशमुख**: क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मध्य रेलवे पर नागपुर के निकट "अजनी" रेलवे स्टेशन को पुनः खोल देने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विनिश्चय किया है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त स्टेशन को पुनः खोलने में कितना समय लग जाने की संभावना है ; तथा

(घ) इस रेलवे स्टेशन के बन्द किये जाने के क्या कारण थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन):

(क) जी हां जुलाई १९५२ में नागपुर की स्थानीय रेलवें सलाहकार समिति के एक सदस्य द्वारा अजनी को यात्रियों के बुकिंग के लिये खोलने के संबंध में जिसके लिये वह पहले कभी नहीं खुला था एक अभ्यावेदन आया है ।

(ख) जी हां । प्रस्ताव क्रियात्मक रूप देने योग्य नहीं पाया गया क्योंकि अजनी मार्शलिंग यार्ड इस तरह से बना हुआ है कि उस में फेर-बदल करने में जो ख़र्चा होगा वह प्रत्याशित आय के मुक़ाबले में बहुत अधिक बैठेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अजनी यात्रियों के आने जाने के लिये कभी खुला नहीं था ।

छोटी सिंचाई परियोजनायें

५१. **श्री के० जी० देशमुख**: (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य भारत सरकार ने अपने राज्य की छोटी सिंचाई परियोजनाओं की एक विस्तृत योजना भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दी है ?

(ख) इस योजना की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से कितने रुपये की सहायता मांगी है ?

(ग) क्या अब तक कोई रुपया मंजूर हुआ है यदि हां तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) १३२.१५ लाख रुपये का ऋण और ३१,३५,२५० रुपये अनुदान ।

(ग) ४०,४५,५०० रुपये का ऋण और १५,६५,२५० रुपये का अनुदान ।

दिल्ली दूध वितरण योजना

५२. **श्री झूलन सिन्हा: खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ओर से दिल्ली में दूध के वितरण की योजना में भैंस के दूध का वितरण भी शामिल है और क्या इसी दूध का वितरण अधिक होता है ;

(ख) क्या गायों के साथ साथ भसों का पाला जाना विश्व के डेरी विशेषज्ञों द्वारा डेरी उद्योग के तथा गायों की नस्ल के विकास की दिशा में एक ठीक क़दम माना गया है ; तथा

(ग) भैंसों के मुकाबले में गायों की कुल संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है जो भारत सरकार के खर्चे पर पाली जाती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री(श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) विश्व के अधिकांश देशों में विशेषत: पश्चिम में गाय का एक डेरी पशु के रूप में विकास किया गया है ; परन्तु उष्णकटिबन्धीय देशों में गाय के साथ साथ भैंस का भी डेरी पशु के रूप में काफ़ी महत्व है और भारत में आधे से कुछ अधिक दूध भैंस से ही मिलता है । चूंकि गाय का भारत की कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था में विशेष महत्व है अत: उसके विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पास दूध योजना के अन्तर्गत या वैसे भी कोई जानवर नहीं हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, भारतीय पशु चिकित्सा संबंधी अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर, भारतीय डेरी अनुसंधान संस्था, बंगलौर द्वारा तथा करनाल में मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित फ़ार्मों में गायों तथा भैंसों की संख्या एवं प्रतिशतता इस प्रकार है :

	गायों की संख्या	भैंसों की संख्या	प्रतिशतता गाय	प्रतिशतता भैंस
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	२३	...	१००	शून्य
भारतीय डेरी अनुसंधान संस्था	१५५	१७	९०	१०
भारत्तीय पशु चिकितसा संबधी अनूसंधानसंस्था	२८३	...	१००	शून्य
करनाल फार्म	३६२	...	१००	शून्य

गोपालगंज सारन के लिए टेलीफोन कनैक्शन

५३. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गोपालगंज सारन के सब-डिवीज़नल नगर में टेलीफ़ोन कनैक्शन लगाने की आवश्यकता पर लोक सभा के एक सदस्य ने उनका ध्यान दिलाया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है और कोई फ़ैसला किया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) नगर में टेलीफ़ोन सुविधायें देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

सिंचाई योजनायें

५४. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, और १९५२-५३ में कुल कितने एकड़ भूमी कि सिंचाई की गई है ; तथा

(ख) सिंचाई वाले इन क्षेत्रों से इन वर्षों के अन्दर विभिन्न फ़सलों का अनुमानित उत्पादन कितना था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । १९४९-५० में ४८७ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की गई थी । उसके बाद के वर्षों के आंकड़े अभी नहीं आये हैं । सिंचाई वाली भूमि पर विभिन्न फ़सलों के उत्पादन के अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

श्रम विवाद

५५. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्दर आने वाली विभिन्न औद्योगिक फ़र्मों में हुई हड़तालों की कुल संख्या ;

(ख) कितने जन-घंटों की हानि हुई ;

(ग) कुल कितने उत्पादन का नुक़सान हुआ ; तथा

(घ) उन विवादों की संख्या जिन्हें हड़ताल के समय में न्याय निर्णयन के लिये निर्दिष्ट किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (घ) सूचना इकठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

हेड पोस्ट आफ़िस, जेयपुर

५६. **श्री संगण्णा** : **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेयपुर (उड़ीसा) में किस तारीख को हैड पोस्ट आफ़िस (मुख्य डाकघर) खोला गया था ;

(ख) इस हैड पोस्ट आफ़िस के खोलने पर कितना ख़र्चा हुआ ; तथा

(ग) इस डाकघर का औसत मासिक आय तथा व्यय कितना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ अक्टूबर, १९५२ को ।

(ख) तथा (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

'पोंगल' त्यौहार

५७. **श्री संगण्णा** : **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हर वर्ष जनवरी में आने वाला 'पोंगल' त्यौहार दक्षिण भारत के लोगों के लिये एक बड़ा त्यौहार है परन्तु उड़ीसा डिवीज़न में उस दिन डाकघरों की छुट्टी नहीं होती ;

(ख) क्या उस दिन डाकघरों की

छुट्टी करने के बारे में जनता ने या सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो 'पोगंल' त्यौहार को उड़ीसा डिवीज़न में डाकघरों की छुट्टी करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना सोचती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । पोगंल त्यौहार के दिन उड़ीसा सरकार भी डाकघरों की छुट्टी नहीं करती ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (संकल्प)

५८. श्री चिनारिया: (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वार्षिक बैठक में जो ७ जनवरी १९५३ को हुई थी, कितने और क्या क्या संकल्प पारित किये गये थे ?

(ख) श्री हीरा सिंह चिनारिया द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का पाठ क्या था ?

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) दो–एक के द्वारा १९५१-५२ की वार्षिक रिपोर्ट तथा १९५०-५१ के परीक्षित लेखाओं को स्वीकर किया गया और दूसरा सूखी खेती (ड्राई फ़ार्मिङ्ग) के बारे में था ।

(ख) परिषद् की राय है कि चूंकि देश में बंजर ज़मीन का क्षेत्रफल बहुत काफ़ी है जहां सिंचाई नहीं हो सकती और खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये जिसका विकास करना आवश्यक है और चूंकि सिंचाई परियोजनाओं की अपनी भी सीमा है, इसलिये सूखी खेती की प्रणाली को कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रचार में उचित स्थान दिया जाना चाहिये जिससे कि अनावृष्टि के कारण इन क्षेत्रों में अकाल की हालत न होने पाये और इसके लिये––

(१) इस विषय से संबंधित एक विशेषज्ञ को भारत सरकार के सलाहकार रूप में नियुक्त किया जाये ।

(२) इन क्षेत्रों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिये उन विशेष प्रकार के बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में से एक स्थान पर एक अग्रिम सामुदायिक परियोजना आरम्भ की जाय ।

(३) सरकारी विकास योजनाओं में जो क्षेत्र हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

(ग) अनुसंधान–सूखी जगहों में खेती करने के तरीके मालूम करने के संबंध में बम्बई, पंजाब, मद्रास तथा हैदराबाद के अनुसंधान केन्द्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुदान से बहुत अधिक काम पहिले ही किया गया है । वर्तमान अनुसंधान में किसी कमी को पूरा करने के लिये अथवा स्थानीय दशाओं के उपयुक्त होने के अभिप्राय से अग्रेतर अनुसंधान जहां भी आवश्यक हो परिषद् वहां ऐसा करने को तैयार है ।

प्रदर्शन तथा विस्तार–१. एक विवरण, जिसमें राज्यों में सूखी जगहों में खेती करने के तरीके लागू किये जाने वाली परियोजना, जिसे भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है, दी हुई है, १४ नवम्बर १९५२ को माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के भाग (ख) के दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखा गया था ।

२. पूरे देश में कृषि विस्तार सेवा स्थापित करने से सरकार को यह आशा है कि यह अधिक भूमि पर लागू हो सकेगी ।

३. एक टैकिनकल समिति इस प्रश्न पर अग्रेतर विचार करने तथा ऐसे सादे

तरीकों का सुझाव देने के लिये बनाई गई है जिन्हें किसान आसानी से काम में ला सकें अथवा जिन्हें कृषि विस्तार कर्मचारियों द्वारा तथा सामुदायिक परियोजना वाले क्षेत्रों में जहां स्वेच्छापूर्वक काम करने वाले आदमी मिल जायें उनके द्वारा कार्यान्वित करने में कुछ अधिक अतिरिक्त खर्च न आये ।

प्रकाशन तथा प्रचार–सूखी जगहों में खेती करने के विषय में एक छोटी पुस्तिका पहिले ही निकाल दी गई है । कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं के प्रयोग के लिये खेती करने की सूखी जगह में खेती करने की प्रणाली के विषय में एक पुस्तिका निकालने का विचार है तथा ग्राम कार्यकर्त्ताओं के प्रयोग के लिये उसी विषय पर एक पैम्फलेट निकालने का विचार है ।

वायुयान दुर्घटनायें

५९. ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में जितनी वायुयान दुर्घटनायें हुई उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उन दुर्घटनाओं के होने के कारण क्या हैं ; तथा

(ग) कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) तक । मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**

हवाई अड्डे

६०. ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ में कितने नये हवाई अड्डे बनाये गये थे ?

(ख) उस अवधि में कितनी नई हवाई सर्विस चलाई गई थीं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तीन ।

(ख) चार ।

प्रोमिन

६१. श्री एन० आर० नायडू : (क) **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि जापानी सरकार ने भारत को "प्रोमिन" के, जो कि कुष्ट की एक खास दवा बताई जाती है कुछ बक्से भेंट के रूप में दिये हैं ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि टोकियो स्थित भारतीय दूतावास ने इस दवा के प्रभावोत्पादकता की जांच पड़ताल की है और यदि ऐसा है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

(ग) क्या अभी तक भारत में उस दवा का प्रयोग किया गया है ?

(घ) क्या यह सामान्य व्यक्ति को मिल सकेगी और क्या वह उसे खरीद सकता है ?

(ङ) क्या वास्तविक-बीमारों को प्रतिष्ठित तथा अभिज्ञात अस्पतालों के द्वारा इस दवा को बिना किसी कठिनाई के दिये जाने के संबंध में कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) कुष्ट रोग के इलाज के लिये जापानी सरकार से कुछ 'दवायें' भेंट के रूप में प्राप्त हुई हैं, किंतु अब तक जो बक्से प्राप्त हुये हैं उन में "प्रोमिन" नहीं है जो कि पार्क डेविड एण्ड कम्पनी द्वारा बनाई गई कुष्ट निरोधक दवा का व्यापारिक नाम है ।

(ख) इसके विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी हां । कुष्ट रोग के इलाज में सलफ़ोन दवाओं का प्रयोग तो भारत में पहिले से ही मालूम है ।

(घ) जी हां । एक भारतीय फ़र्म पहिले से ही सलफ़ोन दवायें बना रही है ।

(ङ) कुष्ट रोग के अस्पतालों में यह दवा बिना किसी कठिनाई के मिलती है ।

सौजर और नरसिंहपुर के बीच राष्ट्रीय राज पथ

६२. **श्री सैय्यद अहमद :** (क) **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में सौजर तथा नरसिंह पुर के बीच वाली सड़क राष्ट्रीय राजपथ है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि यह सड़क बुरी हालत में है ?

(ग) इस सड़क की अन्तिम बार मरम्मत कब हुई थी ?

(घ) क्या इस सड़क की हालत के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं और यदि ऐसा है तो इसकी मरम्मत के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) संभवतः सागर-नरसिंहपुर सड़क के बारे में पूछा जा रहा है, यदि ऐसा है तो इसका उत्तर हां है ।

(ख) तथा (ग) । स्वयं माननीय सदस्य की केवल एक शिकायत नरसिंहपुर-करेली सड़क की हालत के बारे में गत नवम्बर में प्राप्त हुई थी जिसके विषय में राज्य के मुख्य इंजीनियर से बातचीत हो रही है ।

(ग) टुकड़ों की मरम्मत तथा दोनों ओर के किनारों की मरम्मत के रूप में सड़क की देख भाल तो बराबर होती रहती है और यह काम पूरे वर्ष भर किया जाता है । सड़क की पूरी पूरी मरम्मत तो प्रत्येक वर्ष में उसके टुकड़ों की बारी बारी से मरम्मत के रूप में की जाती है ।

कालका-शिमला रेलवे लाइन

६३. **श्री एन० प्रभाकर : रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कालका से शिमला तक एक रेलवे लाइन चला रही है जिससे वह बहुत अधिक लाभ उठा रही है और यदि ऐसा है, तो लाभ की कुल राशि कितनी है और प्रति मील रेलवे के दर क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कालका से शिमला तक जो रेलव लाइन है वह उत्तर रेलवे के अखंड भाग के रूप में चलती है और लाइन के इस भाग के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । कालका-शिमला भाग पर सामान्यतः स्टैंडार्ड दर लागू होते हैं किंतु किराया बढ़े हुए मील के आधार पर लगाया जाता है, अर्थात् वास्तविक मील से चार गुना अधिक ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

६४. **श्री रघवय्या :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से उद्योग हैं जिन में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू कर दिया गया है तथा राज्य-वार यह किन तिथियों को लागू किया गया था ;

(ख) राज्य-वार वे उद्योग कौन से हैं जहां यह अधिनियम लागू नहीं किया गया है ; तथा

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट उद्योगों में इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग) तक । प्राप्त सूचना सदन पटल

पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]

पूरी सूचनायें मंगाई गई हैं और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेंगी ।

चावल तथा गेहूं की औसत उपज

६५. **श्री के० के० बसु:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत दस वर्षों में चावल तथा गेहूं को प्रति एकड़ औसत उपज कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत में चावल तथा गेहूं की प्रति-एकड़ औसत उपज ।

(क्षेत्र तथा उत्पादन के सरकारी आंकड़ों पर आधारित)

(पौंड)

वर्ष	चावल	गेहूं
१९४२–४३	७४६	६५५
१९४३–४४	८१०	६०५
१९४४–४५	७५३	६०८
१९४५–४६	७२२	५४७
१९४६–४७	७५०	४४५
१९४७–४८	७३९	५९९
१९४८–४९	६९८	५६६
१९४९–५०	६८८	५८४
१९५०–५१	५९८	५९२
१९५१–५२	६३२	५५६
औसत १९४२-४३ से १९५१-५२ तक	७१४	५७६

नोट:–(१) चावल की प्रति-एकड़ उपज साफ़ किये हुए चावल के संबंध में है ।

(२) १९५१-५२ के आंकड़ों में परिवर्त्तन हो सकता है ।

सत्यमेव जयते

शनिवार,
१४ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, १४ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई [**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सुशील कुमार पटेरिया ने एक पत्र द्वारा ११ फरवरी, १९५३ से ३ मार्च १९५३ तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है, क्योंकि १७ फरवरी को देहरादून में उन का विवाह होना है। क्या सदन की इच्छा है कि उन्हें अनुमति दी जाये ?

बहुत से माननीय सदस्य : जी हां।

अनुमति प्रदान की गई।

खादी तथा अन्य हाथकर्घा उद्योग (विकास) उपकर विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि खादी तथा अन्य हाथकर्घा उद्योगों के विकास और खादी तथा अन्य हाथकर्घा कपड़े के विक्रय को बढ़ाने के प्रयोजन के लिये रुपया इकट्ठा करने के लिए उपकर लगाने तथा इकट्ठा करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खादी तथा अन्य हाथकर्घा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खादी तथा अन्य हाथ कर्घा उद्योगों को विकसित करने और खादी तथा अन्य हाथ कर्घा कपड़े के विक्रय को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए रुपया इकट्ठा करने के लिए कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने तथा इकट्ठा करने वाले एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

स्वेच्छापूर्वक वेतन कटौती (करारोपण से छूट) संशोधन विधेयक

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वेच्छापूर्वक वेतन कटौती (करारोपण से छूट) अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री त्यागी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

खाद्य अपमिश्रण विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं खाद्य में अपमिश्रण को रोकने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

चाय विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं संघ द्वारा चाय उद्योग पर नियन्त्रण करने वाले और इस प्रयोजन के लिए एक चाय बोर्ड स्थापित करने और भारत से निर्यात की जाने वाली चाय पर उत्पाद-शुल्क लगाने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सम्पदा शुल्क-विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा सम्पदा-शुल्क विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को ३१ मार्च, १९५३ तक बढ़ा दिया जाये, क्योंकि हम ने अनुभव किया है कि हम ने इस विधेयक की पेचीदगी का ठीक अनुमान नहीं लगाया और उतनी प्रगति नहीं की जितनी कि हमें करने की आशा थी। हमें आशा है कि प्रतिवेदन इस तिथि से पहले ही प्रस्तुत किया जा सकेगा । तथापि यह कहना कठिन है कि कितने पहले। इस लम्बी अवधि के लिए इस लिये प्रार्थना की गई है ताकि हमें सदन से पुनः प्रार्थना न करनी पड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ३१ मार्च, १९५३ तक बढ़ा दी जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन का कार्यक्रम

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : श्रीमान्, हमें जो पत्रिका दी गई है, उसमें बतलाया गया है कि २४

विधेयक पुरःस्थापित किये जा चुके हैं और ४२ नये विधेयक इस सत्र में पुरः स्थापित किये जायेंगे । कार्यक्रम से पता चलता है कि विधान निर्माण कार्य के लिए हमारे पास केवल २० दिन होंगे । अतः हमारे लिये यह जानना आवश्यक है कि कौन से विधेयकों पर पहले विचार किया जायगा । यदि एक सप्ताह पहले ही हमें बतला दिया जाये कि किन विधेयकों पर विचार किया जायेगा तो यह हमारे लिये बहुत सुविधाजनक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहूंगा कि प्रत्येक शनिवार को या किसी सप्ताह के अन्तिम दिन को, सदन के नेता अगले सप्ताह का काम सदन को पढ़ कर सुना दिया करें, ताकि माननीय सदस्य तैयार हो कर आयें और क्रम को कभी न बदला जाये, सिवाय उस समय के जब कि विशेष परिस्थितियां हों ।

मैं यह भी चाहूंगा कि जहां तक हो सके हम ब्रिटिश लोक सभा में प्रचलित इस प्रथा का अनुसरण करें कि आदेश पत्र में रखे गये मामले नियत समय के अन्दर अन्दर निपटा दिये जायें, ताकि सदन को ठीक ठीक ज्ञात हो सके कि अगले मामले पर कब विचार किया जायेगा । हम चाहते हैं कि हम इस सत्र में जितना काम हम से संभव हो कर दें । मैं आशा करता हूं कि यह सूचना सदन के माननीय नेता को भी दे दी जायेगी और वे एक वक्तव्य देंगे । ऐसा करने से मैं कार्यक्रम परामर्शदात्री की बैठक भी बुला सकूंगा ।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : आप कृपया सरकार से यह भी निवेदन करें कि यह इन ६४ विधयकों के सम्बन्ध में जो कि इस सत्र में सदन के सामने आयेंगे एक प्राथमिकता सूची बनाने की वांछनीयता पर विचार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा भी यही विचार था । सदन के माननीय नेता और सभी पक्ष इस पर विचार कर के जहां तक संभव हो, सारे सत्र के विधेयकों के सम्बन्ध में प्राथमिकता सूची प्रस्तुत करेंगे ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे क्रमशः उन संशोधनों को प्रस्तुत करें, जिन्हें मैं ने स्वीकार किया है ।

श्री गिडवानी (थाना) ने अपने संशोधन में कहा कि अभिभाषण में शरणार्थी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री नम्बियार (मयूरम) ने अपने संशोधन में कहा कि कपड़ा, पटसन, चाय, बागात, खान आदि जैसे उद्योगों में और सरकारी विभागों में छंटनी के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया, श्रमिक वर्ग की काम करने तथा रहने के लिये उचित सुविधाएं नहीं दी गईं, राष्ट्रीय सुरक्षा नियम १९४९ को समाप्त नहीं किया गया और मद्रास राज्य में त्रिचनापल्ली और तंजोर के जिलों में तूफान से पीड़ित लोगों को सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

श्री चट्टोपाध्याय : (विजयवाड़ा) ने अपने संशोधन में कहा कि मि० अइज़नहावर की अन्तिम और सब से खतरनाक चाल के बारे में भारत ने अपनी नीति

[श्री चट्टोपाध्याय]

स्पष्ट नहीं की और आन्ध्र राज्य बनाने के लिए कोई निश्चित कालावधि नहीं रखी गई।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) विदेशी नीति का किसी ने समर्थन नहीं किया, (२) पूर्वी बंगाल में अल्प संख्यकों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, (३) जम्मू और काश्मीर समस्या को नहीं सुलझाया जासका, (४) भाषाई आधार पर वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया गया, (५) पंचवर्षीय योजना ने लोगों में कोई उत्साह नहीं पैदा किया, (६) पिछड़ी हुई जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, (७) देश के विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया और (८) बेकारी की समस्या को हल नहीं किया गया।

श्री केलप्पन (पोलानी) ने अपने संशोधन में कहा कि (क) सरकार एक ऐसी आर्थिक नीति पर चल रही है जिस से कि देश पर कुछ विदेशी राष्ट्रों का नियन्त्रण और भी मज़बूत होता जा रहा है (ख) मिल उद्योगों के प्रति सरकार का रवैया हाथ कर्घा तथा अन्य कूटीर उद्योगों के लिये अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो रहा है।

श्री के० सूब्रह्मायण्म् (विजियानगरम्) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) इस भूखंड को बड़ी बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये एशिया के स्वतंत्र और तटस्थ राष्ट्रों का तीसरा गुट बनाने के लिए कोई सुझाव नहीं दिये गये, (२) देश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, (३) पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई ठोस प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई, (४) हैदराबाद जैसे राज्यों को तोड़ कर उस के भागों को निकटवर्ती राज्यों में मिला देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, तथा (५) खाद्य और चीनी के अपनियन्त्रण की नीति के परिणामों को अच्छी तरह आंका नहीं गया।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) ने अपने संशोधन में कहा कि देश की बिगड़ती हूई आर्थिक स्थिति और बढ़ती हूई बेकारी को रोकने के लिये कोई प्रभावोत्पादक पग नहीं उठाय गये।

श्री एम० एस० गूरुपादस्वामी (मैसूर) ने अपने संशोधन में कहा कि लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है किन्तु इस स्थिति को रोकने के लिए कोई सुझाव नहीं दिये गये।

श्री शिवमूर्तिस्वामी (कुष्टगी) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए कोई पग नहीं उठाये गये, (२) संयुक्त कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और (३) हैदराबाद को तोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) भाषावार राज्य बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण नहीं बनाया गया, (२) इस बात को अनुभव नहीं किया गया कि पंचवर्षीय योजना के लिए लोगों में उत्साह नहीं है और कम विकसित क्षेत्रों के लिए विकास अनुदानों की कमी को और

लोगों की बेचयनी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई पग नहीं उठाये ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) सरकार जम्मू काश्मीर समस्या को सुलझाने में असफल रही है और (२) सरकार की विदेशी नीति भी बिल्कुल असफल रही है ।

डा० एन० बी० खरे ने कहा कि (१) महाराष्ट्र में अकाल की गम्भीर स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया, (२) पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को फिर बसाने की कोई योजना नहीं है, (३) गम्भीर अन्तराष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा को दृढ़ नहीं किया गया, (४) गो-वध निषेध के लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया गया, (५) लोगों के विरोध के बावजूद सरकार अब भी हिन्दू कोड बनाने पर विचार कर रही है और (५) जैसा कि पुलिस, विद्यार्थियों, व्यापारियों, पटवारियों, अध्यापकों आदि की हड़तालों से प्रकट होता है लोगों की बिगड़ती हुई आर्थिक आस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) ने अपने संशोधन में कहा : (१) देश में कोई योजना-बद्ध शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारित नहीं की गई ; और (२) देश के लोगों में अनुशासन की भावना फैलाने के लिए कोई पग नहीं उठाये गये ।

डा० जाटव-वीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां) ने अपने संशोधन में कहा कि सरकार ने (१) पिछड़े हुए वर्गों के आयोग में देश की विभिन्न अनुसूचित जाति संस्थाओं के किसी प्रतिनिधि को नहीं लिया ; (२) भूमिहीन कृषिमजदूरों विषेशतया हरिजनों को भूमि देने के लिए अब तक कोई पग नहीं उठाये ; तथा (३) हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई विशेष पग नहीं उठाये ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलूरु) ने अपने संशोधन में कहा कि इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया कि (१) पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; (२) आंध्र राज्य बनाने में कम से कम कितना समय लगेगा और (३) दक्षिण में अकाल का खतरा दूर करने के लिए कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी का उपयोग करने की कोई योजना नहीं बनाई गई ।

श्री खंडेकर (कोल्हापुर व सतारा) ने अपने संशोधन में कहा कि पिछड़े हुए वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों की शिकायतें दूर करने और उन का उद्धार करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश) ने अपने संशोधन में कहा कि देश की गम्भीर आर्थिक स्थिति और इस में फैली हुई बेकारी के सम्बन्ध में कोई क्रियाकारी सुझाव नहीं दिय गय ।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) सरकार ने यह नहीं बतलाया कि वह अस्पृश्यता दूर करने के लिए क्या करना चाहती है ; (२) संविधान के अनुच्छेद ४६ को कार्यान्वित करने के लिए कोई पग नहीं उठाये गये ; (३) भाषावार राज्य बनाने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई ; (४) देश में भिखारियों की समस्या को हल करने के प्रश्न का कोई उल्लेख नहीं किया तथा

[श्री वीरस्वामी]

(५) बेकारी की समस्या हल करने के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की गई ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुन्टूर) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) देश की वास्तविक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और (२) विदेशों में और भारतीय भूमि पर स्थित विदेशी बस्तियों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गए ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों की निरन्तर बिगड़ती हुई दशा सुधारने के लिए कोई पग नहीं उठाये गए ; (२) पिछड़े हुए वर्गों के आयोग में उन को वास्तविक प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया; (३) वैदेशिक कार्यों में तटस्था की नीति अपनाने से भारत के सब मित्र छिन गये हैं; (४) सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषतया बम्बई राज्य को मद्य निषेध की हानिकारक नीति छोड़ने का कोई निदेश नहीं दिया ; (५) भाषावार राज्य बनाने के लिये कोई पग नहीं उठाये गए ; (६) पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए महाराष्ट्र जैसे अकालग्रस्त राज्यों में सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई ; (७) पंचवर्षीय योजना से अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों को कोई राहत नहीं मिली ; (८) देश में निश्शुल्क अनिवार्य शिक्षा जारी करने के लिए सरकार ने कोई पग नहीं उठाये ; (९) इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि रेलवेज़ निचले दर्जे के यात्रियों को उचित सुविधायें नहीं दे रहे हैं ; तथा (१०) देश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) ने अपने संशोधन में कहा कि (१) जम्मू के लोगों को भारत में उचित स्थान देने के सम्बन्ध में कोई अश्वासन नहीं दिया गया; (२) सरकार संस्कृत पढ़ाने वाली संस्थाओं की और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की घोर उपेक्षा कर रही है ।

श्री एच० आर० नथानी (भीलवाड़ा) ने अपने संशोधन में कहा कि गोहत्या को बन्द करने के लिये कोई सक्रिय पग नहीं उठाये गए ।

श्री नम्बियार ने अपने संशोधन में कहा कि निजी तथा सरकारी संस्थाओं में मज़दूरों को कार्मिक संघ बनाने और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई ठीक नीति निर्धारित नहीं की गई ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने अपने संशोधन में कहा कि अभिभाषण में मध्यपूर्व रक्षा संगठन के बारे में भारत की नीति स्पष्ट नहीं की गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सब संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

श्री नम्बियार : मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरे दो संशोधनों को क्यों स्वीकार नहीं किया गया । पहला मद्रास में पुलिस की हड़ताल के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में है और दूसरा इस सम्बन्ध में है कि सरकारी कर्मचारियों को साम्यवाद का समर्थन करने के अपराध में निकाला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक पुलिस की हड़ताल का सम्बन्ध है, यह सर्वथा एक राज्य का विषय है, क्योंकि इसका

सम्बन्ध उन की नौकरी आदि से है। इसीलिये मैं ने इसकी आज्ञा नहीं दी। दूसरा संशोधन अस्पष्ट और अनिश्चित है। इस मामले के सम्बन्ध में माननीय सदस्य सदन का ध्यान किसी विशिष्ट उदाहरण की ओर दिला सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्तु मैं संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दे सकता।

मैं न इन सब संशोधनों के विषय नोट कर लिये हैं। माननीय सदस्य अपने भाषण इन विषयों तक सीमित रखें। श्री ए० के० बसु।

श्री ए० के० बसु (उत्तर बंगाल) : यह पहली बार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में चाय उद्योग का उल्लेख किया गया है। इस उद्योग को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। १९५१ में चाय का मल्य गिरना शुरू हो गया था। इस दौरान में पश्चिमी बंगाल और आसाम की सरकारों ने श्रमिकों की मज़दूरी बढ़ा दी। इस से उत्पादन व्यय और चाय के मूल्य में बहुत अन्तर हो गया था और बागात को बहुत हानि हुई। सहायतार्थ सरकार ने बागात को प्रत्याभूतियां दीं। किन्तु इन के होते हुए भी उत्पादन-व्यय और मूल्य में बहुत अन्तर रह जाता है। इस अन्तर को दूर करने के लिए उत्पादन-व्यय कम करना पड़ेगा। और यह कमी श्रमिकों की मज़दूरी को कम कर के नहीं, बल्कि चाय पर तीन आना प्रति पौंड के उत्पाद कर को हटा कर या घटा कर करनी चाहिए। किन्तु मेरा तात्पर्य यह नहीं कि यह शुल्क बिल्कुल लिया ही नहीं जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि सरकार पूरा शुल्क वसूल कर के इसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षः उद्योग को वापस कर दे, ताकि उसे पूरे तीन आने का लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा करने का तरीका यह है कि पहले तो केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल और आसाम की सरकारों को उन के श्रमिकों की चावल की आवश्यकता को, जो कि ५०,००० टन होगी, पूरा करने के लिए २ रुपये ८ आने प्रति मन के साहाय्य के हिसाब से ३४ लाख रुपये का साहाय्य दे और राज्य सरकारों को अंशदान देने के लिये न कहा जाए। यह चावल जो कि बागात को १७ रुपये ८ आने प्रति मन के हिसाब से मिलेगा, श्रमिकों को वर्तमान दर अर्थात् ५ रुपये प्रति मन की दर से दिया जाता रहेगा, दूसरे शब्दों में न तो मज़दूरों की मज़दूरी में और न उनकी खाद्य सम्बन्धी सुविधाओं में कमी की जाएगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि १९५१-५२ में घाटा उठाने वाले बागात को उत्पाद-शुल्क वापस कर देना चाहिए। पूरे उत्पाद-शुल्क की राशि और बागात के घाट की राशि में से जो भी कम हो, उतनी राशि वापस कर देनी चाहिए। मैं ने जो हिसाब लगाया है उसके अनुसार सरकार को ७·४ करोड़ रुपय तक की राशि वापस करनी पड़ेगी और यह राशि उस राशि से अर्थात् ९,३३,७५,००० रुपये से जो कि प्रभावित क्षेत्रों से वसूल की जाती है, हर हालत में कम है और इस राशि में उत्पाद-शुल्क की वापसी, खाद्य साहाय्य और अन्य सब चीज़ें आ जाती हैं। केवल इन्हीं तरीकों और साधनों के अपनाने से ही चाय उद्योग के लिए आर्थिक स्तर पर आना सम्भव होगा।

डा० एन० बी० खर: सब से पहले मैं जम्मू और काश्मीर के प्रश्न को लेना चाहता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक ने कल हमें बतलाया था कि काश्मीर को इसलिए विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि यह एक

[डा० एन० बी० खरे]

सीमान्त राज्य है। मैं पूछता हूं कि क्या पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आसाम सीमान्त राज्य नहीं हैं? क्या उन के साथ विशेष व्यवहार किया गया है? मेरी राय में काश्मीर को विशेष दर्जा देने का एक और केवल एक कारण है और वह यह है कि काश्मीर के अधिकांश लोग एक विशेष धर्म या सम्प्रदाय के हैं। इस कारण को छिपाया नहीं जा सकता।

मुझे यह देख कर दुःख होता है कि जिस नीति के कारण देश का विभाजन हुआ था, उसी नीति को आज भी सरकार अन्धा धुन्ध अपना रही है। म स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह नीति मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति है। आखिर पाकिस्तान और शेख अब्दुल्ला के काश्मीर में भद ही क्या ह? पाकिस्तान पूर्ण रूप से अलग है और काश्मीर आधा अलग होना चाहता ह। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

कहा जाता है कि हम लौकिकता की नीति पर चल रहे है। मैं लौकिकता के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु यह लौकिकता राष्ट्र के लिए अहितकर है। इस में सिवाय मुसलमानों के हित में पक्षपात करने के और कुछ भी नहीं है।

कुछ दिन पहले काश्मीर सरकार की एक पत्रिका जिसका शीर्षक 'बिना सत्य के सत्याग्रह' था, वितरित की गई थी। प्रेस ने इसका पूरा प्रचार किया था किन्तु जब प्रजा परिषद् ने जम्मू और काश्मीर की पुलिस के अत्याचारों की ओर ध्यान दिलाना चाहा, तो इस का उल्लेख तक भी न किया गया। यह बिल्कुल अनुचित है। मैं ने एक समाचार पत्र में पढ़ा है कि पुलिस की गोली से ३३ व्यक्ति मारे जा चुके ह। स्त्रियों का अपमान किया गया है और सम्पत्ति लूटी गई है। किन्तु कोई पूछने वाला नहीं है।

कहा गया है कि इस आन्दोलन से उलटे परिणाम ही निकलेंगे। यह सत्य नहीं है, मैं पूछता हूं कि यदि जम्मू और काश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिला दिया जाए, यदि उच्चतम न्यायालय को जम्मू और काश्मीर पर पूरा अधिकार दिया जाए और यदि मूलभूत अधिकार जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू किए जायें, तो क्या ये बुरे परिणाम होंगे? यह कहना बिल्कुल निरर्थक है कि यह आन्दोलन संसद् के विरुद्ध है। इस का उद्देश्य यह है कि पूर्ण प्रवेशन के लिए संसद् को शक्ति को सुदृढ़ बनाया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी बहुत बातें बनाई जाती हैं। इसे यह क्यों नहीं कहा जाता कि वह आक्रमण के प्रश्न पर सीधा निर्णय दे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो काश्मीर का मामला वहां से वापस ले लेना चाहिए। इस से क्या हानि होगी? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक किसी समस्या को हल किया है?

अतः मैं कहता हूं कि आप जम्मू और काश्मीर पर मूलभूत अधिकार लागू करें। यदि शेख अब्दुल्ला कुछ संशोधन करना चाहें, तो उन से पूछा जाए कि वे क्या संशोधन चाहते हैं? इन पर फिर चर्चा की जा सकती है। संकोच करने से कुछ भी नहीं बनेगा।

अब मैं पूर्वी बंगाल के प्रश्न को लेता हूं। अभिभाषण में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के सम्बन्ध कुछ सुधर गए हैं मुझे इस पर आश्चर्य है क्योंकि साथ ही नाजिमुद्दीन ने कहा है कि

स्थिति बिगड़ गई है । हम किस की बात मानें ? जबतक सरकार अन्योन्यता की नीति को स्वीकार नहीं करेगी, पूर्वी बंगाल की समस्या कभी नहीं हल हो सकेगी ।

भाषावार प्रांतों के सम्बन्ध में भी मैं एक दो शब्द कहना चाहूंगा । मैं पूछता हूं कि विलम्ब करने का क्या लाभ है । या तो आप सब के सब प्रांत भाषा के आधार पर बना लें, या कोई भी न बनायें, किन्तु असमंजस में न पड़ें । यदि आप भाषावार प्रांत नहीं चाहते तो सारे भारत के लिए पांच या छः प्रशासनीय खण्ड बना लें और भाषा पर बिल्कुल ध्यान न दें । मुझे इस पर कोई आपत्ति न होगी । किन्तु एक पक्ष में निर्णय कर डालिए, इस मामले को खटाई में न डालें । ऐसा करने से बहुत हानि होगी । इस मामले को जल्दी निपटा देना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत गम्भीर है किन्तु इसकी ओर कोई निर्देश नहीं किया गया । मेडो की बहुत चर्चा हो रही है और कहा जाता है कि पाकिस्तान इसमें सम्मिलित हो जायेगा । हमें इस बात से घबड़ाना नहीं चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि हमें एक गुट या दूसरे गुट में सम्मिलित हो जाना चाहिए, किन्तु तटस्थता की नीति अपनाने से हमारा कोई मित्र नहीं बना । हमारी स्थिति एक फुटबाल जैसी है, जिसे कभी एक पक्ष ठोकर लगाता है और कभी दूसरा पक्ष । इस विषय में कोई ठोस और स्पष्ट निश्चय करना आवश्यक है ।

देश की आन्तरिक स्थिति को भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । पुलिस, अध्यापकों, विद्यार्थियों, पटवारियों और व्यापारियों की हड़तालों से स्पष्ट है कि देश में कितने गम्भीर आर्थिक संकट है आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसकी ओर से आंखें नहीं मूंद सकते ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आप का बड़ा कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझे समय दिया कि मैं राष्ट्रपति के उस भाषण सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करूं जो श्रीमन्नारायण जी ने सदस्यों के सामने रखा है ।

राष्ट्रपति जी ने अपने उस भाषण में हमारे देश के सभी उन मोटे-मोटे मसलों पर संकेतात्मक विचार रखे हैं कि जो आज हमारे देश में फैले हुए हैं । उन सभी समस्याओं को और सभी संकेतों पर अगर हम यहां तफ़सील से विचार करें तो समय थोड़ा होने के कारण हम एक दो से ज्यादा बातों पर विचार नहीं कर पायेंगे । इसलिये मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के दो तीन संकेतों के विषय में अपने विचार रखना चाहता हूं ।

सर्वप्रथम राष्ट्रपति जी ने हमारी अन्तर्राष्ट्रीव नीति की घोषणा की है । वह नीति एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वच्छन्द नीति है । बहुत से हमारे सदस्य और विशेष कर जो हमारे विरोधी दल के सदस्य हैं वे इस नीति के विषय में आलोचनात्मक बातें कहते हैं और उस की निंदा भी करते हैं। परन्तु यह नीति हमारे देश की कोई नई नीति नहीं है ।

आज से नहीं बल्कि बहुत वर्षों से, जब से हमने अपने देश में शान्ति का युग प्रारम्भ किया और हमने शान्ति और अमन रखने के लिये संकल्प लिया, तब से ले कर आज तक बराबर हम इसी नीति को चलाते आये हैं ।

४ प० म०

और आज़ाद हो के पश्चात् इन पिछले वर्षों में और उस से पूर्व जो हम को देखने

[श्री राधा रमण]

को मिला है उस से हम यह गर्व से कह सकते हैं कि इस नीति से न सिर्फ हमारे सारे देशवासी प्रभावित हैं वरन् बाहर भी जितने राष्ट्र हैं उन पर भी इस नीति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । कहने को यह कह सकते हैं कि यह एक निहायत मुर्दा नीति है, यह एक ऐसी नीति है कि जिस से हमें कोई दोस्त प्राप्त नहीं होता और जो दुनिया के अन्दर बड़ी-बड़ी ताक़तें हैं वह हमारी तरफ़ नहीं आतीं बल्कि वह हमें ठुकराती हैं, परन्तु हक़ीकत यह है कि जब हम इस नीति का इसी रूप में विश्लेषण करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष जैसे मुल्क के लिये, जिसका हमेशा से रूहानी सिक्का सारे देशों में रहा है, अगर कोई नीति हो सकती है तो वह यही निष्पक्षता की स्वतंत्र नीति हो सकती है । इसके यह मानी नहीं हैं कि दुनिया के मुल्कों में जो जो बातें हो रही हैं या जो जो संकट आ रहे हैं उन से हम बिल्कुल अलग थलग रहें और अपने विचार को उनके सामने स्पष्ट न करें । बल्कि ऐसे कठिन समय आये हैं जब दुनिया के देशों ने, जिन की बाहरी ताकतें और फौजी ताक़तें ज्यादा थीं, अपनी आवाज़ को बुलन्द नहीं किया और हमारे देश ने और हमारे देश की सरकार ने और हमारे देश के नेता ने उस आवाज़ को बुलन्द किया और यह बताया कि कौन सा मार्ग ऐसा है कि जिस मार्ग से न सिर्फ़ तमाम दुनिया में शान्ति क़ायम रह सकती है बल्कि मानव जाति का कल्याण हो सकता है । आप को अच्छी तरह स्मरण होगा कि एक बार नहीं कई बार हिन्दुस्तान की यह नीति कसौटी पर रखी गई । कोरिया के सम्बन्ध में, चीन के सम्बन्ध में जब जब भी यह नीति कसौटी पर रखी गयी स्पष्टतया हमने उस नीति का आव्हान किया, जिस से हम समझते हैं कि सारे राष्ट्रों में शान्ति की स्थापना हो सकती है और जो राष्ट्रों के दो बड़े ब्लाक्स (गुट) हैं और जिनके दरमियान में काफ़ी तनातनी रहती है और जिस तनातनी का फल कभी भी एक बड़ी लड़ाई हो सकता है, उन के बीच में भी हमने अपनी आवाज़ को बुलन्द किया और इस बात की हमेशा कोशिश की कि हम शान्ति की ओर खुद बढ़ें और उनको भी बढ़ायें। मैं समझता हूं कि यह नीति हमारे लिए निहायत ही उत्तम नीति है और इस के बल पर ही हम अपने देश में शान्ति क़ायम रख सकते हैं और दुनिया को भी उस शान्ति का पाठ पढ़ा सकते हैं कि जिस शान्ति के पाठ को हम ने राष्ट्र पिता बापू से स्वयं पढ़ा था । इस शान्ति की स्थापना करने के लिये हम निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं । राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस बात की पुनः घोषणा की है और हमें यह विश्वास है कि सभी भारतवासी उस घोषणा का स्वागत करेंगे और उस नीति के पीछे सदा चलेंगे ।

उस के पश्चात् राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अफ्रीका के सिलसिले में कुछ चर्चा की है । यह एक ऐसी समस्या है कि जो बहुत बर्षों से उस देश के अन्दर चली आती है । कुछ वर्ष पहले सभापति जी आप को यह ज्ञात होगा कि उस देश में हिन्दुस्तानियों के ऊपर काफी अत्याचार होता था । उनके जो अधिकार थे वह और देशवासियों से बहुत काफी कम थे और उनके साथ निन्दनीय बरताव होता था, लेकिन अब कुछ दिनों से और कई महीनों से यह चर्चा बड़े जोरों पर है कि अफ्रीका में उन जातियों के साथ जो उस देश के अन्दर हमेशा से बसती चली आई हैं, और उन के साथ हिन्दुस्तानियों साथ जो कि वहां जाकर बस गये हैं,

इस प्रकार का बरताव हो रहा है कि जिस बरताव को आज की दुनियां में कोई भी सभ्य देश बरदाश्त नहीं कर सकता हम देखते हैं कि उसके नतीजे पर सारे सभ्य देशों में एक आवाज है, और उसके कारण हमें इस बात का भय भी लगता है कि जो शान्ति हम अपने मुल्क और दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखना चाहते हैं वह किसी न किसी अंश में भंग भी हो सकती है। इस लिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट किया है और हम चाहते हैं कि इस को तमाम दुनिया के सभ्य देश अच्छी तरह से जान लें कि आज जो रंगभेद की नीति अफ़्रीका के अन्दर चल रही है वह नीति शान्ति की स्थापना के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है बल्कि वह शान्ति भंग करने का एक रास्ता बन सकती है। इसलिये हमें और उन तमाम सभ्य देशों को संयुक्त राष्ट्र को, सभी को इस बात का प्रयत्न करना होगा कि अफ़्रीका जैसे देश में, कि जहां गोरी जाति और जातियों के ऊपर जो वहां के रहने वाले हैं, अत्याचार करती हैं। उनके अधिकारों को दबाती है, या उनके अधिकारों को नहीं मानती, वहां वह जाति रंगभेद की नीति को जल्द से जल्द छोड़ दे जिससे संसार में जो इसके प्रति रोष है वह हट जाय और उस मुल्क के लोगों में, जो वहां अफ़्रीकन और हिन्दुस्तानी रहते हैं, सभी में संतोष हो और वहां पुनःशान्ति स्थापित हो जाय।

इसके पश्चात् एक बात जो राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कही है वह जम्मू और काश्मीर के विषय में है। मैं दो शब्द इस सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। बात कहने में बड़ी मीठी होती है परन्तु उसके परिणाम बाज औकात बड़े भयंकर होते हैं। हमारे देश में हम ने पिछले तीस पैंतीस वर्षों में बहुत काफी ऐसे मौके देखे हैं कि जहां ऐसी छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा कर जनता के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि वह गुमराह हो जाती है। जम्मू और काश्मीर का सवाल अभी पांच वर्षों से बराबर हमारे देश में चला आ रहा है। वह एक ऐसा पेचीदा सवाल है कि जिस पर संसद् के सदस्यों ने एक बार नहीं कई बार चर्चा करके कुछ विचार विनिमय किया, पर तब भी हम हर सदस्य को संतोष नहीं दिला सके हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आज से पहले हिन्दुस्तान के अन्दर यह बात हो रही थी कि हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान रहते हैं और यह दोनों अलग अलग कौमें हैं, इन दोनों के ख्यालात अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, और इसलिए हिन्दुस्तान के टुकड़े होने चाहिये, उस वक्त हम लोगों ने इस बात की बहुत कोशिश की और चाहा कि हिन्दुस्तान के टुकड़े न हों और हमारे वह भाई जो इस बात को चाहते थे कि हिन्दू और मुसलमानों में हमेशा फिसाद हों, इस बात को हिन्दू और मुसलमानों के सामने बराबर इसी तरीके से दिखाते थे। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बनी और आखिरकार जनता का दिमाग इस किस्म का बना कि वह चीज़ जो हम नहीं चाहते थे वह हो कर रही। इस से हम को सबक़ सीखना है। आज इस बात को जानते हुए कि काश्मीर का मसला बड़ा पेचीदा है। इस के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय संघ से बात चीत हो रही है, वहां पर हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर के बड़े बड़े मुल्क काफी असर डाल रहे हैं और वहां के लोगों में काफी ग़लतफ़हमी फैला रहे हैं, ऐसे मौके पर भी कोई बात एसी छेड़ना कि जिस बात से वहां पर रोष बढ़े, अशान्ति हो,

[श्री राघा रमण]

झगड़ा हो, हमारे लिए एक भयंकर चीज़ बन सकती है ।

यह राष्ट्रपति जी ने एक संकेत के ज़रिये हम लोगों को बताया है कि ऐसे मौके पर कि जब हम ऐसी स्थिति में से गुज़र रहे यह बहुत आवश्यक है कि हम बहुत सोच विचार कर क़दम बढ़ावें और कोई ऐसी तहरीक हमें नहीं करनी चाहिए कि जिस से वहां के रहने वालों में मतभेद हो, झगड़ा हो, या हिन्दुस्तान के अन्दर उस का बुरा असर हो । महल और मौका एक ऐसी चीज़ होती है, कि जो हर राजनीतिज्ञ को सोचना होता है। आज के दिन हम देखते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे दल हैं कि जिन का यह अभिप्राय रहता है कि वह ऐसी बातों को निकाल कर जनता के सामने रखें जिन से जनता गुमराह हो जाय और देश में जो हम आज शान्ति का वातावरण देखते हैं वह बदल कर अशान्ति का वातावरण बन जाय । मैं इस तरफ सभी सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा और सभापति जी आप का भी ध्यान दिलाऊंगा कि यह एक ऐसा मसला है कि जिस पर हर हिन्दुस्तानी, को बड़े गहरे ध्यान से विचार करना होगा। अगर वह इस तरह से इस मसले को नहीं देखेंगे तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है । मैं तो कहता हूं कि अगर इस का भयंकर परिणाम, छोटा या बड़ा, निकला तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी हमें उन पर डालनी होगी कि जो आज इस संकेत को जिसे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में दिया है, नहीं मानते हैं। मैं इस बात की आशा करता हूं राष्ट्रपति जी के इस भाषण के बाद हमारे उन राजनीतिज्ञों में दूरदर्शिता का स्थान होगा। और वे अपनी उस नीति को बन्द करेंगे जिस को कि वे जम्मू और काश्मीर और हमारे मुल्क के सम्बन्ध में चलाना चाहते हैं, जिस से कि जो आज शान्ति का वातावरण है वह क़ायम रहे और हमारे दोनों के अन्दर जो एक दोस्ती का रिश्ता है वह रिश्ता कायम रहे।

इस के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं । वह हमारे सामने जो पांच वर्षीय योजना है उस के सम्बन्ध में है। सभापति जी, इस में कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश के बड़े बड़े दिमागों ने इस पांच वर्षीय योजना को हमारे सामने रखा है। इस योजना में एक ऐसा बड़ा प्रयास है, एक ऐसी बड़ी कोशिश है, कि जिस से भारतवर्ष की बहुत बड़ी बड़ी समस्यायें हल हो सकती हैं । हमारा यह विश्वास है और उन नेताओं का भी यह विश्वास है कि इस पांच वर्षीय योजना के द्वारा हिन्दुस्तान की काया पलट होगी । जिन समस्याओं को आज हम अपने सामने देख रहे हैं और जिन से उलझ कर हम आज अपने आप को कमज़ोर पाते हैं वे सारी समस्यायें, अगर हम ने इस पांच वर्षीय योजना को अपनाया और हम ने उस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास से काम किया, तो हमें यह भरोसा है, हमें यह यक़ीन है कि वे सारी बड़ी बड़ी समस्यायें, जिन की चर्चा हम रात दिन यहां करते हैं, बहुत हद तक हल होंगी । इस सम्बन्ध में सब से बड़ी बात जो सदस्यों को सामने रखनी चाहिए वह है शिक्षा । हमारे देश में शिक्षा का एक ऐसा तरीका है, शिक्षकों की भी एक ऐसी दशा है कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी पांच वर्षीय योजना बड़ी सफल बने तो हमें इस सारी शिक्षा को नये ढंग से ही चलाना होगा । आज जो हमारी शिक्षा है वह, जैसा राष्ट्र-

पति जी ने अपने भाषण में कहा, सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करने के लिए या बड़े दफ्तरों के अन्दर नौकरियां तलाश करने के लिए ही समझी जाती है । परन्तु अगर हम देश के हर एक नौजवान को, हर एक देश वासी को देश के कामों में लगाना चाहते हैं तो हमें सब से पहले यह काम करना होगा कि हमारी शिक्षा ऐसी हो, शिक्षकों का चरित्र और शिक्षकों का तरीका ऐसा हो कि जिस से वे अपने बच्चों को और नौजवानों को ऐसी शिक्षा दे सकें कि जिस से वे आगे चल कर सिर्फ नौकरियां ही तलाश न करें, बल्कि उन के दिमाग़ खुले हों और वे अपने देश के निर्माण कार्य में एक से एक बढ़कर काम कर सकें । इस तरह से मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के भाषण ने हमें बहुत सारा ऐसा मसौदा दिया है कि जिस पर विचार कर के हम अपने आप को बहुत कुछ कल्याणकारी कामों में लगा सकते हैं और देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं ।

मैं इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं और उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जो हमारे भाई श्री अग्रवाल ने राष्ट्रपति जी के भाषण के सम्बन्ध में सदस्यों के सामने रखा है । मुझे पूर्ण आशा है कि हम सभी सदस्य मिल कर इस बात की कोशिश करेंगे कि जो संकेत हमें उन्होंन अपने इस भाषण में दिये हैं उन सब संकेतों को पूरे विश्वास के साथ अमल में लायें जिस से कि हम देश के कल्याणकारी मार्ग पर चलने के क़ाबिल बन सकें ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य): मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और संशोधनों का विरोध करता हूं । यदि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को गौर से पढ़ें, तो ज्ञात होगा कि यह तथ्यों पर आधारित है । इस में देश की स्थिति को ठीक ठीक चित्रित किया गया है और कोई बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बतलाई गई ।

अभिभाषण में खाद्य स्थिति की ओर और कपड़ा, चीनी, पटसन और रूई की पैदावार में वृद्धि की ओर निर्देश किया गया है । क्या कोई कह सकता है कि यह सत्य नहीं है ? खाद्य के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं ।

भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के बारे में जो सुझाव दिया गया उस का देश भर में और बाहर भी स्वागत किया गया है । कहा गया है कि भाषावार प्रांत बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए किन्तु इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि भारत की एकता और इस की राष्ट्रीय सुरक्षा को हर हालत में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । भारतीय संघ के कुछ खंडों की उन्नति इसलिए रुकी रही है क्योंकि राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठित नहीं किये गये । यदि ऐसा कर दिया जाये, तो वे आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे । मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग भाषावार राज्यों के पक्ष में हैं, वे देश की सुरक्षा और एकता के महत्व को बिल्कुल घटाना नहीं चाहते । उन्हें बल्कि इस का अधिक ध्यान है । किन्तु वे चाहते हैं कि इस मामले में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये ।

हमारी विदेशी नीति की बहुत आलोचना की गई है । किन्तु मैं कहता हूं कि पिछले चार या पांच वर्षों में हम जिस विदेशी नीति पर चले हैं और जो रास्ता हम ने

[श्री जी० एच० देशपांडे]

अपने लिए चुना है, उस की देश में और विश्व में बहुत सराहना की गई है। गत वर्ष इसी सदन ने चर्चा के बाद इसका समर्थन किया था।

हमारी विदेशी नीति के कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकले। इस का कारण यह है कि समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि हम तुरन्त परिणामों की आशा नहीं कर सकते तथापि हमें विश्वास है और देश को विश्वास है कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं और इस नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

काश्मीर आन्दोलन के बारे में कहा गया है कि यह साम्प्रदायिक अन्दोलन नहीं है। मैं पूछता हूं कि यह साम्प्रदायिक नहीं तो और क्या है ? इस का स्वरूप हिंसात्मक है और उद्देश्य विध्वंस है। यह फूट और साम्प्रदायिकता पैदा कर रहा है। उस क्षेत्र में युद्ध केवल स्थगित ही है। कोई कह नहीं सकता कि आगे क्या होगा। इन परिस्थितियों में इस प्रकार का आन्दोलन चलाना जैसा कि प्रजा परिषद् चला रही है, बुधिमत्ता नहीं है। वह हिन्दुओं या काश्मीर के लोगों या भारतीय संघ की कोई सेवा नहीं कर रही है। इस से केवल पाकिस्तान को लाभ पहुंच रहा है। सरकार उस समय तक चुप नहीं बैठी रह सकती जब तक कि इस के परिणाम नहीं निकलते। उसे तुरन्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि सारा देश, सारा भारत संघ इस प्रकार के आन्दोलन को दबाने में सरकार की सहायता करेगा।

कमी के बारे में, अभिभाषण में कहा गया है कि इस समस्या को एक अधिक बुनियादी तरीके से हल करना पड़ेगा ताकि अकाल की स्थिति बार बार उत्पन्न न हो सके और हमें केवल मानसून के उतार चढाव पर निर्भर न होना पड़े। सरकार को राष्ट्रपति के इस परामर्श पर ध्यान देना चाहि।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौरपाली): मैं आर्थिक स्थिति पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि इस में कछ सुधार हुआ है और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति हुई है किन्तु इस प्रगति को जारी रखने के लिये सरकार को सावधान रहना पड़ेगा और उचित समय पर पग उठाने पड़ेंगे। अन्यथा हम ने जो उन्नति की है वह बिलकुल व्यर्थ जायगी। उदाहरणतः यदि हम ने कपड़ा विदेशी मंडियों में न भेजा तो हमारे पास बहुत सा फालतू कपड़ा जमा हो जायगा। मुझे हर्ष है कि सरकार ने कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ पग उठाये हैं किन्तु प्रश्न यह है कि यदि चालू वर्ष में ८००० से १०००० लाख गज कपड़े के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना है तो इस के लिये विशेष पग उठाने पड़ेंगे।

मैं हाथकर्घा उद्योग को हर प्रकार की सहायता देने के पक्ष में हूं। किन्तु सरकार ने धोतियों के उत्पादन पर जो प्रतिबन्ध लगाया है उस से इस को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। धोतियों के मूल्यों में पहले ही २० से २५ प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है और यदि वर्तमान प्रतिबन्धों को अनिश्चित समय के लिये जारी रखा गया तो एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिस से उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई होगी।

अब आप हाथकर्घा उद्योग को सहायता देने के लिये मिल उत्पादन पर

उपकर लगाने के प्रश्न को लीजिये । मेरे विचार में कपड़ा उद्योग को इस समय जब कि यह पहले ही बहुत से करों से दबा हुआ है और दंड देना उचित नहीं है । और बहुत से रचनात्मक तरीके हैं जिन से सरकार हाथकर्घा उद्योग को सहायता दे सकती है । मैं आशा करता हूं कि अतिरिक्त कर लगाने से पूर्व सरकार अच्छी तरह यह जांच कर लेगी कि उस पर पहले कितना भार है । इस सम्बन्ध में, मैं सभी उद्योगों के नवीकरण तथा आधुनिकी करण की सामान्य आवश्यकता पर भी जोर दूंगा । इस काम के लिये १५० करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत कम है। स्पष्ट है कि सरकार ने इस प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । मैं चाहता हूं कि उद्योगों को सुस्थित बनाने के लिये सरकार उपयुक्त पग उठाये ।

कुछ वित्तीय समझौतों के अनुसार जो कि केन्द्र ने भाग 'ख' राज्यों के साथ किये थे, केन्द्र ने नियमित जांच करने और इन राज्यों को अन्य प्रगतिशील राज्यों के स्तर पर लाने के लिये सहायता देने का उत्तरदायित्व लिया था । वित्त कोषीय आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह विषय उसकी निर्देश्य शर्तों में सम्मिलित नहीं है । मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन समझोतों के अनुसार वह एक और जांच आयोग स्थापित करे, जो कि इन क्षेत्रों की पिछड़ी हुई स्थितियों की जांच करे और उनकी उन्नति के लिये आवश्यक पग उठाये ।

एक और विषय की ओर, जो कि कोई आर्थिक विषय नहीं है, निर्देश करके मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा । यह गोवध निषेध के बारे में है। यद्यपि देश के लाखों लोग चाहते हैं कि गोवध बन्द किया जाय, फिर भी सरकार ने बिल्कुल परवाह नहीं की । मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार उन की भावनाओं की कदर करे और चाहे इस मामले में केन्द्र ने या राज्यों ने पग उठाने हों, वह देश में गोवध पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दे ।

श्रीमती खोंगमेन (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक के भाषण के एक एक शब्द का समर्थन करती हूं। यदि राष्ट्रपति ने अपने भाषण की कंडिका २३ में उत्तर-पूर्व के आदिम जाति क्षेत्रों की ओर निर्देश न किया होता, तो मैं वाद-विवाद में भाग न लेती । मुझे बहुत हर्ष है कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों को सरकार की विकास योजनाओं में नया स्थान दिया गया है । मेरी राय में इन क्षेत्रों में बड़े पमाने पर शिक्षा का प्रसार होना चाहिए । सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से ये अन्य सब लोगों से अधिक पिछड़े हुए हैं । हमारा यह कर्त्तव्य है कि इन्हें देश के अन्य लोगों के स्तर पर लाया जाये । सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन क्षेत्रों में भेजना चाहिए और इन के लिए बुनियादी शिक्षा उत्तम होगी । इस से वे लोग पढ़ाई के अतिरिक्त अपने दस्तकारी को भी विकसित कर सकेंगे ।

मैं उस आयोग का भी स्वागत करती हूं जो कि पिछड़े हुए वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिये नियुक्त किया गया है और आशा करती हूं कि इस के सदस्य अधिकतम योग दें ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं ने यह बतलाने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बढ़ती हुई बेकारी और विभिन्न उद्योगों

[श्री नम्बियार]

में छंटनी के खतरे का बिल्कुल कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैं आंकड़े दे कर सिद्ध कर सकता हूं कि उत्पादन के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह सत्य नहीं है। मेरा एक संशोधन इस सम्बन्ध में है कि अभिभाषण में दक्षिण के हाल के तूफान का भी कोई उल्लेख नहीं है। इस तूफान से ६०० स्त्री पुरुष और बच्चे मर गये थे और ५० करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई थी। केन्द्रीय सरकार ने सहायता के लिये एक पाई भी नहीं दी।

मैं ने और भी बहुत से प्रश्न उठाये हैं। सरकारी कर्मचारियों का मामला इन में से एक है। इन्हें न केवल छंटनी में लाया गया है अपितु बिभिन्न कारणों से अर्थात विशिष्ट राजनैतिक विचारों के कारण शिकार भी बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अधीन ३०० से ४०० तक रेल कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। अन्य विभागों में भी ऐसी कार्यवाही की जा रही है।

उद्योग को आजकल जिस संकट का सामना है, मैं उस की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। मैं पूछता हूं कि क्या आज उद्योग लड़खड़ा नहीं रहा है? क्या यह सत्य नहीं है कि प्रत्येक विभाग में हजारों व्यक्ति छंटनी में लाये जा रहे हैं। पटसन, कपड़ा, हाथकर्घा, जहाज़साज़ी, चाय, चमड़ा रंगने ओर जूते बनाने के उद्योगों में हज़ारों मज़दूर बेकार हो चुके हैं। सेवा योजनालयों द्वारा काम ढूंढने वालों की प्रति मास संख्या १९४६ में ४७४८९ थी। १९५२ में यह १२२७२३ तक पहुंच गई है। बेकारी की तो यह स्थिति है किन्तु राष्ट्रपति के भाषण में इसका उल्लेख ही नहीं। उन्होंने इस विषय को छोड़ कर उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि के बारे में कहा है। मैं इस के बारे में भी स्थिति बतला सकता हूं। सिन्दरी फ़ैक्टरी के पास इस समय १७००० टन उर्वरक जमा हो चुका है और फ़ैक्टरी को बन्द कर देने का विचार किया जा रहा है, क्योंकि माल कोई खरीद नहीं सकता। इस फ़ैक्टरी में भी छंटनी का खतरा है।

इस में कोई सन्देह नहीं कि हाथ कर्घा बुनकरों को जो सहायता दी जाने लगी है, वह वास्तव में कपड़े के बड़े बड़े व्यापारियों को ही पहुंचेगी क्योंकि धोतियों और साड़ियों का जो माल जमा हो चुका है वे इसे बेच रहे हैं। अब कहा जाता है कि धोतियों के उत्पादन पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जायेगा। इस का प्रभाव यह होगा कि धोतियां और भी अधिक मूल्यों पर बेची जायेंगी।

चीनी के उत्पादन में हाल में कमी हुई है। किन्तु राष्ट्रपति ने इस की ओर निर्देश नहीं किया। परिणाम यह है कि मूल्य बढ़ गये हैं और इसे निर्यात करने की कोई आशा नहीं है। चीनी उद्योग में फिर बेकारी फैल रही है। स्थिति यह है कि चीनी उद्योग को, उर्वरक उद्योग को और कपड़ा उद्योग को संकट का सामना है। जो कुछ भी पैदा किया जाता है, उसकी खपत नहीं होती और माल बाहर की मंडियों में बिकता नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें लोगों को तथ्य बतलाने चाहिये और कष्ट को दूर करने के उपाय सोचने चाहिएं। ये उपाय क्या हैं? पहली बात तो यह है कि लोगों का

सहयोग प्राप्त किया जाये । आप ने इतना परिश्रम करने के बाद और इतना खर्च करने के बाद पंच वर्षीय योजना बनाई है किन्तु इसके बारे में जनता की राय क्या है, यह आप ने जानने की चेष्टा नहीं की । औद्योगिक संकट तभी दूर होगा जबकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी । मैं ने जिन भूमि सुधारों का सुझाव दिया है, उस से लोगों की क्रय शक्ति सुधर सकती है ।

विदेशी नीति के बारे में मैं कहूंगा आंग्ल-अमरीकी व्यापार नीति का अनुसरण करने का कोई लाभ नहीं है । सब देशों में सरकार स्तर पर व्यापार होता है । आप को भी सरकारी स्तर पर बातचीत करनी चाहिए और यह देखना चाहिये कि उन के साथ किन वस्तुओं का विनिमय हो सकता है । विदेशों के साथ व्यापार इस प्रकार बढ़ाया जा सकत है ।

श्री एस० ए० खान इब्राहीमपटनम) : मैं अपने मित्र श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । विदेशी नीति के क्षेत्र में हम ने दृढ़ता पूर्वक शान्ति का मार्ग अपनाया है । किसी गुट में सम्मिलित न होने और तटस्थ रहने की नीति से ही हम अपनी आवाज़ और राष्ट्रों तक पहुंचा सकते हैं । इस के अच्छे परिणाम निकले हैं और इसे जारी रखना ही उचित है । मेरे विचार में हमारी विदेशी नीति का सब से अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि देश को बाहरी आक्रमण से बचाया जाये ताकि हम अपनी विकास योजनाओं को शान्तिपूर्वक कार्यान्वित कर सकें और साथ ही अपना आत्म-सम्मान कायम रख सकें । यह बहुत ही अच्छा होगा यदि ऐशिया के राष्ट्रों के बीच एक शान्ति समझौता या परस्पर सुरक्षा सम्झौता हो जाये । हमें अपने शान्ति के प्रयत्नों को और बढ़ाना चाहिए और पड़ोसी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने चाहिए ।

यदि कोरिया के बारे में हमारा संकल्प पारित नहीं हो सका तो इस में हमारा कोई दोष नहीं था । इस का कारण बड़ी बड़ी शक्तियों की हठधर्मी है । फ़िर भी हम इस मामले पर फिर विचार करेंगे और इस पेचीदा समस्या को हल करने के लिए अधिक ज़ोर लगायेंगे ।

दक्षिण और पूर्वी अफ़्रीका में जाति-भेद का मामला भी हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है । हमें इस मामले को राष्ट्रमंडल की सभा में लाना चाहिये, जिस का कि दक्षिण अफ़्रीका भी सदस्य है ।

अब मैं देश की आन्तरिक स्थिति को लेता हूं । यह सत्य है कि खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है, किन्तु इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है । महाराष्ट्र और राजस्थान से प्रतिदिन समाचार आते हैं कि अकाल के कारण लोग घास और पत्ते खा रहे हैं । हमारा पहला कर्त्तव्य यह है कि हम अधिक से अधिक जानें बचायें । इस के लिये आवश्यक है कि फालतू अनाज वाले क्षेत्रों से अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को तत्काल खाद्यान्न भेजा जाये । इस अकाल के दो कारण हैं । एक है अनाज की कमी दूसरा है क्रय शक्ति का न होना । अतः क्रय शक्ति पैदा करने के लिए, अकाल सम्बन्धी श्रम केन्द्र खोलने चाहिएं, ताकि लोग अनाज खरीदने के लिए काफ़ी पैसा कमा सकें ।

अन्त में मैं एक और विषय की ओर निर्देश करूंगा और वह है भ्रष्टाचार । न केवल सरकारी क्षेत्रों में बल्कि राजनीतिज्ञों में भी भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ रहा है । इस बढ़ती हुई बीमारी को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो समृद्धि

[श्री एस० ए० खान]

और विकास की हमारी सब योजनाएं धरी की धरी रह जायेंगी, क्योंकि लोगों और कर्मचारियों के सहयोग के बिना हम अधिक उन्नति नहीं कर सकेंगे ।

श्री श्यामनंदन सहाय : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सदन ने बहुत से विषयों पर ध्यान दिया है । किन्तु मैं समझता हूं कि जिस विषय पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है वह अन्तर्राष्ट्रीय कार्य और काश्मीर का प्रश्न है । विदेशी नीति पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई है । किन्तु आप देखेंगे कि यद्यपि भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये हैं किसी ने अ ज तक कोई ठोस सुझाव नहीं दिया और किसी ने यह नहीं बतलाया कि वर्तमान विदेशी नीति के स्थान पर और क्या नीति अपनाई जा सकती है ? इस समय दानों गुट अपने अपने तरीकों से सारे विश्व पर छा जाने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे देश की सैनिक स्थिति और वित्तीय स्थिति तो सब को मालूम है । इन परिस्थितियों में क्या कोई अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकता है कि नहीं, हमें अवश्य एक गुट में सम्मिलित हो जाना चाहिए । क्या इस से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा ?

हम चाहे किसी सिद्धान्त का अनुसरण करें । इस पर कोई आपत्ति नहीं । किन्तु हमें वैदेशिक कार्य मामलों में सब से पहले अपने देश के हित को ध्यान में रखना चाहिए ।

अमेरिकन कहते हैं कि उन के साथ भारत सरकार की सहानुभूति नहीं है। साम्यवादी गुट कहता है कि भारत सरकार की उस से कोई सहानुभूति नहीं है । संभवतः भारत सरकार आज इन दो कठिनाइयों के बीच ठीक रासते पर चल रही है । भारत सरकार को स्वाभाविकतया एक ऐसी नीती पर चलना है, जिस से कोई भी गुट नाराज़ न हो, यद्यपि इस समय उन में से किसी को मित्र नहीं बनाया जा सकता ।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय काश्मीर का है । हिन्दू दृष्टिकोण से देखते हुए भी, मैं जम्मू में हो रहे आंदोलन का औचित्य नहीं समझ सका । मैं केवल एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या काश्मीर की वर्तमान स्थिति में इस प्रकार के प्रश्न उठाना वांछनीय है ? लोग कहते हैं कि जम्मू को पूर्णतया भारत में प्रवेश करना चाहिए और ऐसा कहने से उन का तात्पर्य यह है--यद्यपि वह स्पष्ट रूप से इसे व्यक्त नहीं करते--कि काश्मीर पाकिस्तान में चला जाये । क्या वे इस के लिये तैय्यार हैं ? क्या ऐसी स्थिति एक मिन्ट के लिये भी सहन की जा सकती है ? जम्मू और काश्मीर की समस्या एक बहुत ही पेचीदा और जटिल समस्या है । हम इतने प्रश्न उठा रहे हैं और कहते हैं कि आज यह करना चाहिए और कल वह करना चाहिए । हम यह नहीं सोचते कि कुछ समय के लिए रुक जाने से भी लाभ हो सकता है । कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हे तुरन्त पैदा नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में मैं आशा करता हूं कि इन परिस्थितियों में काश्मीर सरकार अपना संतुलन कायम रखेगी, ताकि बाद में यह न कहा जा सके कि इस ने कोई ज्यादती की है । यदि वह शान्ति और धैर्य से काम ले, तो स्थिति पर आसानी से काबू पाया जा सकता है ।

मैं दो और बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सीलोन का कोई उल्लेख नहीं है। मेरे विचार में यदि एक शब्द कह दिया गया होता, तो उन भारतियों को जो कि वहां कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कुछ संतोष होता। दूसरी बात यह है कि संविधान में सरकार को यह निदेश दिया गया है कि संविधान लागू होने के दस साल के अन्दर अन्दर अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जारी कर दी जानी चाहिए। चार साल तो बीत भी चुके हैं। मैं शिक्षा मंत्रालय का विशेष ध्यान इस मामले की ओर दिलाता हूं कि वह शीघ्र पग उठाये। अन्यथा हम यह निदेश कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे।

श्री आर० एन० एस० देव : राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह धारणा उत्पन्न होती है कि देश में 'सब अच्छा' है। किन्तु जैसा कि सदन के वाद विवाद को सुनने से ज्ञात होता है वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, कष्ट और संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में दुःख, आंदोलन और असंतोष फैले हुए हैं। इन आंदोलनों और असंतोष का मुकाबला करने के लिये विभिन्न राज्यों ने एक ही तरीके से काम लिया है और वह दमन का तरीका है। मुझे आश्चर्य है कि एक माननीय सदस्य ने जम्मू के आंदोलन को दबाने के लिये भी अनुरोध किया है। आप जहां भी दृष्टि डालें वहां अत्याचार और दमन का दौरा नज़र आयेगा। सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर सब स्थानों पर हमें एक जैसी स्थिति नज़र आयेगी और वह यह है कि लाठी आक्रमण हो रहे हैं, आंसू लाने वाली गैस छोड़ी जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, स्त्रियों को छेड़ा जा रहा है सत्याग्रहियों को चाबुक लगाये जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इत्यादि।

मैं अपने राज्य का ही उदाहरण देकर बतला सकता हूं कि जनता के असंतोष को लोकतंत्रात्मक तरीकों से नहीं बल्कि बल प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। आप को ज्ञात होगा कि उड़ीसा में भूतपूर्व देशी राज्य को १९४८ में लीन किया गया था। १ जनवरी, १९४८ को उड़ीसा सरकार ने एक घोषणा द्वारा काश्तकारों को केन्द्र के पेड़ों पर और उन के पत्तों पर जिन से कि बीड़ी बनाई जाती है। पूरे अधिकार दे दिये थे। किन्तु कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने कांग्रेस चुनाव निधि में चन्दे देने के वचन दे कर उन पर अपना एकाधिपत्य कर लिया। १९४८ से उड़ीसा राज्यों के लोग मांग कर रहे हैं कि यह एकाधिपत्य समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु सरकार ने एक नहीं सुनी। एकाधिपत्य अभी जारी है और सम्मेलनों और आश्वासनों के बावजूद उन लोगों को जिन्हों ने इस विभेदकारी कानून के विरुद्ध आंदोलन किया था। गिरफ़तारी से रिहा नहीं किया गया। केन्दु के पत्तों की अगली फ़सल का मौसम आ रहा है और राज्य में एक और आंदोलन की तैयारी हो रही है। अतः यदि इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक और न्यायपूर्ण रीति से न निपटाया गया तो इस से शांतिभंग होने का ख़तरा है। जब तक सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी, देश में शान्ति और प्रगति नहीं हो सकती।

जम्मू की समस्या के बारे में दोनों पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा गया है। यह वास्तव में एक बहुत गम्भीर मामला

[श्री आर० एन० एस० देव]

है और इसे साम्प्रदायिक कह कर टाला नहीं जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि इस आंदोलन को, जो कि गोलियों और दमन के बावजूद ढ़ाई मासों से चल रहा है, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति ने यह ठीक कहा है कि जहां भी लोगों को जायेज़ शिकायतें हैं, उन्हें दूर करने के लिये हर एक प्रयत्न किया जायेगा, किन्तु उन्हों ने कहा है कि समझौते का एक भाग तो कार्यान्वित किया जा चुका है, दूसरा शीघ्र कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह शुभ इच्छा ही काफ़ी नहीं है। भारत सरकार का इस मामले में बहुत उत्तरदायित्व है, क्योंकि वह वहां के आन्दोलन को दबाने के लिये अपनी सेना दे रही है। अतः इस समस्या को हल करना देश के हित में है।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम : (वेल्लारी) मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभिभाषण में बतलाया गया है कि औद्योगिक ओर कृषि के क्षेत्रों में प्रगति हुई है। लोगों से पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये भी अपील की गई है।

विदेशी नीति के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमारे प्रतिनिधियों ने दो प्रकार की सेवाएं की हैं। पहली तो यह है कि उन्हों ने हर स्थान पर चाहे यह ट्यूनीशिया हो या दक्षिण अफ़्रीका या कीनिया या अफ़्रीका या एशिया का कोई अन्य देश हो, मानवता के सिद्धान्तों, स्वतंत्रता और समता का साथ दिया है। दूसरी यह ह कि उन्होंने शान्ति और मित्रता के लिये जोर लगाया है कोरिया, चीन और पाकिस्तान के उदाहरण हमारे सामने हैं। भारत ने न अमेरिकन गुट और न रूसी गुट में सम्मिलित होना मंजूर किया है। रूस के सिद्धान्त हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने शान्ति स्थापित करने के लिये जो चेष्टा की है, उस का उल्लेख इतिहास में किया जायेगा।

मैं भाषावार प्रांतों की ओर भी अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। यह हर्ष की बात है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण उन लोगों को, जो कि भाषावार प्रांतों के लिए, उत्सुक हैं, विशेषतया कर्नाटक, तामिलनाड, महाराष्ट्र, गुजरात, केराला के लोगों की आशायें बढ़ाता है। मैं सरकार को यह सुझाव-दूंगा कि इस प्रयोजन के लिए वह तुरन्त ही एक आयोग नियुक्त कर दें, ताकि इस काम में बहुत विलम्ब न हो। आंध्र राज्य के निर्माण के बारे में मैं यह केवल कहूंगा कि असमान क्षेत्र, जैसा कि बेल्लारी का कन्नड जिला और मद्रास राज्य के गैर आंध्र क्षेत्र इस में सम्मिलित न किये जायें यह दोनों के हित में होगा।

बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनायों की ओर निर्देश करते हुए मैं यह कहूंगा कि तुगंभद्र परियोजना से अधिकतम लाभ उठाने के लिये यह आवश्यक है कि ऊंची स्तर की नहर का काम भी आरम्भ किया जाये। यह अकाल-ग्रस्त लोगों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

अभिभाषण में उन क्षेत्रों की ओर भी निर्देश किया गया है जोकि अकाल-ग्रस्त हैं। स्थिति का मुकाबला करने की चेष्टा की गई है। किन्तु इस सम्बन्ध में स्थिति की गम्भीरता को बढ़ा चढ़ा कर बतलाने का और यह कहने का कि हर स्थान पर भुकमरी फैली हुई है, कोई लाभ नहीं

हैं। हमें यथार्थता से काम लेना चाहिए। जहां भी तंगी और कमी हो, हमें उस का सामना कर के उसे दूर करना चाहिए। पंच वर्षीय योजना खाद्य की कमी को दूर करने के लिए एक चुनौती है।

अन्त में, मैं एक शब्द विदेशी सहायता स्वीकार करने के बारे में कहूंगा। विरोधी पक्ष ने इस की बहुत आलोचना की है। किन्तु मेरे विचार में पंच वर्षीय योजना बनाने वालों ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। पहली बात तो यह है कि लक्ष्य बहुत ऊंचे नहीं हैं और जितनी विदेशी सहायता हमें प्राप्त हो रही है वह भी अधिक नहीं है। पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। रूस ने भी अपनी पहली पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये विदेशों से बहुत सी सहायता ली थी। हमें इस में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक है और हमारे अपने साधनों के मुकाबले में यह एक छोटा सा अंश है। अतः विदेशी सहायता लेना हमारे लिये बिल्कुल न्यायोचित है।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पश्चिम): सभापति जी, राष्ट्रपति के भाषण पर दो दिन से बहस चल रही है और काफ़ी गरम और नरम बातें कही जा चुकी हैं। राष्ट्रपति का भाषण पार्लियामेन्ट का एक माध्यम है जिस के जरिये देश की हालत का पता चलता है। देश आगे बढ़ रहा है या पीछे चल रहा है, जिस सरकार ने देश के लिए जवाबदेही ली है वह क्या कर रही है, इस के बारे में राष्ट्रपति का भाषण एक रिपोर्ट है।

हमारे दोस्तों ने, खास कर दाहिनी तरफ के दोस्तों ने सब से ज्यादा ध्यान हिन्दुस्तान की और भारत सरकार की विदेश नीति पर दिया है। मैं प्रोफ़ेसर हीरेन मुखर्जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने बड़े ज़ोर से बहुत बड़ी बडी गालियों का सहारा लेकर हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति की निंदा की। हम इस मौक़े पर यह साफ़ बता देना चाहते हैं कि हमारे कम्यूनिस्ट दोस्त जो चीज़ चाहते हैं वह हमारी सरकार करने को तैय्यार नहीं है। वह यह देश भी करने को तैय्यार नहीं है। यह देश उस खतरे और धोके को जान चुका है जिस खतरे और धोके की हिमायत हमारे कम्यूनिस्ट दोस्त करते हैं इस देश ने अपना विधान बना कर यह फ़ैसला कर लिया। दुनियां में दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है फासिज्म का, ताना शाही का जिस में एक दल के हाथ में, एक डिक्टेटर के हाथ में सारी ताक़त दे दी जाती है। दूसरा रास्ता है प्रजातन्त्र का, पंचायती राज्य का, जिस में सारी जनता, तमाम लोग अपने हाथ में ताकत रखते हैं और उन के जरिये हकूमत होती है। हिन्दुस्तान ने पहले रास्ते को उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन उस ने अपना विधान पंचायती राज्य के आधार पर बनाया, उस रास्ते को, जिस रास्ते की हिमायत हमारे कम्यूनिस्ट दोस्त करते हैं। हिन्दुस्तान ने अपना भाग्य पंचायती तंत्र के साथ जोड़ दिया है, इस लिए जो कुछ हमारे कम्यूनिस्ट दोस्त चाहते हैं वह हिन्दुस्तान की सरकार नहीं करेगी हिन्दुस्तान की जनता नहीं करेगी। हिन्दुस्तान की जनता ने फ़ैसला किया है कि वह पंचायती राज्य के तरीके पर, लोक राज्य के तरीके पर चलेगी। हिन्दुस्तान के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति के आलोचक, जो कुछ

[श्री एम० पी० मिश्र]

दिन पहले बहुत ज्यादा थे, आज बहुत थोड़े रह गये हैं। सिर्फ थोड़े से, मुट्ठी भर, ऐसे वही लोग हैं जिन के सामने एक ही चीज है और वह उसी दिन खुश होंगे जिस दिन यह देश एलान कर दे, सरकार एलान कर दे कि हमारा आका रूस है, रूस जो कहेगा हम वही करेंगे, चीन जो कहेगा हम वही करेंगे। लेकिन यह चीज होने की नहीं है।

यह बात तय है कि हिन्दुस्तान की जो वैदेशिक नीति है वह एक बड़े उसूल पर टिकी हुई है। हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति से एक तरफ़ रूस और चीन के लोग नाराज रहते हैं और उन के यहां जो बोलने वाले हैं वह उस वैदेशिक नीति को शिखंडी की नीति कहते हैं। दूसरी तरफ़ भी हम से कुछ वह लोग नाराज होते हैं जो चाहते हैं कि हम और कुछ करें। और यह लोग इंगलैंड और अमरीका में कुछ हैं। मैं यह नहीं कहता कि समूचे देश ऐसे हैं, जो अब भी साम्राज्यवादी विचार रखते हैं। पर कुछ लोग हमारी नीति से सहमत नहीं हैं। हमने एक अपना रास्ता चुना है और हिन्दुस्तान अपने उस रास्ते पर चला जा रहा है और आज हिन्दुस्तान में ही नहीं सारे संसार में उस की नीति अच्छी मानी जा रही है और हिन्दुस्तानी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है।

लेकिन मुझे इस बात की अपनी सरकार से शिकायत है कि हम अपनी वैदेशिक नीति को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हम उसको लेकर इतना ज्यादा काम क्यों करें। जब भी राष्ट्रपति का भा ण होता है। तो सब से पहले विदेश नीति का जिक्र होता। जब कोई प्रस्ताव होगा तो विदेश नीति पर होगा। हमारी वैदेशिक नीति सचमुच इतना महत्व नहीं रखती। आज की सब से ज्यादा महत्व की बात हमारे लिए अपने देश की नीति है अपनी घरेलू नीति है, और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारी पार्लियामेन्ट सब से ज्यादा ध्यान उसी पर दे। अगर हम अपने कद से बहुत ऊंचे कोट बना लें तो वह ा दुनिया में बहुत शोभा नहीं दे ती हमारी इच्छायें बड़ी हो सकती राष्ट्रपति के भाषण में लिखा हुआ है कि हमारी इच्छायें बहुत दूर भागती हैं और हमारे साधन बहुत पीछे हैं। ठीक वही बात वैदेशिक नीति की भी है। हमें उसी हद तक कदम आगे उठाना चाहिये जहां तक कि हमारी हैसियत इजाजत दे। हमें सब से पहले अपने घर को बनाना है, एक ऐसे जर्जर घर को जिसको दो सौ वर्षों से और लोगों ने बरबाद किया है। इस को हम एक बहुत अच्छा देश बनाना चाहते हैं।

राष्ट्रपति के भाषण में और बहुत सी बातें रखी गई हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि सन् ५३ में जरूर कुछ ऐसी हालतें देश में पैदा हुई हैं जो पहले से अच्छी हैं और यह हमारे लिए बड़े सुख की बात है, आज जो आदमी गांवों से और कस्बों से आते हैं वह बतलाते हैं कि लोगों को अनाज की, भोजन की कपड़े की तकलीफ नहीं है और लोगों को राहत मिली है और लोग पहले से काफी सहूलियत में हैं। मैं इस को आराम तो नहीं कहूंगा लेकिन हालत सुधर रही है। और यह बात सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण से ही जाहिर नहीं है बल्कि परिस्थिति को देखने से भी यही मालूम होता है। लेकिन अभी हमें बहुत बड़ा काम करना बाकी है।

जो लोग यह दलील देते हैं कि हमने डिमाक्रेसी (लोक तंत्र) का रास्ता लिखा है, इस में धीरे धीरे चीजें चलती हैं, इसलिये हम जल्दी कुछ नहीं कर सकेंगे, उन का ख्याल खतरनाक है। इंगलैंड में डिमाक्रेसी को बनने में तीन सौ बरस लगे तो इस का यह अर्थ नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तान में भी तीन सौ बरस लगेंगे। आप इंगलैंड के लोहे के कारखानों को लीजिये वे धीरे धीरे बने और उन में बहुत समय लगा। लेकिन आज हम उन के यहां से सब चीज उठा लेते हैं, उन की टैकनीक को सीख लेते हैं और उस चीज को अपने यहां तो बरस में कर लेते हैं। इसी तरह हम अपने और कामों को भी तेजी से कर सकते हैं। हम को अपना काम तेजी से करने की जरूरत है।

पंचवर्षीय योजना में यह बात मानी गयी है कि इस देश का हित खेती की उन्नति में निहित है। इस में हम सब एक हैं कि इस देश का हित खेती से ही होगा। अकेले उद्योगों से नहीं होगा लेकिन इस सुझाव को आगे बढ़ाने के लिये हमारे पास मशिनरी क्या है? उस मशिनरी को हम कहां बना रहे हैं? इस देश का सब से बड़ा सवाल जमीन का सवाल है। इस बारे में भी पंचवर्षीय योजना में जो फैसला है वह आम तौर पर हमें पसन्द है लेकिन एक बात मैं कहूं कि उसके फैसले ऐसे हैं कि इन पांच वर्षों में जमीन का सवाल हल नहीं हो सकता। पंच वर्षीय योजना उस के बारे में कुछ नहीं करगी। एक कमीशन बनेगा जमीन की नाप करने के लिये। जब तक उस की नाप जोख नहीं हो जायेगी तब तक जमीन के सुधार के बारे में कुछ नहीं हो सकेगा। आज यह वक्त नहीं कि हम आराम के साथ, आसानी के साथ और बहुत लम्बे चौड़े तरीकों से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लैनिंग कमीशन (योजना आयोग) ने जमीन के बारे में यह भी कहा है कि हम जमीन की सीलिंग (उच्चतम सीमा) रखेंगे। लेकिन उस के बारे में भी बड़ी पेचीदगी रख दी कि शायद यह चीज न हो सकेगी। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि आप जमीन के बारे में सीलिंग रख दीजिये कि एक परिवार के पास इतनी जमीन रहेगी। इस के बाद इस चीज को काम में लायें। इस के लिये बहुत बड़े स्टेटिक्स ब्यूरों (सांख्यकीय विभाग) की जरूरत है, जो कि यह पता लगायें कि किस के पास कितनी जमीन है और कितनी नही हैं और किस के पास फ़ाजिल जमीन है और किस के पास नहीं हैं। इसलिये जमीन के बटवारे के लिये किन्हीं बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। इस को जल्द से जल्द करना होगा। विनोबा जी का भूदान यज्ञ चल रहा है। हम उसके हृदय से साथ हैं। लेकिन हम समझते हैं कि सिर्फ उस आन्दोलन से जमीन की समस्या हल नहीं होगी और कानून को, सरकार को इस में हाथ बटाना होगा। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को जितनी जल्दी हल कर दिया जाय उतना ही अच्छा है।

इस के साथ साथ एक और बात है जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही है। वह है पढ़े लिखे लोगों का बेकारी। पंच वर्षीय योजना में भी इस सवाल के बारे में कहा गया है। अभी मैं अपने यहां कुछ चीजें देख कर आया हूं और बड़ा परेशान हूं। हमारे सूबे में सड़कों पर चलने वाली बसों को सरकार ने अपने हाथ में लिया

[श्री एम० पी० मिश्र]

है । इस काम के लिये जब जगहें खाली हुई तो दरख्वास्तें मांगी गई कोई दो चार पांच कर्मचारी, ड्राइवर तथा कन्डक्टरों की जगहें थी उस के लिये ६० हजार दरख्वास्तें आयीं । कुछ एम० ए० पास लोगों ने बस कन्डक्टरों के लिये दरख्वास्तें दीं । हमारे यहां एक लैंड रिक्लेमेशन आफिसर (भूमि उद्धार पदाधिकार) की जगह खाली हुई जिसके लिये बी० ए० पास आदमी की जरूरत थी । उस के लिए २७०० दरख्वास्तें आईं । यहां इन वेकारों की तादाद बढ़ती जा रही है । आठ वर्ष पहले लड़ाई के जमाने में गांवों में कोई पढ़ा लिखा आदमी नौकरी के लिये नहीं मिलता था । लेकिन आज यह हालत है । और हमारी यूनीवर्सिटियां ऐसी हैं कि जो बराबर इन वेकारों को पैदा किये जा रही हैं ।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में शिक्षा का सवाल भी उठाया है । बुनियादी तालीम के बारे में कहा गया है कि वह ठीक नहीं चल रही है । मैं भी मानता हूं कि बेसिक एजूकेशन को जिस रूप में लगाया गया है वह वैसे नहीं चल सकती । आज दुनियां एक तरफ जा रही है । और दूसरी तरफ हर बसिक स्कूलों में आश्रमों जैसी शिक्षा दे रहे हैं एक बेसिक स्कूल में ३३ लड़कों पर एक साल में ३३ हजार रुपया खर्च हुआ । और लड़कों ने कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं । उन को शिक्षा दी जाती है क्राफ्ट (दस्तकारी) के जरिये । सरकारी नौकरियां उन लोगों को मिलती हैं जो पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाते हैं और ठाठ बाठ से रहते हैं । और बेसिक स्कूल वाले अपनी मेहनत से कुछ मामूली सी चीजें ही बना सकेंगे ऐसी हालत में जनता को यह बेसिक ऐजूकेशन कैसे प्रिय हो सकती है ? यह शिक्षा हमारे सामाजिक ढांचे में खपती नहीं है । दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि शिक्षा के तरीके को बदला जाय । हमारी यूनिवर्सिटियां सिर्फ बेकरों को बनाती हैं । एम० ए० पास करने के बाद लोग ३२ और ३४ रुपये की नौकरी कर रहे हैं । वह कोई छोटा रोजगार नहीं कर सकते । इस शिक्षा में अमूल परिवर्तन करने की जरूरत है ।

हमारे सरकारी ही कर्मचारी, जिन की तादाद हजारों नहीं लाखों में है, सरकार को चला रहे हैं । यह सारी सरकार मंत्रियों के कंधों पर चल रही है । लेकिन उन की मनोवृत्ति यह है कि जनता के प्रति उन के दिल में कोई मुहब्बत नहीं है । पुराने ढंग पर शासन करना उन का काम है । हमारे देश के नौजवानों का भी आज यही सपना है कि वे उन्ही जगहों पर जा कर बैठें । इसी के लिय वह पढ़ते हैं । यह चीज़ ऐसी है जिसकी तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना होगा और इस मनोवृत्ति को बदलना होगा । समाज में आज एक अमूल परिवर्तन करने की जरूरत है ।

गांवों में कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट (सामूहिक परियोजनाएं) खोले गये हैं । मैं अभी ट्रेन में आ रहा था । मेरे साथ कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अफ़सर भी बैठे थे, छोटे अफसर और वह बातें कर रहे थे कि यह सरकार की एक वैसी ही स्कीम है जो चलती है और फिर ठप हो जाती है । कि यह चीज़ चलेगी नहीं जब कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वही उस का मजाक उड़ा रहे हैं । मैं आप से पूछता हूं कि क्या

यह चीज चलेगी जब इस मनोवृत्ति वाले अफसर इस कार्य को करने के लिए भेजे जाते हैं। उनको गांव नहीं सुहाते। उनको इस तरह का काम नहीं सुहा सकता। जो पहले शासन करते थे, जनता पर रोब जमाते थे वे इस काम को पसन्द नहीं कर सकते। वे तो टाई बांधना जानते हैं और मोटरों में घूमना। मैं यह नहीं कहता कि व लोग टाई पहनना छोड़ दें। या मोटरों में बैठना छोड़ दें। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी दूसरे देशों के लोगों की तरह रहें, टाई पहने और मोटरों में चलें। और सरकारी अफसरों को इसी दृष्टिकोण से काम करना चाहिये कि आज जो आराम और सुविधा उन को उपलब्ध है, कल वह सब देश को हो जाये। यही उन के दिमाग को बदलने की जरूरत है।

वह समझें कि सिर्फ उन्हीं को कोट की जरूरत नहीं है, सारे देश को कोट की जरूरत है। गांव के लोग भी टाई पहन सकें, उन को भी पहनाई जा सके। लेकिन कौन अफसर है जो गांव में जाता है? अगर कोई जाता है तो रोब के साथ जाता है। और वही अफसर हैं जो सरकार को चलाते हैं थाने में, जिले में, प्रांत में और यहां दिल्ली में। जब तक यह सिलसिला रहेगा कोई भी सरकार की स्कीम पूरी नहीं हो सकती। पंच वर्षीय योजना भी नहीं चल सकती। इस लिए हम आप से कहना चाहते हैं कि कुछ मनोवृत्ति के भी बदलने की भी जरूरत है जो नहीं बदल रही है। हम से यह कहा जाता है कि सरकार आखिर चल तो रही है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि देश नहीं चल रहा है। देश को चलाने के लिए कुछ और चीज की जरूरत है। पंच वर्षीय योजना के लिए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में उत्साह पैदा हो रहा है। वह उत्साह तो मैंने कहीं नहीं देखा जिस की जरूरत है। मुझ को तो वह कहीं भी देखने में नहीं आया। उत्साह सब से पहले उन लोगों में पैदा होना चाहिये जो कि उस को चलाने वाले हैं। मैं तो देखता हूं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट को चलाने वाले अफसरों में भी उत्साह नहीं है। वे कहते हैं कि यह चीज भी उसी तरह है जैसे और चीजें चल रही हैं। तो पहले सब से अफसरों में उत्साह पैदा करना चाहिये। पहले जैसे पुराने ढंग से ही काम करने से काम नहीं चल सकता।

एक आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस भाषण में राष्ट्रपति ने देश की एक सब से बड़ी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा। वह बीमारी है भ्रष्टाचार, घूसखोरी। इस बात के लिए मुझे सरकार के लोग माफ़ करेंगे कि बार बार इस के लिए उन से कहा जाता है। लोग बार बार इस के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कि सरकार का, देश का सब से बड़ा रोग भ्रष्टाचार है। इस के कारण सरकार में जनता का विश्वास भी उठा जा रहा है। एक टिकट काटने वाले अफसर से ले कर ऊपर तक, एक सिपाही से लेकर इन्सपैक्टर जनरल तक के विषय में जनता का यह विश्वास पैदा हो गया है कि भ्रष्टाचार के बगैर काम नहीं कर सकता। हम ने अपनी आंखों से देखा है स्टेशनों पर अगर भीड़ होती है तो कोई आकर कह सकता है कि चार आने दो तो हम टिकट कटवा देते हैं। इस घूसखोरी के सम्बन्ध में, घूसखोरों के बारे में, ब्रिटेन और अमेरीका की सरकार ने भी काम किया है। इसको उन्होंने अपने सरकारी प्रोग्राम में शामिल किया। मैं चीन का नाम नहीं लेता हूं। चीन में घूसखोरी रोकने के जो रास्ते अपनाये गये हैं वे बुरे हैं। लेकिन अमेरिका में, ब्रिटेन में सन् १९३६ में घूसखोरी बढ़ गई तो कैबिनेट ने तीन महीने में उस को रोकने की कोशिश

[श्री एम० पी० मिश्र]

की ओर रोक दिया । अगर यहां पर घूसखोरी का नजारा देखना चाहें तो कोई भी मिनिस्टर खुद चल कर घूस दे कर अपना काम चला सकते हैं । उस जगह घूसखोरी चल रही है, घूस ली जाती है । मैं यह नहीं कहता कि ईमानदार आदमी नहीं हैं । लेकिन दुःख की बात है कि ईमानदार आदमी बहुत थोड़े हैं और उनको तरजीह नहीं मिलती । बेईमान लोग ज़्यादा हैं, उनकी मैजारिटी (बहुमत) है इसलिए सरकार का काम हो जाता है, इस घूसखोरी को, इस भ्रष्टाचार को रोके । आज जरूरत है कि सरकार कुछ दिनों के लिए सब काम रोक कर यह कोशिश करे कि, सरकार, दफ्तरों में, सरकारी महकमों में जो घूसखोरी चल रही है वह बन्द हो । हमारी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं । कल जिस स्कीम पर ५५ करोड़ रुपये खर्च होने वाले थे आज उस पर १०० करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं । अगर इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो २० करोड़ की स्कीम चार साल में १०० करोड़ की स्कीम हो जाएगी । यह स्कीमें इतनी क्यों बढ़ जाती हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण । आज सरकार के बड़े बड़े फंड बुरी तरह से खर्च किये जाते हैं । ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में जब भ्रष्टाचार गया तो च्यांग काई शेक की सरकार खत्म हो गयी । इसलिए ऐडमिनिस्ट्रेशन को करप्शन (भ्रष्टाचार) के ऊपर करना होगा । हम चाहते हैं कि पंच वर्षीय योजना तीन महीने के लिए स्थगित हो जाए तो हो जाए, लेकिन करप्शन को और घूसखोरी को दूर करने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े सरकार को सब से पहले यह काम करना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अभिभाषण में कई बातें गलत बतलाई गई हैं । कहा गया है कि देश की सामान्य स्थिति में सुधार हुआ है । मैं कांग्रेस शासन से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं : क्या सत्तारूढ़ होने के बाद उन्होंने आम जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया है, क्या उन के रहन सहन में कुछ भी परिवर्तन हुआ है ? लोगों ने मुझे बतलाया है और वे आप को भी बतलायेंगे कि कांग्रेस शासन अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सका । यह जनता को बेकारी और बीमारी से नहीं बचा सका और उसे खाद्य और रहने का स्थान नहीं दे सका । इस ने कोई भी समस्या हल नहीं की । कोई नहीं कह सकता कि इस शासन काल में कोई व्यक्ति प्रसन्न है । किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हर दिशा में, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक दिशाओं में प्रगति हुई है । यह बिल्कुल गलत है । लोगों में जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने की क्रय शक्ति भी नहीं है । वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था अवपातीय है, मूल्य गिरे हैं और लोगों को चीजें सस्ते दामों पर मिल रही हैं । किन्तु मेरा निवेदन है कि वर्तमान मूल्य-स्तर भी लोगों की क्रय शक्ति से बाहर है । तथाकथित मुद्रावपात से सामान्य जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा । देश में हर स्थान पर कमी और तंगी है और सरकार के विरुद्ध आंदोलन किये जा रहे हैं । कुछ कारखानों में मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है और हर जगह पर छंटनी की गई है ।

दो वर्ष के परिश्रम के बाद योजना आयोग ने हमें पंचवर्षीय योजना बना कर दी है । इस के अन्तर्गत लगभग २००० करोड़ रुपया औद्योगिक तथा कृषि विकास

पर व्यय किया जायेगा। ९०० करोड़ रुपया तो खर्च हो भी चुका है। किन्तु इतनी राशि खर्च किये जाने के बाद भी मुझे अर्थ व्यवस्था में रत्ती भर सुधार या उन्नति नजर नहीं आती। वित्त मंत्री से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस योजना के अधीन उन्होंने जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हाथ में ली हैं, उन की संतोषजनक रूप से प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि इन पर जो रुपया खर्च किया जाता है, उस का एक बड़ा भाग थोड़े से ठेकेदारों की जेबों में चला जाता है। इस के अतिरिक्त बड़ी बड़ी परियोजनाओं से केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। अतः पंचवर्षीय योजना से देश का समान आर्थिक विकास नहीं हो सकता।

भाषावार प्रांतों का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सब लोग एक मत हैं। सब लोग चाहते हैं कि देश को विशेषकर दक्षिण भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाये। मैं सरकारी सदस्यों को ध्यान विशेष रूप से कर्नाटक की मांग की ओर दिलाता हूं। वास्तव में कर्नाटक प्रांत आंध्र प्रांत से भी पहले बनना चाहिये था। यह इस से सहल भी था। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में जल्दी निश्चय करे और यदि यह आंध्र के साथ नहीं बनाया जा सकता तो उस के तुरन्त बाद बना दिया जाये। यदि यह मांग पूरी न की गई या इस में विलम्ब किया गया तो, आंदोलन और सत्याग्रह शुरू हो जायेगा। सरकार को इस मामले की जांच के लिये एक सीमा आयोग स्थापित कर देना चाहिए।

एक और चीज़ जिस ने हमे चिन्तित किया है विदेशी नीति है। भारत सरकार की विदेशी नीति स्पष्ट नहीं है। हमारे साम्यवादी मित्र चाहते हैं कि भारत रूस का अनुयायी बने यह खतरनाक है। भारत को न आंग्ल-अमरीकी गुट और न रूसी गुट का अनुयायी बनना चाहिए, क्योंकि दोनों विश्व शान्ति के विरोधी हैं। हमें बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। किन्तु हम देखते यह हैं कि सरकार अपनी नीति के बारे में दुविधा में है। कभी वह एक राष्ट्र समूह का साथ देती है और कभी दूसरे का। यह हमारे अपने हित में भी नहीं है। भारत के प्रति आंग्ल-अमरीकी नीति बहुत रुचिकर नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हैदराबाद और काश्मीर के मामलों पर हमारा समर्थन नहीं किया। दोनों की नीति भारत विरोधी है। रूस की नीति भी इन दिनों भारत के विरुद्ध है। मेरे विचार में हमें दो खतरों — दो साम्राज्यवादों का सामना है। पहला खतरा आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद का है दूसरा रूसी साम्राज्यवाद का है। किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि हम इन दो गुटों में समझौता कराने का प्रयत्न न करें। हमें शान्ति और सहयोग की नीति जारी रखनी चाहिये जिससे कि हम बातचीत द्वारा एक समझौता करवा सकें। यदि संभव हो, तो इन दो गुटों के प्रतिनिधियों को दिल्ली में एक सम्मेलन करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। एक स्वतंत्र और स्पष्ट तटस्थता की नीति अपनाने से ही हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे: राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम क्या देखते हैं? कुछ उपदेश, आत्म-संतोष और वास्तविक समस्याओं की उपेक्षा। पंडित नेहरू ने कई बार कहा है कि कांग्रेस जनता के सम्पर्क में नहीं रही। मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इसका ठोस प्रमाण है।

[श्री एस० एस० मोरे]

मैं अभिभाषण के सब विषयों की ओर निर्देश नहीं करूंगा। केवल महाराष्ट्र की विपत्ति की ओर ध्यान दिलाऊंगा।

कांग्रेस की १९४० से १९४६ तक की रिपोर्ट में बंगाल के अकाल के बारे में कहा गया है कि यदि हमारा अपना सक्षम और लोकप्रिय शासन होता, तो इतना गम्भीर अकाल कभी न पड़ सकता। परन्तु क्या अंग्रेजों के चले जाने के बाद अब दुर्भिक्ष समाप्त हो गये हैं। नहीं। अंग्रेजों ने जो कठिनाइयां, कष्ट और आपत्तियां पैदा की थीं, वे अब भी भारत में जारी हैं।

मैं हाल ही में शोलापुर से आया हूं। वहां अकाल के खतरे के चिन्हों की कमी नहीं। इन्हें देखकर मैंने ७ सितम्बर को बम्बई सरकार को एक पत्र लिखा कि अकाल पड़ने का बहुत खतरा है और इस सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव दिये और अपना पूरा सहयोग भी पेश किया। किन्तु मंत्री जी ने क्या किया। उन्होंने स्वयं मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, अपने स्वीय सचिव के द्वारा उत्तर दिया कि "सरकार को सारी स्थिति विदित है और वह आवश्यक पग उठा रही है"। मेरा कहना यह है कि अकाल संहिता के अन्तर्गत और हमारी अपनी पहली घोषणाओं के अनुसार योजना पहले से तैयार होनी चाहिएं। दक्षिण पठार में प्रायः अकाल पड़ते रहते हैं और अकाल आयोग ने सिफ़ारिश की है कि इस क्षेत्र के सम्बन्ध में सहायता देने की योजनाएं पहले से तैयार रखनी चाहिएं, ताकि उन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जा सके। प्रांतीय सरकार के पास कोई योजना तैयार नहीं थी और इस का परिणाम क्या निकला। यद्यपि चेतावनी सितम्बर में दे दी गई थी, कोई श्रम केन्द्र स्थापित नहीं किये गये थे। नवम्बर में जा कर कुछ श्रम केन्द्र जारी किये गये थे। अब कुछ केन्द्रों पर धातु-तोड़ने का काम शुरू किया गया है। वहां ३००० व्यक्ति काम कर रहे हैं किन्तु उनकी डाक्टरी सहायता का कोई प्रबन्ध नहीं है, इन की एक और कठिनाई यह है कि इन्हें जिनमें स्त्रियां भी हैं दस दस मील की दूरी से काम करने आना पड़ता है। और उन की मजूरी भुखमरी की मजूरी है। ढोर मक्खियों की तरह मर रहे हैं। करमाला में गोमांस दो पैसे सेर बिक रहा है। हड्डियों के डब्बे के डब्बे उर्वरक बनाने के लिए भेजे जा रहे हैं किन्तु इन्हें खरीदेगा कौन या तो इन्हें निर्यात किया जाये या किसी और काम के लिए प्रयोग किया जाय।

मेरा गम्भीर सुझाव यह है कि कुछ स्थायी लोक-निर्माण कार्य आरम्भ करने चाहिए और एक कालावधि निश्चित कर देनी चाहिए कि एक या दो साल के अन्दर महाराष्ट्र की ४ प्रतिशत सींची जाने वालीं भूमि बढ़ा कर ५०, प्रतिशत कर दी जाये। इस के साथ ही हर स्थान पर अनिवार्य श्रम जारी कर देना चाहिए और प्रत्येक महाराष्ट्र निवासी को काम पर लगा देना चाहिए। सरकार को इस मामले पर पूरा ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र वालों के लिए ये बुरे दिन हैं। हो सकता है कि एक क्रान्ति हो जाए। उस समय आप का निवारक निरोध अधिनियम काम नहीं आयेगा। इस लिये सरकार को पहले ही संभल जाना चाहिए।

श्री नन्द लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त समय में भी समय प्राप्त करने के लिए आप को धन्यवाद देता हूं। मुझे इस सम्बन्ध में समय नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि जहां हमारे कम्यूनिस्ट नास्तिक भाई बैठे हैं हो सकता है कि कांग्रेस बेंचेज में भी कोई हों। सभी को तो मैं ऐसा समझता नहीं। इसलिए मैं इस ओर अधिक ध्यान न देता हुआ भारतीय राष्ट्रपति के उस अभिभाषण की ओर जो अवसरानुसार स्वाभाविक रूप से अमरीका देश के राष्ट्रपति आइजनहावर के भाषण के तत्काल बाद ही हुआ है, ध्यान आकर्षित करूंगा। हम दोनों की भावनाओं में अन्तर पा रहे हैं। एक अमेरिका में मैं अमेरिका नहीं कह रहा हूं, अमेरुका सुमेरु के मुकाबले में अमेरु है जैसे कि पेरु। अमेरु के नाम से अमेरिका कहता हूं। वह असुरमेरु है। और असुरमेरु करता क्या है कि नर्क के कुत्तों को युद्ध के लिये चारों ओर भेज कर हर एक देश का नाश करवाता है। चाहे वह फार्मोसा में हो कोरिया में चाहे मध्य पूर्व एशिया में हो या हमारे घर में। मगर मैं बताना चाहता हूं कि जो भेद एक आसुरी सभ्यता में और एक दैवी सभ्यता में होना चाहिए वही भेद हमारे भारतीय राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्र के अभिभाषण में है। इस कारण से मैं अपने देश के राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह भी देखता हूं कि असुर में और देव में थोड़ा भेद दौर्बल्य का भी होता है। असुर में राक्षसी बल है, देवता में कुछ शान्ति का दौर्बल्य होता है और हम यह समझते हैं कि समय पर कुछ बल का प्रदर्शन भी, कड़वी औषधि भी रोगों का नाश करने के लिए आवश्यक होती है। राष्ट्रपति के भाषण में पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो कुछ कमजोरी या दौर्बल्य, कमजोरी का आभास है, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष उतना कमजोर नहीं है और राष्ट्रपति की भाषा कितनी ही शान्तिपूर्ण हो किन्तु यह समझ लेना चाहिए कि अपने भारतवर्ष के अधिकारों का निरन्तर अपहरण और अपमान यह देश सहन नहीं कर सकता। देश की अन्तरात्मा आज भी इस के लिए बिलबिला रही है।

शरणार्थियों के प्रश्न के सम्बन्ध में अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का समझौता नहीं चाहता, निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं चाहता, जल के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं चाहता, काश्मीर के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं चाहता और हमारे प्रधान मंत्री के आवाहन के प्रति भी कि हम लोग घोषणा कर दें कि हमारा युद्ध नहीं होगा, उस को भी स्वीकार नहीं करना चाहता, ऐसी परिस्थिति में एक नीच शत्रु के प्रति शान्ति के शब्दों का प्रयोग करना हमारी भारतीय राजनीति के सर्वथा विरुद्ध है। सत्साम नीति का प्रयोग, शान्ति का प्रयोग एक शत्रु के प्रति जो खुल्लमखुल्ला अपने को शत्रु कहता है, और क्यों कहता है वह भी अब हम को, आप को, सब को मालूम है। इसलिए वहां पर कड़वी ही औषधि देने का काम है। यदि हम ने कड़वी औषधि न दी और मीठी वस्तुएं ही खिलाने का उन को प्रलोभन दिया तो निश्चय ही वह एक दिन मिठाइयां खिलाने वाले हाथों को भी खा जायेंगे।

साथ ही मेरा संशोधन काश्मीर के सम्बन्ध में भी आवश्यक है। मैंने इस संसद् के पिछले अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा था काश्मीर के सम्बन्ध में कि जो लोग जम्मू के विभाजन की बात छेड़ते हैं मैं उन का सर्वथा विरोध करता हूं। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि काश्मीर सरकार एक

[श्री नन्द लाल शर्मा]

अवैधानिक क्रिया को निरंतर चलाती चली जाय। उस में सदरे रियासत और अपने झंडे के सम्बन्ध का ऐग्रीमेन्ट (समझौता) तो क्रियान्वित कर डाला और जिस अंश में वह भारतीय विधान को स्वीकार करते हैं उस अंश क वह लागू न करें और फिर कहें कि हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो हम ऐसा न करते। यह उन का अवैधानिक कार्य है और उसको भारत सरकार को बलपूर्वक सुलझाना चाहिए। मैं हर प्रकार के पक्षपात को त्याग कर के यह शब्द कह रहा हूं। सरकार का अथवा कांग्रेस का विरोध करना ही मेरा कर्त्तव्य है। ऐसी भावना से मैं नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट हो जाय। पहले तो आत्मनिर्णय का सिद्धान्त एक शरारती सिद्धान्त था जिस को विदेशियो ने बदमाशी से, दुष्टता से, दुर्नीति से हम लोगों के ऊपर डाला और यदि उस सिद्धान्त को लाजिकल एक्स्ट्रीम (तर्क की सीमा) पर पहुंचा दिया जाय, हर एक शहर को, हर एक जिले को, हर एक गांव को, हर एक प्रान्त को, हर एक प्रदेश को यदि इस प्रकार आत्म निर्णय का अधिकार दिया जाय तो ऐसा होगा कि एक दिन हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति आत्म निर्णय के अनुसार अपने परिवार और अपन प्रदेश से अलग होता चला जायेगा और अन्त में यह देश बिल्कुल खंड २ हो जायेगा। इसलिए भारतवर्ष की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में हमलोग स्पष्ट रूप से कह दें कि समस्त भारतीय जनता का इस आत्म-निर्णय के विषय में एक मत है। काश्मीर को अलग आत्म-निर्णय का कोई अधिकार नहीं। यदि वह अधिकार दिया जायेगा तो बाकी सब के लिये भी वह अधिकार प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के साथ साथ मैं ने एक भारतीय दृष्टिकोण को भी देखा और संशोधन रक्खा। और वह संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में। आप की विधान निर्मातृ परिषद् ने इसी भारतवर्ष के लिये दस वर्ष के अन्दर हिन्दी भाषा कर देने का निर्णय किया था किन्तु आज मैं यह देखता हूं कि जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, उस तरीके से सम्भवतः ११० वर्ष में भी हम हिन्दी को यहां नहीं ला सकेंगे। कारण क्या है। आज प्रवृत्ति इस तरह की चल रही है कि हम निरंतर जिन संस्थाओं को खोलते जा रहे हैं उन से हम लार्ड मैकाले और यूरोपियन्स के आध्यात्मिक पुत्र पैदा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम आशा करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। यहां पर जो प्राचीन काल के संस्कृत विद्यालय थे, जो भारतीय संस्कृति के सिद्धान्त से चलाये जा रहे हैं, जहां विद्यार्थी से कुछ लिया नहीं जाता था, उल्टा जहाँ अपने पास से भोजन दे कर उन को पढ़ाया जाता था, हम देख रहे हैं कि वह निरंतर बन्द होते जा रहे हैं। हमारे मौलाना साहब का उधर कोई ध्यान नहीं है। अगर हम लोग इस सम्बन्ध में कुछ कहें तो एक आवाज कान में पड़ती है कि साम्प्रदायिक है, कम्युनिस्ट साम्यवादी है, इस को रोक दो।

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं है।

श्री नन्द लाल शर्मा : श्री गांधीजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। किन्तु में देखता हूं मैं सैंकड़ों विद्यालयों में घूमता हूं, और मैं ने अपनी आंखों से कितने विद्यालयों को बन्द होते हुए देखा। उन के लिये ऐसी ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं कि चार चार, पांच पांच अध्यापक जब

तक तुम न रखो, तुम को विद्यालय बन्द कर देना होगा फलतः वह लोग जो अपनी तरफ से अपना धन लगा कर विद्यालय चलाते थे उन को बन्द कर देना पड़ा। सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है।

इस के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में कहना चाहता जो कि भारत की स्वाभाविक चिकित्सा पद्धति है और भारतीय दृष्टिकोण एवं वातावरण के अनुकूल है। हमारी राजकुमारी जी निरंतर बी० सी० जी० के इन्जेक्शन बाहर से मंगवाती हैं, मलेरिया के कितने ही केन्द्र खुल रहे हैं, किन्तु आयुर्वेद जिस में हींग फिटकिरी भी नहीं लगती है, थोड़े ही खर्च से काम चल जाता है, और यहां कि वह चिकित्सा यहां की प्रकृति के अनुसार है, उस को आज तक भी हमारी राष्ट्रीय सरकार मान्यता नहीं प्रदान कर रही है।

आप क्षमा करेंगे। मैं राष्ट्रपति के भाषण में उन बातों का उल्लेख न होने के लिये कह रहा हूं। राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के लिये नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रपति के लिये जो फिज़ीशियन (चिकित्सक) दिये जाने को थे उन में एक आयुर्वेद पंडित की मांग की गई और आप की सरकार ने एक बार उनको न कर दिया था कि एलोपथी (चिकित्सा की अभिज्ञात पद्धति) रिकागनाइज्ड सिस्टम आफ मैडीसन है इसलिये हम आप को आयुर्वेदिक पद्धति जानने वाला व्यक्ति नहीं दे सकते। उन्होंने कह दिया था कि हम इस फिजीशियन मंडल की स्वीकृति नहीं देंगे अगर उस में एक वैद्य नहीं होगा। अन्त में कांशी के श्री पण्डित सत्यनारायण शास्त्री को स्वीकृति दी गई। लेकिन उसमें चार डाक्टरों को रख कर उन को अल्प मत में कर दिया गया। मैं बहुत से विद्यालयों को जानता हूं। आप ने एक झांसी का नाम ले लिया। शायद धुलेकर साहब आप के कृपा पात्र होंगे इसलिये उन को आप का कुछ प्रसाद मिल गया। किन्तु आप ने उस पद्धति को मान्यता प्रदान नहीं की। बात तो यह है कि एक तो वह पाताल देश से आया हुआ असुर जो कि रावण का साथी है और लंका में रहता है और दूसरा अल्कापुरी में, उत्तर प्रदेश में बैठा है वह उसका दूसरा भाई है। एक अमरीका का है और दूसरा रूस का है। इन असुरों से आप उसी समय बच सकते हैं जबकि आप के पास अपनी संस्कृति हो। अगर आप ने अपनी संस्कृति का परित्याग कर दिया तो आप का राष्ट्र केवल ज्याग्राफिकल डाइवेंशन (भूगोलिक सीमा कला) वाला प्रदेश मात्र रह जायेगा। वह तो एक भूखंड मात्र है उस को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। यदि किसी राष्ट्र के धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विधान को निकाल दिया जाय तो वह एक निर्जीव मात्र रह जाता है, वह एक राष्ट्र नहीं रहता। अगर आप अपने देश को स्वतंत्र और जीवित देश रखना चाहते हैं तो आप को अपना दृष्टिकोण सोलहों आना भारतीय बनाना होगा। जनता की ओर से निरन्तर गोहत्या बन्द करने की मांग हो रही है और यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता जिस बात को मांगती है उस को सरकार नहीं चाहती। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हिन्दू कोड बिल का जनता ने करोड़ों

[श्री नन्द लाल शर्मा]

की संख्या में देश के एक कौने से दूसरे कोने तक विरोध किया किन्तु चन्द आदमी यहां पर थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ कर आ जाते हैं वह समझते हैं कि हमने तो पाश्चात्य सभ्यता को भारतवर्ष में ज़बरदस्ती लाना है। मैं कहता हूं कि आप इस तरह जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते । यदि जनता उस चीज को चाहती है तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो यदि उस का विरोध करूं तो जिस प्रकार का दंड आप उचित समझें मुझे दें। आपकी अन्तरात्मा यह जानती है कि जनता क्या चाहती है फिर भी आप जबरदस्ती उन के ऊपर अपनी भावना लादना चाहते हैं। आप समझते हैं कि यदि हम अपनी बहू बेटियों को तलाक का अधिकार नहीं देंगे तो आज भारत रसातल को चला जायगा। क्या प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) का यह एक मुख्य आधार है कि यदि हम **ने** हिन्दू देवियों को तलाक का अधिकार न दिया तो हमारे देश में उन्नति नहीं होने वाली है ? जनता एक और मांग करती है कि गोहत्या बन्द हो लेकिन सरकार कहती है कि गोहत्या बन्द नहीं होगी। जनता कहती है कि हम हिन्दू कोड बिल नहीं चाहते सरकार कहती है कि हम उस को जरूर लायेंगे। अब हमारी सरकार भी थोड़ी थोड़ी अपने गौरांग मित्रों की नकल करने लगी है। जब वह हिन्दू कोड को उसका नाम बदल कर, हिन्दू मैरिज एंड डाइवोर्स बिल और हिन्दू ऐडाप्शन कोड बिल एण्ड गार्डियनशिप बिल आदि के नामों से लाना चाहती है। मैं यद्यपि राजनीतिक विषयों पर हिन्दू दृष्टिकोण से कुछ न कहूं परन्तु हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में हिन्दू संस्कृति के सम्बन्ध में यदि मैं अपनी वाणी को रोक रखूं तो मुझे दोष होता है :

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यंवा समञ्जसम्।
अबुवनिन्व क्वापि नरो भवतिबुवकिल्विषी॥
मनु०॥

एक द्रोपदी ने भरी सभा में भीष्म और द्रोण को पुकारा था और भीष्म और द्रोण को अपने प्राण दे कर उस का जवाब देना पड़ा था। उस समय भीष्म और द्रोण ने कोई जवाब नहीं दिया था। मनु का वचन है कि सभा में जाये नहीं, यदि जाय तो सत्य बोले। यदि सत्य पर चुप रह जाय या उल्टी बात बोल जाय तो उस को पाप लगता है और उस का फल भोगना पड़ता है। भीष्म और द्रोण को उस का फल भोगना पड़ा फिर हम और आप किस गिनती में हैं। इस लिये अभिमान का परित्याग कर के जनता के प्रति न्याय करते हुए डिमाक्रेसी (लोकतंत्र) की, लोकमत की, उन्नति करे और जनता जिन वस्तुओं का विरोध करती है उन वस्तुओं का त्याग कर दें और जिन वस्तुओं को जनता चाहती है उन को स्वीकार करें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक सोमवार १६ फरवरी, १९५३ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो जायेगी।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, १६ फरवरी, १९५३ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

GIPD—HS—202 PSD—9-9-53—200